BRLF

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

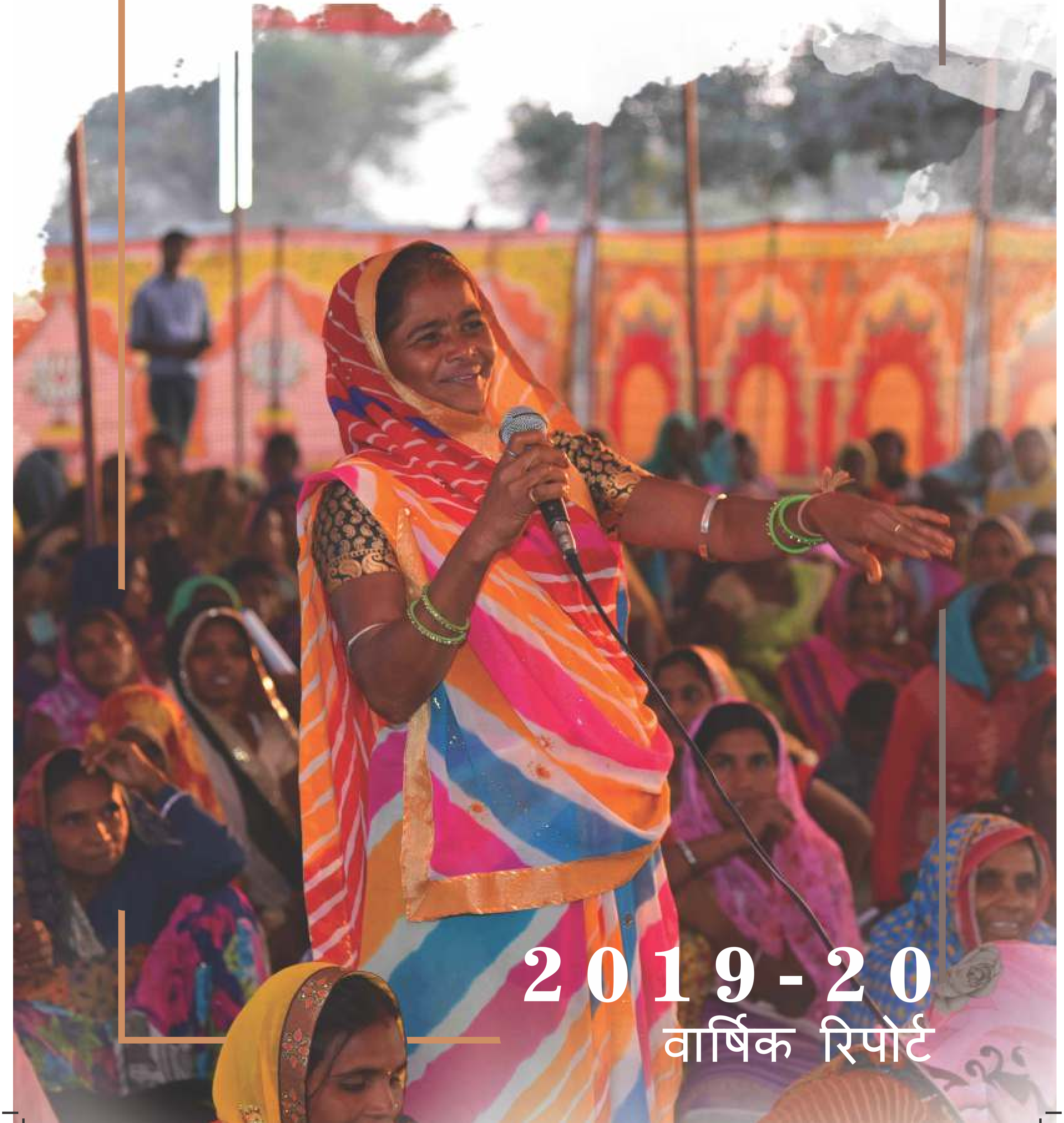

2019-20

वार्षिक रिपोर्ट

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष का संदेश 2

2. बीआरएलएफ के बारे में 3

पृष्ठभूमि 3

बीआरएलएफ - मूल्य प्रतिपादन 4

प्रमुख स्तम्भ 4

शासन-व्यवस्था 5

संगठनात्मक ढाँचा 6

पारदर्शिता एवं जवाबदेही 7

भौगोलिक विस्तार 8

3. बीआरएलएफ का कार्यक्षेत्र 10

पृष्ठभूमि 10

बीआरएलएफ की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता और अन्य अर्जित समर्थन 10

परियोजनाओं का प्रभाव 12

राज्य सरकारों के सहयोग से उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएँ 19

4. जनजातीय मामलों के मंत्रालय का श्रेष्ठता का केन्द्र-बीआरएलएफ 43

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के भागीदारों का चुनाव 43

ऊषर-मुक्ति पर अनुसंधान 43

मंत्रालय की अनुदान योजना का मूल्यांकन अध्ययन 43

5. क्षमता - निर्माण 44

ग्रामीण रोजगार योजना में प्रमाणपत्र कार्यक्रम 44

ग्राम-प्रबंधन में एमबीए 48

नियोक्ताओं के उद्गार 48

ग्रामीण रोजगार में अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम 48

6. अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन 50

जनजाति विकास रिपोर्ट 50

मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में शासन-विधि सुधार और रोजगार के लिये नागरिक समाज -राज्य- समुदायों की भागीदारी : पश्चिम बंगाल में बीआरएलएफ के ऊषर-मुक्ति कार्यक्रम पर एक अध्ययन 51

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये काम करती स्वयं-सेवी संस्थाओं के लिये अनुदान सहायता योजना का मूल्यांकन 52

आंकड़े और दस्तावेज 52

7. संसाधन जुटाना 53

8. वित्त 54

वित्तीय वर्ष 2019-20 का वित्तीय विवरण 54

अध्यक्ष का संदेश

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की परिकल्पना के अनुरूप, आत्म निर्भर आदिवासी भारत बनाने के अपने लक्ष्य की ओर बीआरएलएफ ने आरम्भ से ही निरंतर प्रगति की है।

इसकी शुरुवात से ही बीआरएलएफ ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अनेक उपक्रम शुरु किये हैं। वर्तमान में यह मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में 8 राज्यों के 86 जिलों में 251 खण्डों की 1941 ग्राम पंचायतों के 8288 गाँवों के 6.54 लाख परिवारों के लिये काम कर रहा है। बीआरएलएफ के उपक्रमों से प्रभावित होने वाले कुल परिवारों में से 5.49 लाख (84%) परिवार अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसके सूत्रपात से अब तक प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या में 3.31 गुना वृद्धि हुई है।

बीआरएलएफ के विकास के साथ ही इसके द्वारा सरकार की ध्वजवाहक परियोजनाओं और गैर सरकारी दाताओं से, इन वर्षों के दौरान जुटाए गए संसाधनों में भी वृद्धि हुई है। शुरु से अब तक बीआरएलएफ द्वारा नागरिक सामाजिक संगठनों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि ₹89.77 करोड़ है। इस निवेश के साथ ही बीआरएलएफ ने ₹1,355.32 करोड़ की राशि सह-वित्त व उत्तोलन के रूप में जुटाई है। इसका मतलब है कि बीआरएलएफ द्वारा परियोजनाओं पर खर्च गए हरेक रुपए के सामने वास्तव में प्रभावी रूप से ₹15 जुटाए जाते हैं और खर्च किये जाते हैं।

बीआरएलएफ ने विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ जो विशाल भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पश्चिम बंगाल में 'ऊषर मुक्ति' (बांग्ला शब्द जिसका अर्थ है 'अनुत्पादकता से मुक्ति') कार्यक्रम के तहत राज्य के 6 जिलों के 55 खण्डों में, मनरेगा के अन्तर्गत Rs.342.31 करोड़ के खर्च पर 85,471 विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिन्हे पूरा करने में 2.28 करोड मानव-दिवस रोज़गार का निर्माण हुआ। ओडीशा के 40 खण्डों में 'ओडीशा कृषि उत्पादक संकुल कार्यक्रम' का क्रियान्वयन हो रहा है जिसमें 572 उत्पादक संकुलों के 61,266 गरीब परिवारों को सम्मिलित किया गया है। राज्य में उपलब्ध विविध योजनाओं के माध्यम से संसाधनों को जुटा कर 3723.5 एकड़ जमीन की सिंचाई की संभावनाओं का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में 26 विकास खण्डों में ₹223.38 करोड़ कीमत की मनरेगा आधारित मेगा जलोत्सारण परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं। इनमें से ₹54.65 करोड़ की परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं जिनसे 21 लाख मानव दिनों के रोज़गार का निर्माण हुआ। झारखण्ड में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक नई भागीदारी की प्रक्रिया जारी है जिसमें बीआरएलएफ नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राज्य के 24 खण्डों में काम करेगा। यह साझेदारियां उस परिकल्पना का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिये बीआरएलएफ की स्थापना हुई - नागरिक सामाजिक प्रयासों में सरकार की भागीदारी के माध्यम से सुधार लाना।

वर्ष 2019 में, सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा बीआरएलएफ को 'श्रेष्ठता के केन्द्र' के रूप में मान्यता मिलना बीआरएलएफ के लिये एक नया मील का पत्थर साबित हुआ । इसके अन्तर्गत बीआरएलएफ को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की अनुदान योजना के लिये गैर सरकारी संगठनों के चयन का मार्ग प्रशस्त करने का काम सौंपा गया है। जनजातीय संदर्भ में आजीविका के अवसरों के उत्पादन के लिये ऊषर मुक्ति कार्यक्रम में नागरिक समाज और सरकार की भागीदारी की प्रक्रिया और परिणामों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी भी बीआरएलएफ को सौंपी गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बीआरएलएफ को, गैर सरकारी संगठनों के लिये चलाई जाने वाली ग्रान्ट -इन- एड योजना का मूल्यांकन करने का भी अनुरोध किया है।

क्षमता निर्माण के क्षेत्र में बीआरएलएफ ने जयपुर के आयआयएचएमआरयु के साथ भागीदारी में ग्रामीण आजीविका में प्रमाण पत्र कार्यक्रम की छठी बैच शुरु की है। इन व्यावहारिक ज्ञान आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किए जाने वालों जनजातीय व्यावसायिकों की संख्या 174 तक पहुंच गई है। 25 मई 2019 को झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना क्षमता निर्माण स्तम्भ की एक बड़ी उपलब्धि है। इस समझौते के अन्तर्गत किसी विषय विशेष में 90 ज़मीनी संयोजकों को वर्तमान ग्रामीण आजीविका से संबंधित जानकारी में सुधार लाने के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की पहली बैच मई 2019 में 25 प्रशिक्षार्थियों के साथ शुरु की गई।

बीआरएलएफ के अनुसंधान स्तम्भ ने पहली जनजाति विकास रिपोर्ट तैयार की है जिसमें देशभर के जनजातीय आजीविका, शासन-प्रणाली, मानव विकास, भाषा, कला और कारीगरी के क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए शोधपत्र प्रकाशित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त यह स्तम्भ ऊषर मुक्ति और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ग्रान्ट इन एड योजना का भी अध्ययन कर रहा है।

बीआरएलएफ की निरंतर होती उन्नति उसके अनेक भागीदारों के समर्थन के बिना संभव नहीं होती। मैं टाटा ट्रस्ट, यूएनडीपी, अर्घ्यम, एक्सिस बैंक फाउण्डेशन, हिंदुस्तान युनीलिवर फाउण्डेशन, युरोपियन युनियन, फोर्ड फाउण्डेशन, ग्लोबल गिविंग, इम्पैक्ट गुरु और वा टेक वाबाग लिमिटेड के प्रति, उनके द्वारा, इन वर्षों के दौरान बीआरएलएफ को दिये गए वित्तीय समर्थन के लिये आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

बीआरएलएफ की पूरी टीम, बीआरएलएफ के लक्ष्यों के प्रति इमानदार प्रयत्नों और उसे और भी अधिक ऊंचाई की तरफ ले जाने की कोशिशों के लिये अभिनंदन की पात्र है। बीआरएलएफ के महत्वपूर्ण दौर में बीआरएलएफ का मार्गदर्शन करने के लिये मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कार्यकारी समिति और निदेशक मंडल के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ।

हसमुख शाह
अध्यक्ष

1 बीआरएलएफ के बारे में

पृष्ठभूमि

सरकार की भागीदारी में नागरिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा (संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत) स्थापित भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण है, खास तौर पर मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में बसे निर्धन आदिवासियों का, नागरिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के समन्वय से, आर्थिक उत्कर्ष करना, ताकि देश की शासन व्यवस्था में उनके विश्वास को मजबूत किया जा सके।

तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा, 2012-13 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप ,3 सितंबर 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बीआरएलएफ की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापना का निर्णय लिया गया। इस संस्था के उद्देश्य हैं - ग्रामीण कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास करना, प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाना, जनजातीय समुदायों में पनपती पराएपन की भावना को खत्म करना और जनता के भारतीय लोकतंत्र और शासकीय संरचना में विश्वास को पुनःस्थापित करना है।

12 जनवरी, 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय और बीआरएलएफ के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके परिणामस्वरूप, ₹500 करोड की निधि के साथ बीआरअएलएफ की स्थापना हुई। अनुबंध शर्तों के अनुसार यह निधि दो किश्तों में दी जानी थी। बीआरएलएफ को राज्य सरकारों और परोपकारी संस्थाओं से धनराशि जुटाने का अधिकार दिया गया। तदनुरूप, बीआरएलएफ की प्रत्येक परियोजना को, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों, राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थाओं और रोजगार परियोजनाओं/कार्यक्रमों से आर्थिक समर्थन मिलता है।

बीआरएलएफ के कार्यों का प्राथमिक केन्द्र बिंदु मध्य भारत के जनजाति क्षेत्र हैं जो कि देश के सर्वाधिक वंचित क्षेत्रों में शामिल हैं और जहाँ देश की कुल आदिवासी जनसंख्या के 81% लोग रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे ब्लॉक/ तहसील/ तालुका/ मंडल आदि के लिये काम करना जिनमें कम से कम 20% आदिवासी हों, जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडीशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 190 जिलों में 1077 ब्लॉक्स में बिखरे हुए हैं।

बीआरएलएफ की विशिष्टता

बीआरएलएफ, ग्रामीण निर्धनों, खास तौर पर आदिवासियों, के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हरेक हस्तक्षेप का और अन्य क्षेत्रों में विषयवस्तु और रणनीति में मौलिकता वाले सभी प्रयत्नों का समर्थन करता है। ये मौलिकता तकनीक, सामाजिक जागृति की पद्धति, स्थानीय संस्थाओं के संगठन, भागीदारी की संरचना या प्रबंधन की तकनीक के संबंध में हो सकती है।

अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बीआरएलएफ निम्न मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है -

- आजीविका सुरक्षा के प्रधानमंत्री के उपक्रम का समर्थन करना
- किसानों की आय को दोगुना करना
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के कार्यक्रम के अनुरूप एनपीएम (कीटनाशक-रहित) कृषि - एक प्रकार की प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना
- अटल भूजल योजना के तहत भूजल प्रबंधन में सहभागी होना
- सरकार की प्रमुख योजनाओं में सुधार
- ग्रामीण रोजगार योजनाओं में मौलिक सुधार लाना
- कृषि उत्पाद और एनटीएफपी में मूल्य-शृंखला विकास करना
- पीवीटीजी के साथ मिलकर सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रों के लिये काम करना
- ग्रामीण व्यवसायियों का क्षमता विकास
- समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) का क्षमता विकास
- राज्यों के गैर सरकारी संगठनों से भागीदारी के लिये अवसर उत्पन्न करना
- गैर सरकारी संगठनों के समर्थन में पारदर्शिता लाना
- बीआरएलएफ का काम संयुक्त राष्ट्र संघ के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के सर्वथा अनुकूल है।

बीआरएलएफ का काम संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर लिखे दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के सर्वथा अनुकूल है।

बीआरएलएफ द्वारा समर्थित हरेक परियोजना को, सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे विशाल वित्तीय संसाधनों से, जैसे - बँक, केन्द्र सरकार की ध्वजवाहक योजनाएँ - मनरेगा, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि- से आर्थिक सहायता मिलती रहती है। बीआरएलएफ नागरिक सामाजिक संगठनों को इन सरकारी कार्यक्रमों से अनुदान प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे इन संगठनों को विश्वसनीयता प्राप्त होती है, जिसकी, क्षेत्र की विवादपूर्ण वास्तविकताओं के चलते उन्हें अत्यधिक जरूरत होती है। बीआरएलएफ अपनी क्षमता निर्माण योजनाओं के जरिये ऐसे विकासलक्षी व्यावसायिकों को उपलब्ध कराता है जो, सरकार , नागरिक सामाजिक संगठनों और समुदायों के विकास के उपक्रमों में सहायक होते हैं।

सरकार से प्राप्त होती वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नागरिक सामाजिक संगठनों को स्वयं अपने स्त्रोतों से भी निधि जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, प्रशासनिक कार्यों पर ग्रान्टी द्वारा (पेशेवर लोगों के वेतन के अतिरिक्त) फण्ड का कितना भाग खर्च किया जा सकता है इसकी भी सीमा निर्धारित है।

बीआरएलएफ के मुख्य स्तम्भ

रणनीतिक कार्यव्यवस्था के तीन स्तम्भों के माध्यम से बीआरएलएफ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये काम करने का प्रस्ताव रखता है - कार्यक्रम (भागीदारों को वित्तीय सहायता), क्षमता-निर्माण और अनुसंधान।

क्षमता-निर्माण

मूलभूत स्तर पर क्षमता की आवश्यकता और उपलब्धि के बीच के फासले को कम करना, सर्वोत्तम विकासलक्षी भागीदारों, शिक्षा-संस्थानों और विशेषज्ञों की भागीदारी से, जवाब देना

- विकास व्यवसायियों का प्रशिक्षण
- सरकारी कार्यकर्ताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों और नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमता-निर्माण
- बीआरएलएफ के भागीदारों और व्यवसायियों के सह-शिक्षण के लिये सुविधाएँ उपलब्ध कराना

वित्तीय सहायता

वित्तीय और तकनीकी समर्थन देकर नागरिक समाज का, खास तौर पर मध्य भारत के आदिवासियों का, सशक्तिकरण - सरकारी कार्यक्रमों के परिणामों को भागीदारी के माध्यम से सुधारना

- नागरिक सामाजिक संगठनों का मानव संसाधन और संस्थागत खर्च
- एनआरएम और रोजगार में प्रमाणित उपक्रमों को प्रोन्नत करना
- नाविन्यपूर्ण उपक्रम
- लघु नागरिक सामाजिक संगठनों का सशक्तिकरण
- राज्यस्तरीय संस्थाओं और नागरिक सामाजिक संगठनों को परस्पर एक-दूसरे के अभिमुख होने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना

अनुसंधान और ज्ञान केन्द्र

सूचनाओं का सर्जन और प्रसार - बीआरएलएफ के भागीदारों के अनुभवों के भण्डार से सीखना

- अनुसंधान अध्ययन, सरकार की ध्वजवाहक योजनाओं की नीतियों का संक्षिप्त वृतांत
- श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और नाविन्यपूर्ण उपक्रमों का केस स्टडी करना
- प्रकाशन, एनआरएम और रोजगार संबंधी नीति दस्तावेज, फेलोशिप और इन्टर्नशिप कार्यक्रम

बीआरएलएफ की शासन-व्यवस्था

बीआरएलएफ की साधारण सभा और कार्यकारिणी में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थाओं, नागरिक संगठनों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ऐसे परोपकारी संगठनों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल हैं जिन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समुदायों, खास तौर पर मध्य भारत के आदिवासी समुदायों के मसलों पर काम करने का प्रमाणित अनुभव, समझ और प्रतिबद्धता है।

बीआरएलएफ का प्रशासकीय ढाँचा इस तरह बनाया गया है कि वह मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ भागीदारी के लिये पोषक हो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य सरकारें, परियोजनाओं की अनुदेयी चयन प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग हैं। सभी संबंधित राज्य सरकारें पीजीएससी की सदस्य होती हैं और पीजीएससी की हरेक बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित होती हैं। आरम्भ से लेकर आज तक इस समिति की तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। राज्य-विशेष के साथ भागीदारी को और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से बीआरएलएफ ने, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडीशा की सरकारों के साथ समझौते भी किये हैं।

बीआरएलएफ द्वारा नियमानुसार आवश्यक साधारण सभा और कार्यकारिणी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती रही हैं। स्थापना से लेकर अब तक बीआरएलएफ ने ८ साधारण सभाएँ और कार्यकारिणी की १८ बैठकें आयोजित की हैं।

प्रशासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिये बीआरएलएफ बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है, जिसमें वित एवं लेखा समिति, विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के लिये समिति और मानव संसाधन समिति शामिल हैं। वित्तीय वर्ष २०१९-२० में दो नई समितियों का गठन किया गया - क्षमता-निर्माण के लिये सलाहकार समिति और अनुसंधान सलाहकार समिति।

बीआरएलएफ का संगठनात्मक ढाँचा

विशिष्ट व्यवसायियों, क्षेत्र-विशेषज्ञों और तकनीकी कार्यकर्ताओं की सहायता से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीआरएलएफ का संचालन करते हैं।

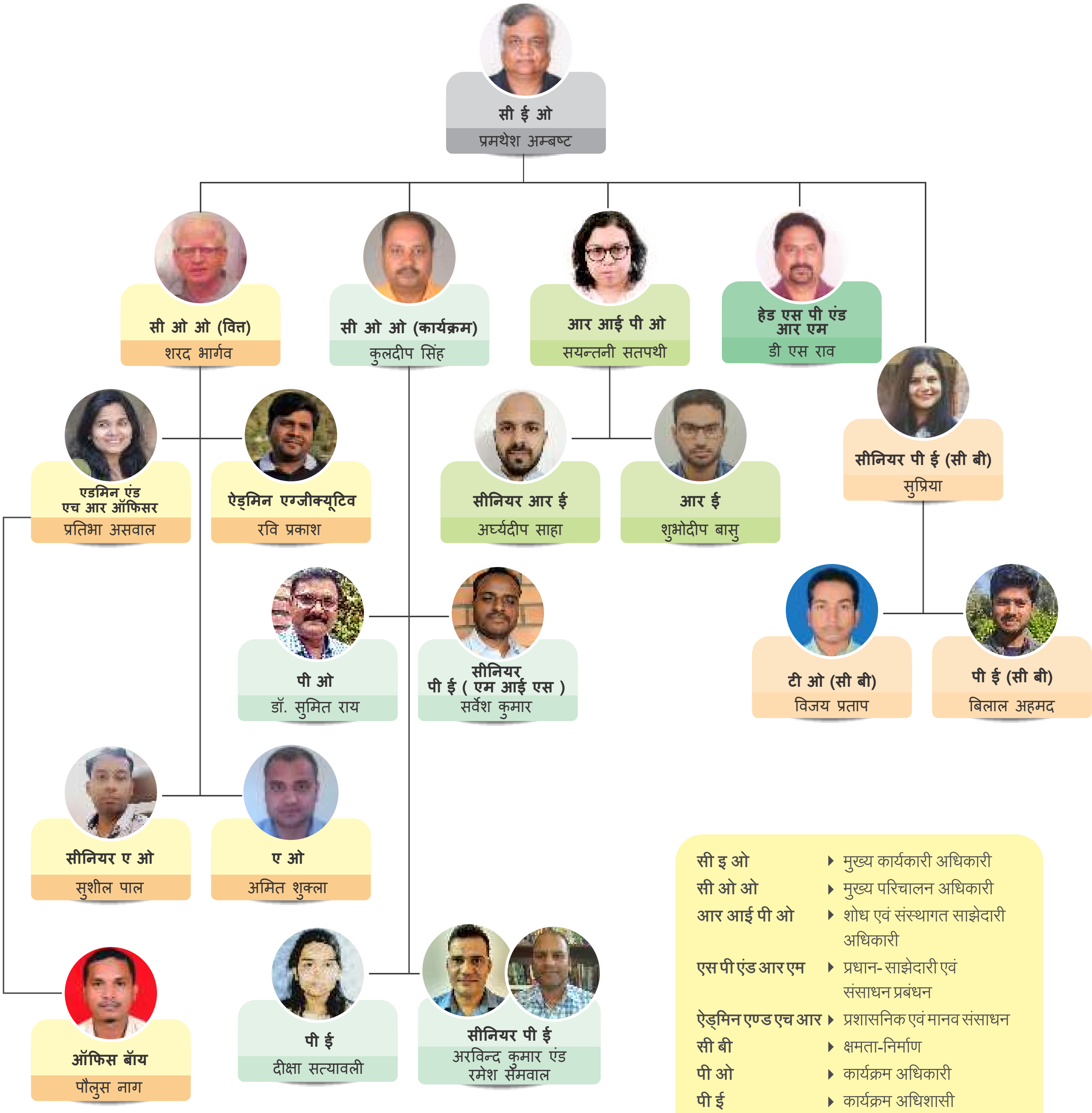

सी इ ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी ओ ओ	मुख्य परिचालन अधिकारी
आर आई पी ओ	शोध एवं संस्थागत साझेदारी अधिकारी
एस पी एंड आर एम	प्रधान- साझेदारी एवं संसाधन प्रबंधन
ऐड्मिन एण्ड एच आर	प्रशासनिक एवं मानव संसाधन
सी बी	क्षमता-निर्माण
पी ओ	कार्यक्रम अधिकारी
पी ई	कार्यक्रम अधिशासी
आर ई	शोध अधिशासी
टी ओ	प्रशिक्षण अधिकारी
ए ओ	लेखा अधिकारी

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों की दृष्टि से बीआरएलएफ ने अपनी आर्थिक और अन्य गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण, अपनी वेबसाईट पर, अपनी वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखा रिपोर्ट के माध्यम से सबके लिये उपलब्ध कराया है।

परियोजनाओं में सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये, बीआरएलएफ ने माइक्रोवेयर कम्प्यूटिंग एण्ड कन्सल्टिंग प्रा. लि. के तकनीकी सहयोग से, प्रस्ताव और परियोजना प्रबंधन के लिये अपना एक एमआइएस सॉफ्टवेयर वर्ष २०१८ में विकसित कर आरंभ किया है। बीआरएलएफ का यह सॉफ्टवेयर एक ऑनलाईन वास्तविक समय आधारित प्रणाली है, जो नागरिक सामाजिक संगठनों को किसी भी समय अपने पंजीकरण की सुविधा देती है। बीआरएलएफ के 'कॉल फॉर प्रोपोसल' के समय इन सभी पंजीकृत संगठनों को अपना प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा भी इस सॉफ्टवेयर से उपलब्ध होती है। मूल्यांकन के लिये आगे भेजने से पहले इन प्रस्तावों की समीक्षा ऑनलाईन की जाती है और बाद में उसे प्रोजेक्ट ग्रान्टी एण्ड सिलेक्शन कमिटी के सामने अन्तिम अनुमोदन के लिये भेजा जाता है। भागीदारों के स्तर तक यह सॉफ्टवेयर पारदर्शिता बनाए रखता है, जिससे प्रस्तावों की सद्य: स्थिति का ऑनलाईन पता किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बीआरएलएफ और उसके भागीदार परियोजनाओं के विकास और निष्पादन परा नजर रख सकते हैं। यह टूल परियोजनाओं के सुचारु और समयबद्ध संचालन केलिये अधिसूचनाएँ जारी करता रहता है। सभी परियोजना प्रस्ताव और उनकी प्रगति संबंधी आँकड़े, विश्लेषण के लिये और डाऊनलोड करने के लिये, सभी भागीदारों को सहज सुलभ होते हैं। इस प्रणाली में निम्न बातें शामिल हैं -

- भागीदारों का पंजीकरण और सत्यापन (बड़े भागीदारों की भौगोलिक स्थिति भी) - पहचान और अनुमोदन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति
- प्रस्ताव प्रबंधन - प्रस्ताव लेखन, प्रस्तुति, प्रस्ताव समूह प्रबंधन और प्रतिक्रिया प्रबंधन
- परियोजना प्रबंधन - संगठनों के साथ जानकारी साझा करना, अनुमोदित परियोजनाओं का निर्माण, वार्षिक परियोजनाओं का निर्माण और वास्तविक समय आधारित रिपोर्टिंग
- विशिष्ट पहचान क्रमांक आवंटन के साथ व्यक्तिगत घरेलु आधार-रेखा - व्यक्तिगत घरेलु आधार-रेखा के माध्यम से विषय-वस्तु और भौगोलिक आधार पर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट बनाना।

बीआरएलएफ सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आता है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षण के अधीन है। बीआरएलएफ का स्थापना से लेकर वितीय वर्ष २०१७-१८ तक का लेखा परीक्षण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सफलतापूर्वक किया जा चुका है। बीआरएलएफ की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होती है। बीआरएलएफ की लेखा-परीक्षण रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बीआरएलएफ द्वारा दिया जाता है।

बीआरएलएफ के हस्तक्षेपों का भौगोलिक विस्तार

प्रारम्भिक तौर पर बीआरएलएफ ने अपना ध्यान कम-से-कम 20% आदिवासी आबादी वाले ब्लॉक्स/तहसील/ तालुका/ मंडल पर केन्द्रित किया है जिनमें मध्य भारत के 190 जिलों के 1077 सर्वाधिक पिछड़े ब्लॉक्स का समावेश होता है। वर्तमान में बीआरएलएफ आजीविका-लक्षी परियोजनाओं का कार्यान्वयन, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडीशा और पश्चिम बंगाल में कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 59 नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ काम कर रहा है, जो 8 राज्यों के 86 जिलों में, 251 ब्लॉक्स के 8288 ग्रामों की ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं और उनके काम से 640144 परिवार प्रभावित होते हैं जो अनुसूचित जनजाति की आबादी का 94% और महिलाओं का 78% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

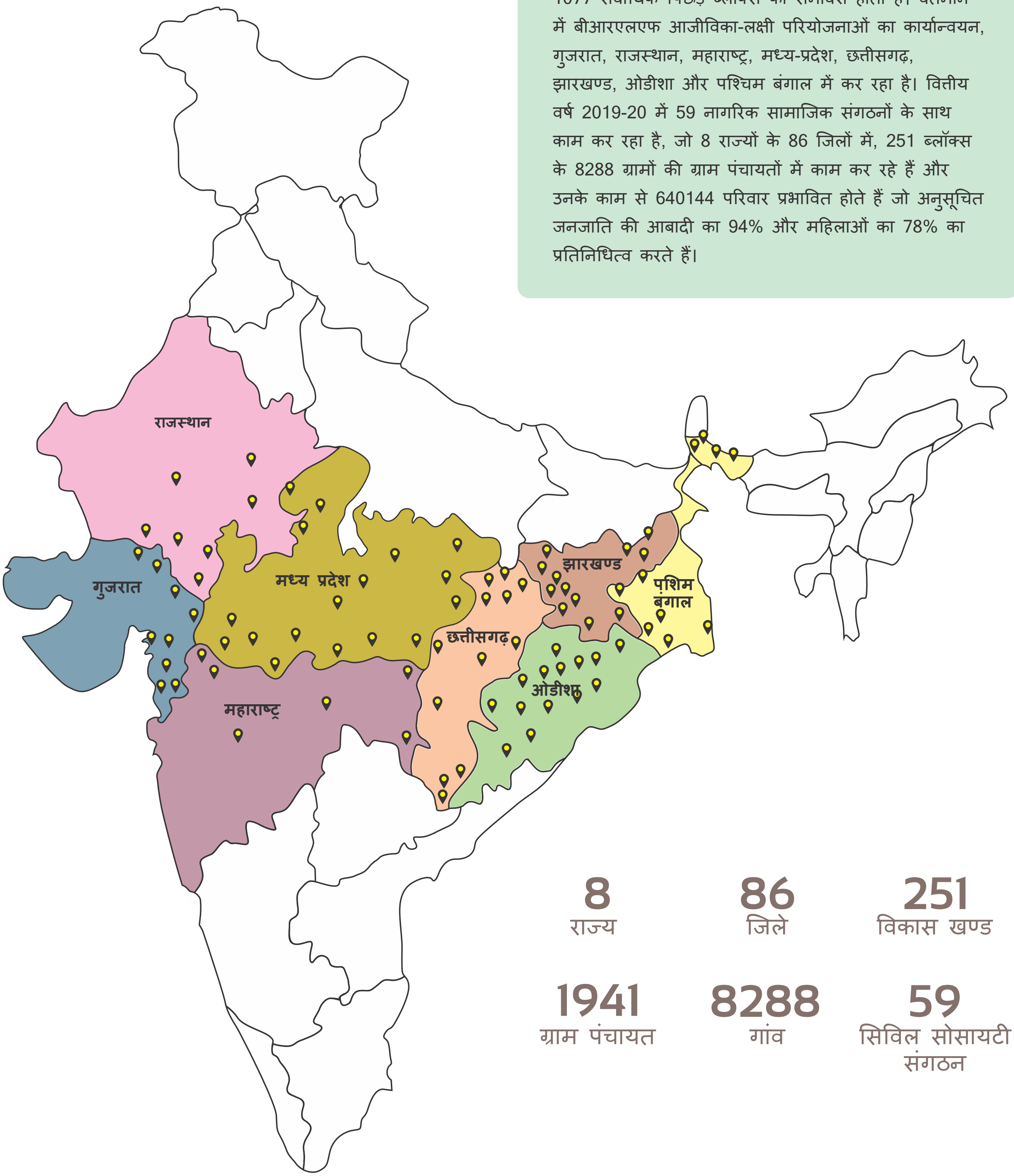

8 राज्य	**86** जिले	**251** विकास खण्ड
1941 ग्राम पंचायत	**8288** गांव	**59** सिविल सोसायटी संगठन

झारखण्ड

भागीदार - भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन, विकास सहयोग केन्द्र, एक्शन फॉर सोशियल एड्वान्समेन्ट,नवभारत जागृति केन्द्र, नेटवर्क फॉर एन्टरप्राईज, एन्हान्समेन्ट एण्ड डेवलपमेन्ट सपोर्ट, प्रवाह, रूरल डेवलपमेन्ट असोसिएशन, टागोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेन्ट, सोसायटी फॉर अपलिफ्टमेन्ट ऑफ पीपल विथ पीपल्स ऑर्गेनाईजेशन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी

जिले - खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, पलामु, पूर्वी सिंहभूम, लोहारडागा, पश्चिमी सिंहभूम, देवगढ़, गोड्डा, दुमका, गुमला

मध्य प्रदेश

भागीदार - आगाखान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन, परहित समाज सेवा संस्था, निस्वार्थ सार्थक प्रयास एवं परिवार कल्याण समिति, धरती ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति, कल्पतरु विकास समिति, सेल्फ रिलायन्ट इनीशिएटिव थ्रू जोइन्ट एक्शन, फाउण्डेशन फॉर ईकोलोजी सिक्योरिटी, ग्राम सुधार समिति, बुन्देलखण्ड डेवलपमेन्ट अलायन्स

जिले - बरवानी, धार, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बेतूल, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, मण्दला, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, कटनी, पन्ना, दमोह, राईसेन, सहदोल

महाराष्ट्र

भागीदार - भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन, सेल्फ रिलायन्ट इनीशिएटिव थ्रू जोइन्ट एक्शन, फाउण्डेशन फॉर ईकोलोजी सिक्योरिटी, सन्जीवनी इन्स्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेन्ट एण्ड डेवलप्मेन्ट, कलेक्टिव्स फॉर इन्टीग्रेटेड लाईवलीहुड्स इनीशिएटिव, लुपीन ह्युमन वेल्फेयर एण्ड रीरुच फाउण्डेशन

जिले- गढ़चिरोली, नन्दुरबार, गोन्दिया, यवतमाल, धुले, पुणें

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर ओडीशा

भागीदार - अधिकार, जन मुक्ति अनुष्ठान, अंचलिका जन सेवा अनुष्ठान, विकल्प, लोकदृष्टि, श्रमिक शक्ति संघ, बलनगीर ग्रामोद्योग समिति, जनसहज्य, सोशियल एजुकेशन फॉर वीमेन्स अवेयरनेस, संबलपुर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट, आईडियल डेवलपमेन्ट एजेन्सी, फाउण्डेशन फॉर ईकोलोजी सिक्योरिटी, हर्ष ट्रस्ट, सृष्टि, प्रदान, सेंटर फॉर यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेंट, यूथ काउन्सल फॉर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिवस

जिले: रायगड़ा, कांडमाल, मयूरभंज, कोरापुट, कियोनझर, कालाहांडी, ढेनकेनाल, झारसूगुड़ा, सम्बलपुर, बोलनगीर, नौपाडा, बौद्ध, देओगढ़, अंगुल

राजस्थान

भागीदार - भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन, सेल्फ रिलायन्ट इनीशिएटिव थ्रू जोइन्ट एक्शन, फाउण्डेशन फॉर ईकोलोजी सिक्योरिटी, वोलन्टरी असोसिएशन ऑफ एग्रीकलचरल जनरल डेवलपमेन्टहेल्थ एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन अलायन्स

जिले - सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक

पशिम बंगाल

भागीदार - दिगम्बर अंगीकार, राजारहाट प्रसारी

जिले- जलपाईगुडी, उत्तर २४ परगना

गुजरात

भागीदार - आगाखान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया, भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन, , फाउण्डेशन फॉर ईकोलोजी सिक्योरिटी, एनएम सद्गुरु फाउण्डेशन, विकसत, श्रॉफ फाउण्डेशन ट्रस्ट

जिले - डांग, व्यारा/तापी, नवसारी, वलसाड, सूरत, महीसागर, दाहोद, साबरकांठा, छोटा उदेपुर.

उच्च प्रभाव वाला मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़

भागीदार - सेन्टर फॉर एक्शन रीसर्च एण्ड मेनेजमेन्ट फॉर डेवलपिंग एटीट्यूडस, नॉलेज, एण्ड स्किल्स इन ह्यूमन रिसोर्स, चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, संगत सहभागी ग्रामीण विकास संस्थान, सरगुजा ग्रामीण विकास संस्थान, सहभागी समाज सेवी संस्था, एग्रोक्रैट्स सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेन्ट , बस्तर सेवक मण्डल, प्रोफेशनल असिस्टेन्स फॉर डेवलपमेन्टेक्शन, शमयिता मठ, लोक शक्ति समिति

समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट, समर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट, सेल्फ रिलायन्ट इनीशिएटिव थ्रू जोइन्ट एक्शन

जिले - कोर्बा, सरगुजा, बलरामपुर, कांकेर, धमतरी, बस्तर, कोरिया, दांतेवाड़ा, रायगढ़, सुक्मा, कबीरधाम, सूरजपुर

ऊषरमुक्ति, पश्चिम बंगाल

भागीदार - डेवलपमेन्ट रीसर्च कम्यूनिकेशन एण्ड सर्विस सेन्टर, टागोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेन्ट, रूरल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन, लोक कल्याण परिषद, प्रोफेशनल असिस्टन्स फॉर डेवलपमेन्ट एक्शन, शमयिता मठ.

जिले - पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपु

ऊषरमुक्ति, पश्चिम बंगाल

भागीदार - राजारहाट प्रसारी

जिले - अलिपुरद्वार, दार्जीलिंग, कलिंगपोंग, जलपाईगुड़ी

2 बीआरएलएफ का जमीन पर कार्य

पृष्ठभूमि

मध्य भारत के नागरिक सामाजिक संगठनों के कार्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बीआरएलएफ ने दो 'कॉल्स फॉर प्रोपोजल'* घोषित किये। समुदाय आधारित संगठनों के चयन के लिये कॉल फॉर प्रोपोजल एक बहुत कड़ी भौतिक और वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन पर निर्भर करता है, साथ ही उनके वास्तविक जमीनी कार्य का भी मूल्यांकन किया जाता है। नागरिक सामाजिक संगठनों के चुने गए प्रस्तावों को प्रोजेक्ट ग्रान्टी एण्ड सिलेक्शन समिति के समक्ष रखा जाता है। यह समिति, बीआरएलएफ की मुख्य कार्यकारिणी की सर्वोच्च समिति है, जो नागरिक सामाजिक संगठनों के अन्तिम चयन के लिये अधिकृत है। इन दो कॉल फॉर प्रोपोजल के माध्यम से बीआरएलएफ उन 59 नागरिक सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जो, क्षेत्र के ग्रामीण समुदायों के साथ उनकी अभावग्रस्त, और निर्धन स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये बड़े पैमाने पर आजीविका परियोजनाएँ नियोजित एवं कार्यान्वित करते हैं।

बीआरएलएफ की परियोजनाओं में सह-वित्त और अन्य उत्तोलन

स्थापना के बाद से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक बीआरएलएफ ने नागरिक सामाजिक संगठनों के लिये ₹89.77करोड़ अनुदान के रूप में समर्पित किये हैं, जबकि भागीदारों ने संचित रूप से ₹1024.32 करोड़ की राशि सरकारी योजनाओं से उत्तोलन केरूप में जुटाई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये नागरिक सामाजिक संगठनों ने कुल ₹113.52 करोड़ जुटाए हैं और बीआरएलएफ और राज्यों ने भागीदारी में ₹371.47 करोड़ जुटाए हैं।

स्थापना के बाद बीआरएलएफ की परियोजनाओं में सह-वित्त और अन्य उत्तोलन

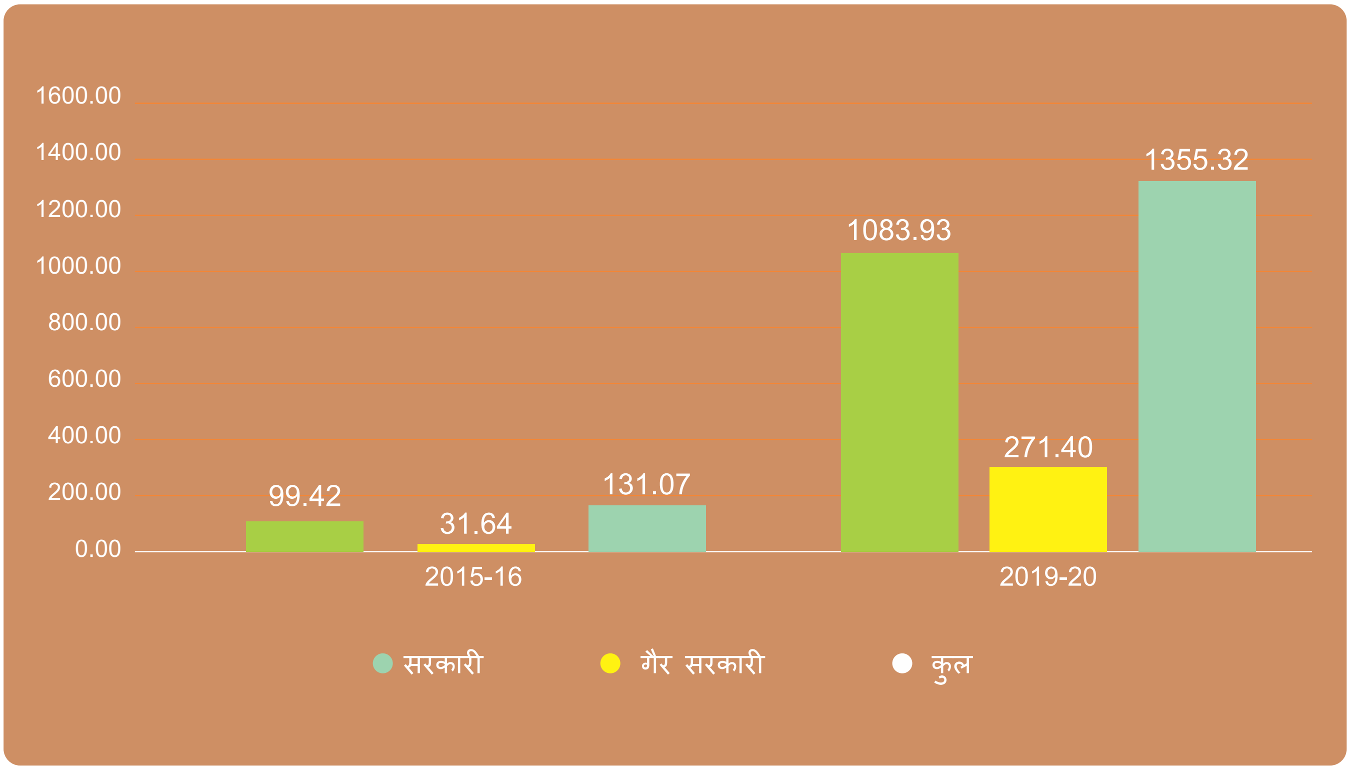

बीआरएलएफ भागीदारों द्वारा अर्जित सहयोग (करोड़ में)

संगठन का नाम	कुल अर्जन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एकेआरएसपीआई	37.35	7.30	9.33	1.58	6.68	12.47
बीएआइएफ	105.46	9.51	23.99	20.72	29.90	21.34
एफईएस	37.54	7.58	8.71	12.27	5.38	3.60
लुपीन	15.65	0.71	5.71	2.05	5.59	1.59
प्रदान	58.05	20.77	23.53	13.74	0.00	
सेवा	6.06	0.14	1.59	3.77	0.56	
सृजन	40.20	4.80	17.15	8.05	7.93	2.27
वीएसके	29.45	17.42	3.85	4.59	2.18	1.41
डब्लुओएनसी	19.47	0.40	7.62	7.30	4.15	
वायसीडीए	9.42	0.18	0.92	1.48	4.17	2.67
प्रसरी	12.99	0.04	4.17	3.20	4.77	0.82
सीआईएनआई	102.92	12.57	21.83	31.01	16.71	20.80
डीए	6.69	0.00	0.06	1.03	3.73	1.87
परहित कोन्सोर्शियम	24.40	3.08	19.38	1.93	0.00	
बीडीए	6.15				1.80	4.35
जीएसएस	7.41				2.57	4.84
आईडीए	1.42				1.42	
एसआईडीआई	6.72				4.75	1.97
वागधारा	12.52				1.23	11.29
परहित	6.90				1.35	5.55
कल्पतरु	2.99				2.21	0.78
निस्वार्थ	1.45				0.18	1.27
धरती	7.01				4.64	2.37
जनसहज्य	0.69				0.49	0.20
एसएफटी	7.59				1.74	5.85

राज्य से अर्जित भागीदारी

संगठन का नाम	कुल अर्जन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ऊषर-मुक्ति	342.80				72.26	270.54
स्प्रिंगशेड	7.91				4.31	3.6
एपीसी प्रोजेक्ट	42.48				3.55	38.93
मेगा वाटरशेड	46.48					46.84
राज्य भागीदारी से अर्जित कुल राशि	440.030.	0.00	0.00	0.00	80.12	359.91
मार्च 2020 तक कुल अर्जन	1006.55	84.50	147.84	112.73	194.26	467.22

बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीआरएलएफ 8 राज्यों के 86 जिलों, 251 ब्लॉक्स, 8288 ग्रामों की 1866 ग्राम पंचायतों में 59 नागरिक सामाजिक संगठनों के माध्यम से काम कर रहा है और 640144 परिवारों को प्रभावित कर रहा है जिनमें अनुसूचित जाति के 94% और महिलाओं के 78% हैं।

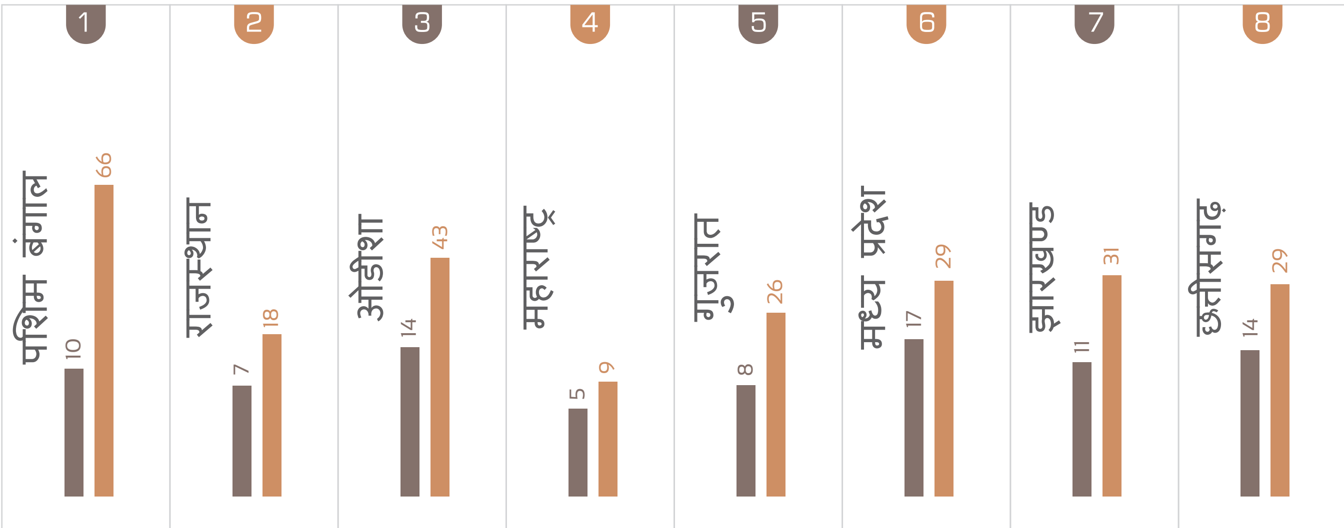

स्थापना के बाद से बीआरएलएफ में विकास

■ जिले ■ विकास खण्ड

बीआरएलएफ की पहुँच (संचित)

स्थापना के बाद से ग्राम एवं ग्राम पंचायत तक पहुँच

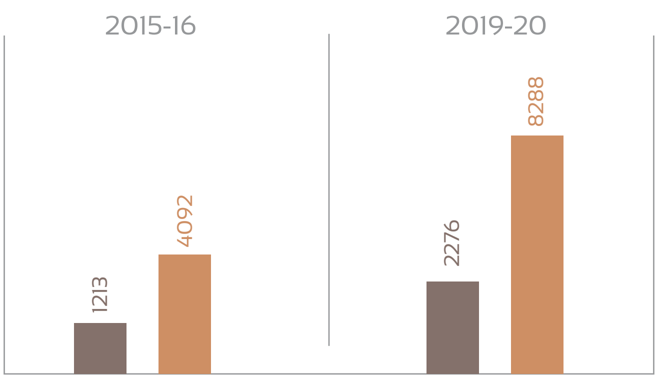

■ ग्राम पंचायत की संख्या ■ गांव की संख्या

स्थापना के बाद से कुल परिवारों एवं अ.ज.जा. परिवारों तक पहुँच

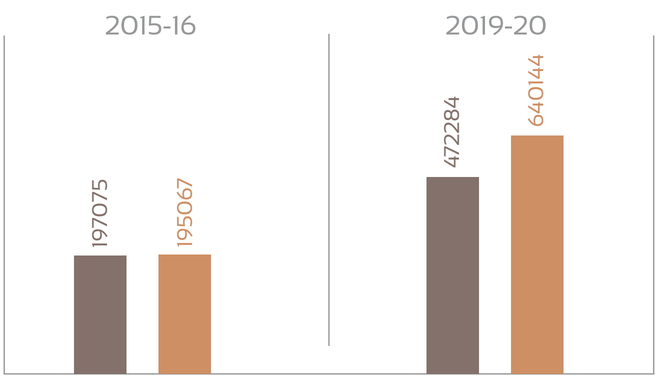

■ हेक्टेअर कवरेज ■ घरेलू कवरेज

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीआरएलएफ ने संग्रहित परियोजना जानकारी की समीक्षा कर उसकी छँटाई की है व उसको अपने एमआईएस में हस्तांतरित किया है। इसके कारण इस रिपोर्ट और गत वार्षिक रेपोर्टों में दिए गए आँकड़े भिन्न हो सकते हैं। इस रिपोर्ट मे दिए आँकड़े अंतिम माने जाएंगे।

संस्था-निर्माण

बीआरएलएफ नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मध्य भारत के जनजाति क्षेत्र के आदिवासी लोगों के स्व-सहायता समूह और सामूहिक संस्थाओं का गठन करता है ताकि उन्हें सामूहिक कार्य करने के लिये मंच मिल सके.

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	मार्च 2020 तक कुल उपलब्धि
कुल स्व-सहायता समूह	2202	20264	7993	8560	8114	47133
कुल सदस्य संख्या	24222	235038	90652	98551	171128	619591
स्व-सहायता समूहों में कुल परिवार	74952	110780	53613	106608	161862	507815
एनआरएलएम के साथ जुड़े स्व-स.स.	7911	4861	6623	2863	1924	24182
स्व-स.स. की बचत (रु लाख में)	1251	1810	2446	1365	1820	8693
बैंक से जुड़े स्व-स.स.की संख्या	9046	3064	6850	1722	1439	22121
बैंकों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज (रु लाख में)	1127	1957	4167	1828	1642	10721

ग्रामीण समुदाय का क्षमता-निर्माण

बीआरएलएफ और नागरिक सामाजिक संगठन समुदायों में विभिन्न हितधारकों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षमता-निर्माण में सहायता करते हैं।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	मार्च 2020 तक कुल उपलब्धि
सामुदायिक संसाधन व्यक्तिओं के निर्माण की संख्या	2035	4146	1468	845	1423	9917
महिला सा.सं. व्य. की संख्या	757	2526	1024	509	869	5685
विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यो की संख्या	11726	21554	29158	7122	8765	78325
समुदाय के प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या	102186	242048	378256	189228	163747	1075465
प्रशिक्षित महिला सदस्यों की संख्या	85168	193129	305787	154416	130187	868687
प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या प्राप्त कर्ज (रु लाख में)	247	1286	1516	1598	1712	6359

कृषि

मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र के आदिवासियों के आजीविका के साधनों में कृषि एक मुख्य साधन है। बीआरएलएफ नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इन समुदायों के लिये कृषि-आधारित दीर्घकालिक आजीविका के लिये अनेक प्रकार के कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	मार्च 2020 तक कुल उपलब्धि
उन्नत कृषि से जुड़े परिवारों की संख्या (उन्नत बीज, बीज संस्करण, प्रकार परिवर्तन आदि)	33597	150610	154528	157276	170918	666929
एसआरआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	23175	55051	87455	66375	75222	307278
एसआरआई के तहत क्षेत्र (हेक्टेअर में)	3298	10773	16629	15095	21869	67665
एसडब्लुआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	3065	24789	52302	47076	43801	171033
एसडब्लुआई के तहत क्षेत्र(हे. में)	305	7664	15353	15290	15305	53916
एनपीएम/सीए अपनाने वाले परिवारों की संख्या	2327	7069	22148	31810	36970	100324
एनपीएम/सीए के तहत क्षेत्र	857	2339	7209	20792	14817	46014
उन्नत सब्जी उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	20214	34359	106160	76553	89330	326616
उन्नत सब्जी उत्पादन के तहत क्षेत्र	2410	8894	11249	15324	93411	131288
उन्नत सब्जी उगाने के लिये बनाए गए शेडनेट की संख्या	32	2283	8508	2222	3791	16836
बागबानी संवर्धन के तहत क्षेत्र	2165	2583	2533	21744	2856	31881

बागबानी के लिये विकसित ईकाईयों की संख्या	5028	6991	7005	11498	7393	37915
बागबानी संवर्धन से जुड़े परिवारोंकी संख्या	9201	13097	11931	16016	8905	59150
धान के प्रत्यारोपण से जुड़े परिवारों की संख्या	702	22192	9042	6402	7398	45736
धान प्रत्यारोपण के तहत क्षेत्र	354	4543	3704	2858	1759	13219
उन्नत दलहन और तिलहन उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	32484	35088	75202	43399	58703	244876
उन्नत दलहन और तिलहन उत्पादन के तहत क्षेत्र	6777	5040	16731	13429	18879	60855
रसोई-वाटिका से जुड़े परिवारों की संख्या	2015	9544	16863	10763	22763	61948
बाढ़ और क्षार सहिष्णु धान के उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	1027	207	5772	1079	588	8673
कृषि संवर्धन से जुड़े कुल परिवारों की संख्या (परस्पर व्याप्त को छोड़कर)	49466	100060	185120	13671	128023	476340

पशुधन विकास

मध्य भारत के सूखे क्षेत्रों में बसने वाले आदिवासी परिवारों के लिये आजीविका की विभिन्नता बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजगार में विभिन्नता अतिरिक्त आय और अन्न की सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिये बीआरएलएफ ने पशुधन विकास का कार्य शुरु किया है। नागरिक सामाजिक संगठन आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर डेयरी विकास, बकरी पालन, मत्स्यपालन, सुअर पालन, घर के प्रांगण में मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहन देते हैं। बीआरएलएफ और नागरिक सामाजिक संगठन मिलकर टीकाकरण, पशु आहार, आश्रय, नस्ल सुधार आदि में भी समुदायों की सहायता करते हैं।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	मार्च 2020 तक कुल उपलब्धि
डेयरी विकास से जुड़े परिवारों की संख्या	2818	6477	38750	35688	40297	124030
बकरी पालन से जुड़े परिवारों की संख्या	10557	16426	59573	85624	81989	254169
मुर्गीपालन ईकाईयों से जुड़े परिवारों की संख्या	1365	5436	1766	3898	10371	22836
घर के प्रांगण मुर्गीपालन करने वाले परिवारों की संख्या	2540	6917	10375	11737	15746	47315
म्त्स्यपालन/शूकर पालन में जुड़े परिवारों की संख्या	5237	1211	3511	4848	5193	20000
टीकाकरण, पशु आहार, आश्रय नस्ल सुधार के माध्यम से सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	8182	30897	91837	103117	144441	378474

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

पिछले वर्षों में मध्य भारत का जनजातीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का आदिवासियों के परंपरागत रोजगारों पर विपरीत असर हुआ है।

अतः बीआरएलएफ , नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ऐसे अनेक उपक्रमों पर काम कर रहा है जो भूमि और जल संसाधनों के दीर्घकालिक प्रबंधन पर केन्द्रित हैं।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	मार्च 2020 तक कुल उपलब्धि
वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र	882	694	1266	14214	5231	22287
वृक्षारोपण से लाभान्वित परिवारों की संख्या	3294	2357	4800	3296	5177	18924
एनटीएफपी की मूल्य शृंखला की संख्या	2391	11705	16251	8914	8301	47562
स्थापित किये गए एमएफपी के संग्रहण केन्द्रों की संख्या	0	22	145	342	295	804
निर्माण किये गए जलसंचयन के ढाँचों की संख्या	2328	4410	4436	3181	3969	18324
जलसंचयन के ढाँचों से लाभान्वित होते परिवारों की संख्या	36744	17830	87031	80620	14431	236656
खोदे गए कुँए	294	593	1267	1137	1689	4980
खोदे गए कुँओं से लाभान्वित पतिवारों की संख्या	2120	1029	1460	1483	1506	7598
भूमि-विकास (मेढ़बंदी आदि) के तहत क्षेत्र	5379	3243	4859	4123	19430	37034
निश्चित सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र	5800	10169	6728	32104	3697	58498
परती भूमि विकास के तहत शामिल किया गया क्षेत्र	165	1305	1474	1869	2162	6975
विकास के उपायों से प्रभावित परिवारों की संख्या	10125	7152	10619	8212	6989	43097

अधिकार एवं हक

ऐसी अनेक सरकारी योजनाएँ हैं जिनका उद्देश्य आदिवासियों को आमदनी, गुणवत्तायुक्त जीवन, स्वास्थ्य, भूमि पर अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आदिवासियों के दीर्घकालिक विकास के लिये सामाजिक सुरक्षा को आजीविका संबंधी हस्तक्षेप से जोड़ने पर बीआरएलएफ बल देता है। इसीलिये, नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बीआरएलएफ, अधिकतम आदवासी परिवारों को इन प्रमुख ध्वजवाही योजनाओं से जोड़ने के लिये काम करता है।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	मार्च 2020 तक कुल उपलब्धि
वनाधिकार अधिनियम से लाभान्वित परिवारों की संख्या	1360	897	2235	2583	573	7648
निपटाए गए एफआरए के दावों की संख्या	493	698	922	1419	364	3896
स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े परिवारों की संख्या	10790	34343	54832	16268	26824	143057
सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े परिवारों की संख्या	4349	18819	45056	24067	9558	101849
जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े	3893	12146	25081	10083	5105	56308
जन धन योजना से जुड़े परिवारों की संख्या	17840	66272	86403	20513	15165	206193
मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़े परिवारोंकी संख्या	2267	8257	11725	13806	12821	48876
मनरेगा के अन्तर्गत लाए गए परिवारों की संख्या	1161	53437	51388	16152	19413	141551
आवास योजना के अन्तर्गत लाए गए परिवारों की संख्या	340	2211	11318	4410	3532	21811
फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाए गए परिवारों की संख्या	21	8229	18586	13965	20560	61361
ग्रामीण पेय जल/ स्वच्छता योजना से समर्थित परिवारों की संख्या	5240	9720	21941	13494	12686	63081
अन्य ध्वजवाहक योजनाओं से जुड़े परिवारों की संख्या	13195	53277	31911	24915	12241	135539
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से (रेशन कार्ड, जॉब कार्ड, पेन्शन आदि) लाभान्वित परिवारोंकीसंख्या	87318	70786	67521	31095	17149	273869
अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं (कृपया नाम लिखें) से लाभान्वित परिवारों की संख्या	13073	102	97764	16829	7284	135052
उज्ज्वला योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या	-	-	-	900	2806	3706
आयुष्मान योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या	-	-	-	187	1478	1665
किसान सम्मान निधि से लाभान्वित परिवारों की संख्या	-	-	-	1019	1113	2132

राज्य सरकारों की साझेदारी में चलने वाली उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएँ

केन्द्र सरकार की अनेक प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार राज्य सरकारों और नागरिक सामाजिक संगठनों की भागीदारी दोनों के लिये लाभकारी है। जब ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो योजनाओं के कार्यान्वयन को एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। राज्य सरकारों की सहभागिता से नागरिक सामाजिक संगठनों को तंत्र के हर स्तर पर कार्यान्वयन के लिये अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। नागरिक सामाजिक संगठन इससे लाभान्वित होते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रयासों को तत्काल बढ़ाने के अवसर मिलते हैं और बड़े पैमाने पर अपने प्रयासों के परिणामों को वे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी लाभान्वित होती हैं, क्योंकि नागरिक सामाजिक संगठनों की विभिन्न स्तरों पर, गहन भागीदारी राज्य सरकारों के लिये अद्भुत सामाजिक पूंजी का निर्माण करती है, जो इस तरह के हस्तक्षेपों में सहायक सिद्ध होती हैं; अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि होती है, परिणामों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, क्योंकि सभी प्रयास लोकाभिमुख होते हैं।

बीआरएल एफ राज्य स्तरीय भागीदारी बनाने में सफल रहा है जिसकी शुरुआत कमिशनर मनरेगा और पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर, पश्चिम बंगाल के चार जिलों में चलाए गए स्प्रिंग शेड रिजुवेनेशन प्रोग्राम से हुई। इसके बाद मनरेगा सेल के साथ भागीदारी में पश्चिम बंगाल के 6 जिलों के 55 ब्लॉक्स में ऊषरमुक्ति प्रोग्राम (मेगा वाटरशेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है और एक मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भागीदारी में, 12 जिलों के 26 ब्लॉक्स में , एक्सिस बैंक के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, ओडीशा के 40 सबसे अधिक पिछड़े विकास खण्डों के एक लाख किसानों की आय को दोगुना करने के लिये बीआरएलएफ ने बागबानी विभाग और ओडीशा आजीविका मिशन के साथ भागीदारी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर कार्यक्रम की परिकल्पना की जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। चालु वित्त वर्ष में , झारखण्ड के ग्रामीण विकास विभाग के साथ मनरेगा आधारित एक वाटरशेड प्रोजेक्ट के लिये चर्चा अपने अंतिम स्तर पर है।

ऊषरमुक्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल

ऊषरमुक्ति परियोजना की शुरुआत, पश्चिम बंगाल की सरकार ने बीआरएलएफ और 'प्रदान' के नेतृत्व में सात नागरिक संगठनों की भागीदारी के साथ 2017 में की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने (पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग), मनरेगा विभाग के क्षमता निर्माण के लिये और जमीनी स्तर पर वाटरशेड योजना बनाने में तकनीकी सहायता देने के लिये बीआरएलएफ को आमंत्रित किया। पश्चिम बंगाल के मनरेगा सेल और बीआरएलएफ के बीच, अगस्त 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, यह परियोजना अगस्त 2021 में पूरी होगी। ऊषरमुक्ति या अनुर्वरता से या सूखे से मुक्ति , मनरेगा के कार्यान्वयन में जलोत्सारण क्षेत्र के विकास की अवधारणा एवं सिद्धांतों पर आधारित है। यह परियोजना , मनरेगा के कार्यान्वयन में जलोत्सारण के सिद्धांतों का पालन करता है ताकि विस्तृत उपचार के माध्यम से दीर्घकालिक आधार पर आजीविका को बढ़ाया जा सके।

ऊषरमुक्ति का एक उद्देश्य पश्चिम बंगाल की सात मृतप्राय नदियों को, जल और भूमि संरक्षण के माध्यम से पुनर्जीवित करना भी है ताकि कृषि उत्पादकता और जैव विविधता में सुधार लाया जा सके। इस परियोजना का क्षेत्र के जलतत्व पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे कृषि आधारित आजीविका के अनगिनत अवसर उपलब्ध होंगे। अनुमान है कि इससे 5 लाख साधनहीन परिवार लाभान्वित होंगे और चार लाख हेक्टेअर से ज्यादा ऊसर भूमि को उत्पादक बनाया जा सकेगा। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 6 जिलों - पुरुलिया, झारग्राम, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम बर्धमान, के 54 विकास खण्डों, 10091 ग्रामों, 384 ग्राम पंचायतों में 2044 सूक्ष्म जलोत्सारण योजनाओं का समावेश होता है।

जमीन पर कार्यान्वयन में जो नागरिक सामाजिक संगठन कार्यरत हैं, वे हैं -

- डेवलपमेण्ट रीसर्च कम्यूनिकेशन एण्ड सर्विस सेन्टर
- टागोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेण्ट
- रूरल डेवलपमेण्ट असोसिएशन
- शमयिता मठ
- लोक कल्याण परिषद
- प्रदान (प्रमुख ना.सा. सं.)
- प्रसारी (फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा समर्थित)

- **6 जिले**
- **472 जी पि एस**
- **२०८० छोटी झरनाधारा**
- **१४ लाख एच ए व्याप्ति**
- **55 विकास खण्ड**
- **10091 गांव**

परियोजना का लक्ष्य

ऊषरमुक्ति परियोजना, पहाड़ी से घाटी तक के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, जल एवं मृदा संरक्षण पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है, जिससे बंगाल की नदियाँ और उनके जलग्रहण क्षेत्र पुनर्जीवित हो सके और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव भी कम हों। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के कार्यान्वयन से, समुदायों को बदलती जलवायु से अनुकूलन साधने में सहायता मिलेगी, कृषि की पद्धतियों में विविधता आएगी और वे घनीभूत होंगी, कृषि के संसाधनों के प्रबंधन में सुधार आएगा जिससे अतिरिक्त आय का जरिया बनेगा साथ ही आमदनी के वैकल्पिक स्त्रोत भी बनेंगे, परिणामतः सामाजिक पूंजी में बढोतरी होगी और लोगों, पंचायती राज संगठनों और सरकारों के आपसी रिश्तों में भी सुधार आएगा।

वर्ष के दौरान कार्य के केन्द्रबिंदु और रिपोर्ट के समय के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है -

- जलोत्सारण के सिद्धांतों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और उसे ऊषरमुक्ति के पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- 2019-20 में ऊषरमुक्ति का केन्द्रबिंदु जलोत्सारण की विस्तृत रिपोर्ट को जमीन पर कार्यान्वित करना था। 2019-20 में मृदा संरक्षण और वर्तमान आर्द्रता की यथास्थिति बनाए रखने के लिये शामिल क्षेत्र का क्षेत्रफल 91,691 हेक्टेअर है, और जलसंग्रहण ढाँचों और जलनिकास मार्गो के उपचार के लिये शामिल किये गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 67,222 हेक्टेअर है।
- 1800 प्रशिक्षित धारा-सेवक (राज्य सरकारों के मनरेगा के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता) और स्थानीय परियोजना निगरानी टीम, जलोत्सारण के सिद्धांतों के जमीन पर कार्यान्वयन में, नागरिक सामाजिक संगठनों , विकासखण्ड और ग्राम पंचायतों की टीम के साथ मिलकर कार्यरत हैं।
- विकासखण्ड स्तर पर काम को सुविधाजनक बनाने के लिये, विकासखण्ड स्तर की 54 कोर टीमों का गठन किया गया जो परियोजना को मूलभूत स्तर पर कार्यान्वित कर रहे हैं।
- एनआरईजीए के 2020-21 के वार्षिक एक्शन प्लान में एनआरएम पर आधारित योजनाओं को शामिल करने पर बल।
- व्यय/ अर्जन के आंकड़ों को ऊषरमुक्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया है और उसकी रिपोर्टिंग और निगरानी ऊषरमुक्ति पोर्टल से होती है।
- हितधारकों के बीच तालमेल - राज्य सरकारों, पंचायती राज संगठनों और नागरिक सामाजिक संगठनों का, सभी स्तरों पर समीक्षा बैठकों और सभी हितधारकों के क्षमता-निर्माण के माध्यम से सशक्तिकरण किया गया है।
- राज्य और जिला स्तर पर जारी किये गए ऊषरमुक्ति कार्यान्वयन परिपत्र में एनआरएम के 70% कार्य को डीपीआर के आधार पर मनरेगा के अन्तर्गत शामिल किया गया है साथ ही अन्य अनुमत ढाँचों को भी ऊषरमुक्ति के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाएगा।
- ऊषरमुक्ति में शामिल प्रत्येक जिले में एक आदर्श सूक्ष्म जलागम क्षेत्र को चुना गया है। कुल चुने गए आदर्श जलोत्सारण योजनाओं में से 50 को सितंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एनआरएम के आधार पर क्रियान्वयन का काम इन आदर्श जलोत्सारण क्षेत्रों में किया जा रहा है और सितंबर 2020 तक इसके 80% कार्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य है।
- वर्तमान वर्ष से, समर्पित वेब पोर्टल- ऊषरमुक्ति वेब पोर्टल को उच्चतम रिपोर्टिंग का माध्यम समझा जाएगा। क्योंकि 2018-19 की कुछ योजनाओं को पोर्टल में शामिल नहीं किया जा सका था, उन्हें वर्तमान वर्ष शामिल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अर्जित निधि में बढोतरी होकर यह 47.07 करोड़ से 72.26 करोड़ हो गई है, मानव दिन 47 लाख से बढ़कर 52.78 लाख, और योजनाओं की कुल संख्या 5022 लाख से बढ़कर 11282 लाख हो गई है।
- 2019-20 में ऊषरमुक्ति के अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं की कुल संख्या 45,823 है और व्यय राशि (अर्जित राशि) ₹ 270.54 करोड़ है जिससे 174.99 लाख मानव दिन के काम पैदा हुआ।
- ऊषरमुक्ति के अन्तर्गत अब तक की कुल अर्जित राशि ₹ 342.31 और अब तक 2.27 करोड़ मानव दिन के काम का निर्माण हुआ है।

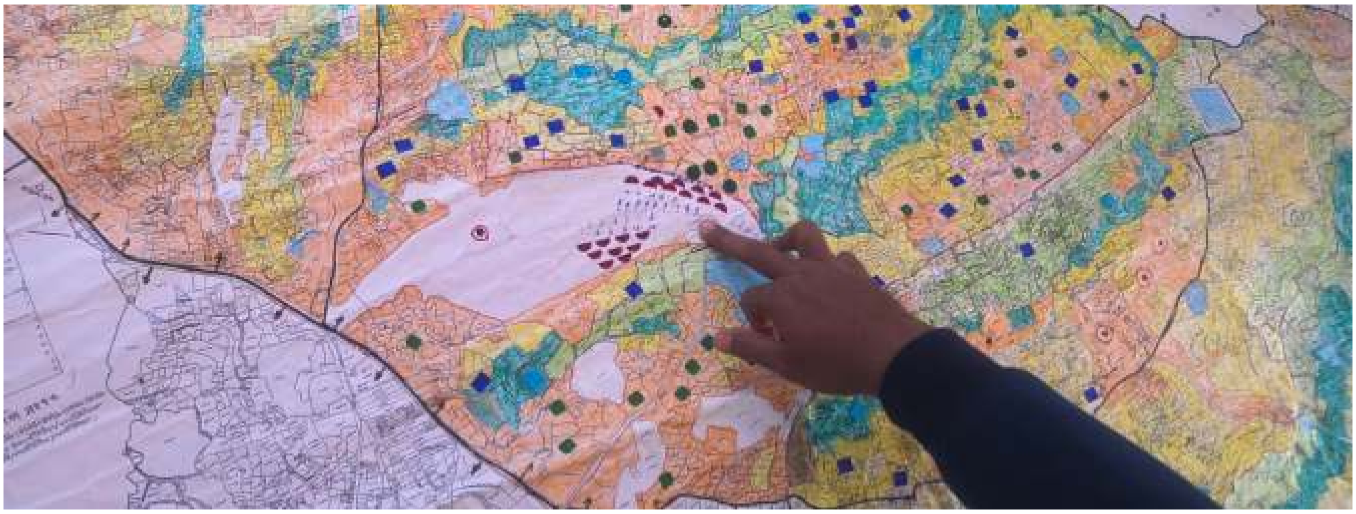

ऊषरमुक्ति योजना की विस्तृत प्रगति की रिपोर्ट (2019-20)

क्र. संख्या	ना.सा.सं. का नाम	जिले का नाम	वि. खण्डों कीसंख्या	सूक्ष्म जलो. परि. की संख्या	पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	परिवारों की संख्या
1	डीआरसीएससी	पुरुलिया	5	202	46	425	79571
2	एलकेपी	प. बर्दवान और पुरुलिया	8	245	77	697	291756
3	आरडीए	झारग्राम, प. मेदिनीपुर	4	191	40	1611	95640
4	एसएम	बांकुरा	5	161	44	604	4774
5	टीएसआरडी	पुरुलिया	5	144	33	514	2826
6	प्रदान	झारग्राम, बांकुरा, पुरुलिया	22	1019	194	3926	481258
7	प्रसारी	बीरभूम	5	55	13	441	76052
8	कुल		54	2017	447	8218	1031877

ऊषरमुक्ति के कार्य की प्रगति रिपोर्ट

क्र. संख्या	जिले का नाम	2018-19 व्यय (लाख में)	2018-19 व्यक्ति-दिन	2019-20 व्यय (लाख में)	2019-20 व्यक्ति-दिन	संचित प्रगति व्यय(लाख में)	परियोजना व्यक्ति-दिन
1	बांकुरा	3,643.40	3130021	6868.94	4470124	10,512	76,00,145
2	बीरभूम	320.29	155332	1,255.48	962974	1,576	11,18,306
3	झारग्राम	763.59	155332	5538.05	3672742	6,302	40,72,893
4	प. वर्धमान	1147.94	400151	1753.51	1216311	2,901	19,96,088
5	प. मेदिनीपुर	40.12	779777	1449.07	897245	1,489	9,18,062
6	पुरुलिया	1310.57	20817	10,188.73	6279414	11,499	70,71,665
7	कुल रु लाख में	7225.92	792251	27,053.78	17498810	34,280	2,27,77,159
8	कुल रु करोड़ में	72.26	5278349	270.54	1.75	342.80	2.27

झरनाधारा विकास परियोजना, पश्चिम बंगाल

झरनाधारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिये बीआरएलएफ ने प. बंगाल सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा सेल के साथ एक समझौता किया है जिसमें, राजारहाट प्रसारी और एक्वाडॅम ने संसाधन एजेन्सियों के तौर पर सहयोग दिया।

यह परियोजना अप्रैल 2017 में शुरु हुई और मार्च 2020 में पूर्ण हुई। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के - जलपाईगुडी,अलीपुरद्वार,कलिंपोंग और दार्जीलिंग- 457 ग्राम, 116 ग्राम पंचायतें और 12 विकासखण्ड शामिल हैं | 37,614 परिवारों को इस परियोजना में शामिल किया गया है।

परियोजना का लक्ष्य

झरनाधारा परियोजना का लक्ष्य, सरकार और नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग, सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना के माध्यम से जलवायु संरक्षण की गतिविधियों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य और घटक निम्न प्रकार से हैं -

- दार्जीलिंग (सबसे ज्यादा), अलीपुरद्वार और जलपाईगुडी- इन तीन जिलों में लगभग 457 जलोत्सारण क्षेत्र विकसित किये जाएंगे।
- मनरेगा कार्यक्रम के तहत वित्तीय संसाधनों को अर्जित कर वास्तविक संरचनाओं का निर्माण और ऊपरी घाटी का उपचार किया जाएगा।
- यह परियोजना स्वयं-संपूर्ण स्वतंत्र योजना नहीं होगी इसमें सभी विभाग भाग लेंगे और अन्य संबंधित योजनाओं का भी इसमें समावेश होगा।
- मनरेगा सेल द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत केलिये एक धारा सेवक को चुना और नियुक्त किया जाएगा। इस तरह लगभग 150 धरा सेवक जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिये नियुक्त किये जाएंगे।
- धारा सेवकों के अलावा अन्य कर्मचारी, जैसे, सहायक अभियंता, विकास खण्ड में सहायक प्रोग्राम अधिकारी, निर्माण सहायक, एसटीपी, टीए आदि भी इस परियोजना के जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन में सीधे तौर पर शामिल किये जाएंगे।
- परियोजना का मुख्य प्रभाव - जलोत्सारण क्षेत्र में, ढाँचों के निर्माण द्वारा जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य के योग्य कार्यान्वयन के माध्यम से झरनों को पुनर्जीवित कराना और उनमें प्रवाह को बारहमासी बनाए रखना।

2017 में स्थापना के बाद से जलोत्सारण परियोजना में हुई प्रगति का विवरण -

- जलोत्सारण के विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में 444 धारा सेवकों को प्रशिक्षित किया गया। जलोत्सारण कमिटी के 4830 सदस्योंको जलोत्सारण प्रबंधन के प्रति संवेदनशील बनाया गया।
- कुल 684 झरनों को उपचार के लिये चिन्हित किया गया जिनमें से 513 का जलोत्सारण डीपीआर तैयार किया गया और 483 डीपीआर को झरनाधारा वेबसाईट पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- मनरेगा के अन्तर्गत अर्जित राशि ₹937.22 लाख के खर्च से 294 झरनों का उपचार किया गया जिसमें 291,180 मानव-दिनों का सर्जन हुआ।
- जिले और जीटीए स्तर पर 18 कमिटीओं का सर्जन और क्षमता-निर्माण और अन्य विभागों के सहभाग को सुनिश्चित किया गया।
- दार्जीलिंग, कुर्सियोंग और कलिंपोंग उपखण्डों में 29 जलोत्सारण योजनाओं और जलपाईगुडी में 2 जलोत्सारण योजनाओं को अवधारणा के प्रमाण के रूप में विकसित किया गया।
- प्रभाव-विश्लेषण के लिये 79 झरनों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया।
- जलोत्सारण परियोजना में बीआरएलएफ का कुल निवेश ₹ 72.30 लाख है, सरकार से अर्जित राशि ₹ 937 लाख है। जलोत्सारण परियोजना में अर्जन का अनुपात 1:13 है।

जलोत्सारण विकास परियोजना का सामान्य प्रभाव

जलोत्सारण विकास में 673 धारा सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिससे परियोजना क्षेत्र में योजना की निरंतरता सुनिश्चित होती है। सभी हितधारकों का जलोत्सारण में क्षमता-निर्माण किया गया जिससे सरकार की योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन सिनिश्चित होता है। झरनों के विकास से 60% झरनों में जल की आवक 10% से बढ़कर 40% बढ़ी है जिससे पेय जल और सिंचाई के लिये जल की समस्या के निवारण में सहायता मिलती है। जलोत्सारण क्षेत्र में इस कारण से आमदनी में और रोजगार स्तर में सुधारा आया है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार आया है और पलायन कम हुआ है। समुदाय सामुहिक रूप से निर्णय लेने लगे हैं।

छत्तीसगढ मेगा जलोत्सारण परियोजना

जल और मृदा संरक्षण में निवेश के माध्यम से आदिवासियों के रोजगार की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ में एक उच्च प्रभाव वाली विशाल जलोत्सारण परियोजना को शुरु करने के लिये बीआरएलएफ ने छत्तीसगढ सरकार और एक्सिस बँक फाउण्डेशन के साथ 5 अक्टूबर 2018 को एक परियोजना को मूर्त रूप देते हुए समझौता किया। इस परियोजना का उद्देश्य मनरेगा के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाना है ताकि मनरेगा के अन्तर्गत किये गए निवेश को निर्धनतम लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाया जा सके। 2019-20 के मध्य में 1 जुलाई 2019 को फोर्ड फाउण्डेशन की तरफ से इस परियोजना को प्रोत्साहन मिला, जिससे आजीविका पर ध्यान अधिक केन्द्रित किया गया, खास तौर पर कृषि, लकड़ी के अतिरिक्त वनोत्पाद और पशुधन विकास में मूल्य-शृंखला विकास पर।

इस परियोजना का लक्ष्य, चार-वर्षीय उपक्रम के तहत, 100,000 छोटे और सीमांत परिवारों की आय में दीर्घकालिक वृद्धि लाना है। एसईसीसी के अनुसार, इन एक लाख परिवारों में से 59% परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं, जबकि इनमें से 48% परिवार 'वंचित' की श्रेणी में आते हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 13 नागरिक सामाजिक संगठनों का एक संघ, 26 विकासखण्डों के 694,500 हेक्टेअर में फैले जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि और जल के उपचार में सहयोग कर रहा हैः इनमें 10 खण्ड उत्तरी पर्वतों में, 4 खण्ड केन्द्रीय मैदानों में और 12 खण्ड दक्षिणी क्षेत्र (बस्तर पठार क्षेत्र) शामिल हैं, यहाँ 350,000 हेक्टेअर भाग में फसल की गहनता को बढ़ाया जा रहा है। इन उपचारों से अनुमानित पाँच लाख परिवारों के आजीविका की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के अन्तर्गत 1388 सूक्ष्म जलोत्सारण क्षेत्रों का उपचार किये जाने की अपेक्षा है।

छत्तीसगढ मेगा जलोत्सारण परियोजना

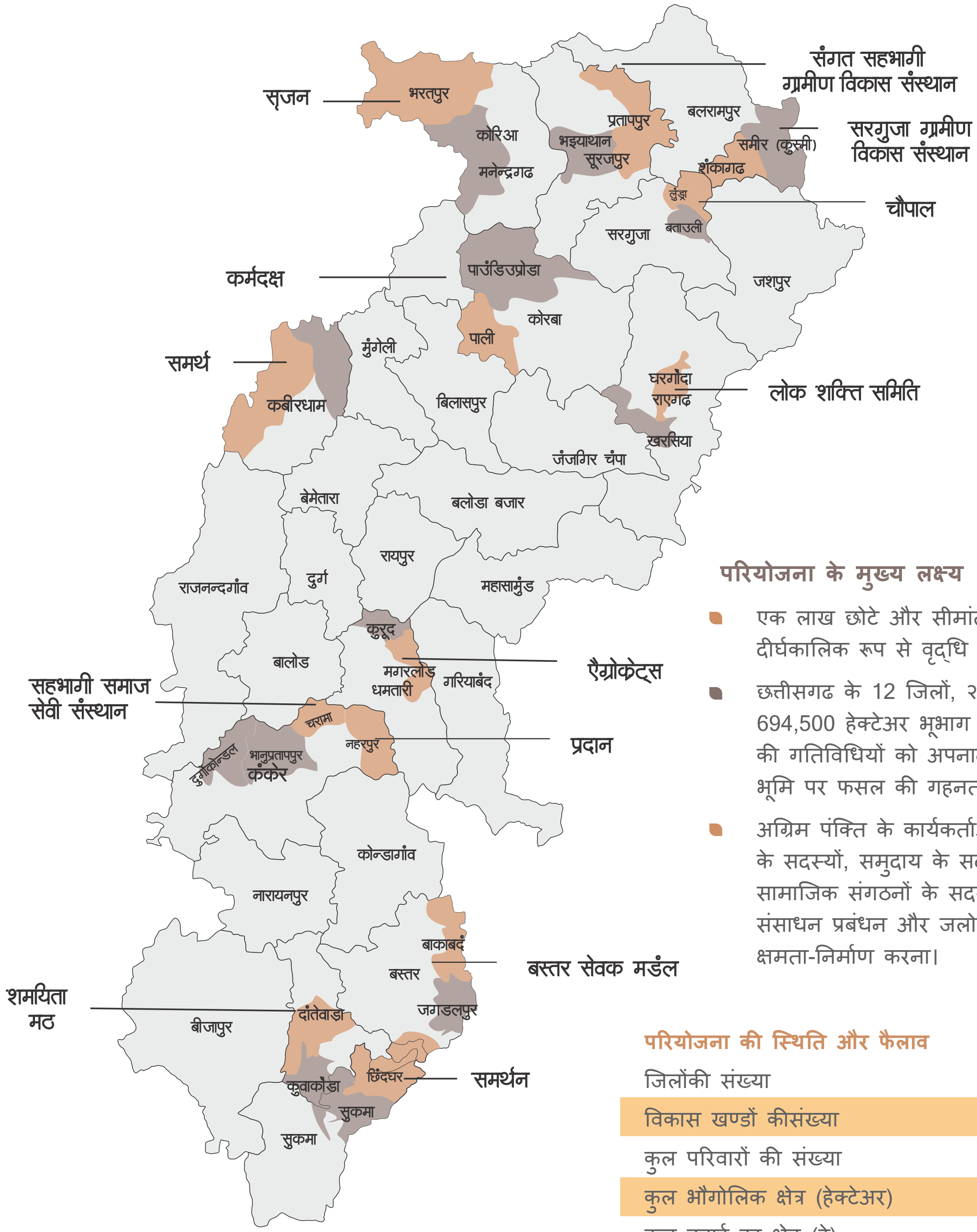

- सगन ब्लॉक
- गैर सगन ब्लॉक

परियोजना के मुख्य लक्ष्य

- एक लाख छोटे और सीमांत किसानों की आय में दीर्घकालिक रूप से वृद्धि लाना
- छत्तीसगढ के 12 जिलों, २६ विकासखण्डों की 694,500 हेक्टेअर भूभाग पर भूमि और जल उपचार की गतिविधियों को अपनाना और 350,000 हेक्टेअर भूमि पर फसल की गहनता में सुधार लाना।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, समुदाय के सदस्यों और नागरिक सामाजिक संगठनों के सदस्यों का एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलोत्सारण के सिद्धांतों में क्षमता-निर्माण करना।

परियोजना की स्थिति और फैलाव

जिलोंकी संख्या	12
विकास खण्डों कीसंख्या	26
कुल परिवारों की संख्या	690927
कुल भौगोलिक क्षेत्र (हेक्टेअर)	1657162
कुल बुवाई का क्षेत्र (हे)	751677
असिंचित क्षेत्र (हे)	670082
प्रस्तावित उपचार योग्य क्षेत्र (हे) (बुवाई के क्षेत्र का 30% + असिंचित क्षेत्र का 70%)	694560
प्रस्तावित सूक्ष्म जलोत्सारण क्षेत्र (प्रति क्षेत्र 500 हेक्टेअर)	1388

वित्त संबंधी वचनबद्धता

परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹1,190.58 करोड है, जिसमें से ₹1,166.40 करोड की निधि की उपलब्धता, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग-छत्तीसगढ की मनरेगा ईकाई द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. इस निधि का मुख्य उपयोग 1388 सूक्ष्म जलोत्सारण योजनाओं में, चार साल की अवधि के लिये मुख्यतः भूमि और जल उपचार के लिये किया जाएगा।

नागरिक सामाजिक संगठनों का खर्च, परियोजना प्रबंधन ईकाई की स्थापना, क्षमता-निर्माण, अनुसंधान और निगरानी लागत के लिये बीआरएलएफ ने अपने स्वयं के संसाधनों से ₹24.18 करोड रुपए उपलब्ध कराने की सहमति दी है जिसमें से सह-वित्त पोषण व्यवस्था के माध्यम से एक्सिस बैंक फाउण्डेशन द्वारा ₹11.85 करोड रुपए, और फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा ₹4.95 करोड रुपए की राशि देने की सहमति शामिल है।

प्रगति

परियोजना के प्रथम वर्ष में, नियुक्तियों, क्षमता-निर्माण, सामाजिक लामबंदी, और नियोजन की गतिविधियों में प्रयासों को केन्द्रित किया गया। दूसरे वर्ष में केन्द्रबिंदु था, प्रथम वर्ष के प्रयत्नों को दृढ करके कार्यान्वयन की ओर आगे बढ़ना। कृषि की उन्नत पद्धतियों, आमदनी की वृद्धि, नियोजन, डीपीआर की तैयारी, नियोजित काम की मंजूरी दिलाने का प्रयास और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर बल दिया गया। 12 जिलों के 26 विकास खण्डों में 13 नागरिक सामाजिक संगठनों के माध्यम से यह परियोजना, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में 480 ग्राम पंचायतों, 936 ग्रामों और 65,223 परिवारों तक पहुँच सकी। इस तरह परियोजना की संचित पहुँच 589 ग्राम पंचायतें, 1,130 ग्राम और 90818 परिवारों तक है। इन्टेन्सिव ब्लॉक्स में, 2019-20 की 362 डीपीआर के साथ कुल 422 डीपीआर नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा तैयार किये जा चुके हैं और उन्होंने नॉन-इन्टेन्सिव ब्लॉक्स में 133 ग्राम पंचायतों में आयोजन का खाका तैयार करने में सहायता दी है, इसमें 60,307 ढाँचों के माध्यम से 90,818 परिवारोंको शामिल किया जाएगा। डीपीआर आयोजन की प्रक्रिया जलोत्सारण की वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है जिसमें समुदाय के विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं। राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई द्वारा क्षेत्र स्तर पर नियमित प्रशिक्षण और सहयोग के अलावा विभिन्न जीआईएस मानचित्रों और अन्य उपकरणों आदि के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की नियोजन प्रक्रिया को मजबूत किया गया।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की गई प्रगति के मुख्य अंश निम्न हैं -

- 13 इन्टेन्सिव ब्लॉक्स में 247 संस्था कर्मचारियों को (जिनमें फोर्ड फाउण्डेशन सहायता के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्मचारी भी शामिल हैं) को परियोजना के तहत नियुक्त किया जा चुका है।
- समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ 1,140 से ज्यादा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
- मनरेगा के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चासत्रों का आयोजन किया जा चुका है।
- स्व-सहायता समूहों, स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं के साथ आयोजन कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- 310 डीपीआर को ग्राम सभाओं/ पंचायतों की स्वीकृति मिली, व 38,670 ढाँचों को ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत किया गया।
- 24,683 परिवारों के लिये आजीविका हस्तक्षेप किया गया।
- अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 तक मनरेगा से ₹175.93 करोड का वित्त अर्जन (इन्टेन्सिव ब्लॉक्स के लिये ₹150.68 करोड और इन्टेन्सिव ब्लॉक्स के लिये ₹25.25 करोड), जो मनरेगा से अर्जित संचयन को ₹223 करोड तक ले गया।
- राज्य सरकार के एनजीजीबी कार्यक्रमों (राज्य सरकार की ध्वजवाहक योजना - नर्वा - जलनिकासी उपचार,गरुवा - पशुधन, घुर्वा - मृदा स्वास्थ्य, बादी - पोषण के लिये रसोई बगिया) में गहन सहभाग ।
- जिला और राज्य स्तर पर नर्वा उपचार योजना को समर्थन - कुल 115 नर्वा डीपीआर (इन्टेन्सिव ब्लॉक्स 73, नॉन इन्टेन्सिव ब्लॉक्स 42)।
- 2019-20 के खरीफ और रबी मौसम में 694 आदर्श खेत प्रदर्शित किये गए।
- मोटे अनाज के उत्पादन और उत्पादन क्षमता के विकास की गतिविधि में 679 परिवारों को शामिल किया गया।
- 71 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 9192 परिवार शामिल हुए।
- अब तक परियोजना क्षेत्र में 13 बीज बँक स्थापित किये गए हैं।
- बीज बँकों में धान, मोटा अनाज, सब्जियाँ आदि स्थानीय फसलों के 187 प्रकार के बीज संग्रहित किये गए हैं।
- खेती आधारित हस्तक्षेपों में फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता के अन्तर्गत 9129 परिवारों को शामिल किया गया है।
- 150 पशु-सखियों को चिन्हित करके पशुधन विकास में प्रशिक्षित किया गया है। अब ये पशु सखियां समुदाय के अन्य सदस्यों को पशुधन विकास के संबंध में सहायाता दे रही हैं।
- 1259 परिवारों को खेती से इतर गतिविधियों (घर के प्रांगण मुर्गीपालन और बकरी पालन) में शामिल किया गया है।
- नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से परियोजना क्षेत्र में 110 गोथानों (पशुओं के लिये चारागाह) का निर्माण किया गया है।
- अब तक 7 एनटीएफपी ग्रहण केन्द्रों की स्थापना की गई है और इन केन्द्रों में 219.16 टन एनटीएफपी का ग्रहण किया जा चुका है।
- एनटीएफपी की मूल्य-शृंखला के विकास के लिये अब तक 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।

मार्च 2020 तक बीआरएलएफ द्वारा ऊपर वर्णित गतिविधियों को पूरा करने के लिये ₹7.38 करोड खर्च किये गए हैं।

कृषि उत्पादन संकुल, ओडीशा

6 नवंबर 2018 को बीआरएलएफ द्वारा ओडीशा के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि संकुलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बागबानी निदेशालय, कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग, ओडीशा आजीविका मिशन, ओडीशा सरकार और प्रदान के साथ ओडीशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। यह चार वर्षीय परियोजना बागबानी विभाग, ओडीशा आजीविका मिशन, ओडीशा सरकार, बीआरएलएफ, प्रदान और 16 स्थानीय नागरिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त पहल है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, ओडीशा राज्य के १२ पर्वतीय जिलों के छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय को दोगुना करना।

परियोजना का विस्तार

- ओडीशा के 12 जिलों के 40 पिछड़े विकास खण्डों में 100,000 छोटे और सीमांत किसानों को परियोजना में शामिल करना;
- 650 लघु कृषि उत्पादक संकुलों अथवा कृषि उत्पादक समूहों के गठन के माध्यम से किसानों, खास तौर पर महिला किसानों को संगठित करना;
- चुने हुए 40 विकास खण्डों में से खण्ड स्तर पर 30 एपीसी/एफपीओ का गठन करना;
- लगभग 20,000 एकड़ भूमि पर उँचे मूल्य वाली फसलों का उत्पादन करना;
- वर्तमान सिंचाई की सुविधाओं का उपयोग करते हुए और नई सिंचाई सुविधाओं का निर्माण करके 16,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई को सुनिश्चित करना;
- 75% क्षेत्र पर कीटनाशक मुक्त खेती को लागू करना;
- बागबानी फसलों (सब्जियां, फल, मसाले) पर ध्यान केन्द्रित करना और 40% परिवारों को पशुधन संवर्धन (पिछवाड़े मुर्गीपालन और बकरी पालन) को उनके रोजगार के प्राथमिक साधन के रूप में अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना;
- 750 कृषि उद्यमियों को मूल्य शंखला समर्थकों के रूप में बाजार से संबद्ध करना;
- चिन्हित वस्तुओं के लिये चुने हुए क्षेत्रों में बाजार को विकसित करना।

परियोजना स्थल

इस परियोजना को राज्य के 12 पर्वतीय जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें एक लाख छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। नीचे दी गई तालिका में चयनित विकास खण्डों को उन जिलों में से चुना गया है जहाँ 35% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की है और जहाँ बीआरएलएफ द्वारा समर्थित गैर सरकारी संगठनों द्वारा एक निर्धारित स्तर का सामाजिक संगठन किया जा चुका है। यह प्रयास किया गया है कि ओडीशा आजीविका मिशन के अधिकतम विकासखण्डों को इसमें शामिल किया जा सके।

भागीदार संगठन	आवंटित जिला	आवंटित विकास खण्ड
संबलपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट	संबलपुर	जमनकिरा, कुचिंडा
जनसहज्य	कालाहांडी	लांजीगढ, धुआमुल रामपुर
आईडियल देवलपमेन्ट एजेन्सी	क्योंझार	क्योंझार सदर, झामपुरा
सेन्टर फॉर यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट	कोरापुत	दसमंतपुर, बोईपारीगुडा, ठाकुरमुंडा
सोशल एज्युकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस	झारसुगुडा	लाईकेरा, कोलाबीरा
यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेन्ट ऑल्टेर्नेटिव्स	बौध	कंतामल
लोकदृष्टि	नौपाड़ा	खरीआर, बाँधन
आंचलिक जनसेवा अनुष्ठान	कालाहांडी	गोलामुंडा
जनमुक्ति अनुष्ठान	बालंगीर	मुरिवाहल
अधिकार	बालंगीर	बेलपाड़ा
श्रमिक शक्ति संघ	बालंगीर	बंगोमुंडा
बालंगीर ग्रामोद्योग समिति	बालंगीर	तुरेईकेला
विकल्प	बालंगीर	खापराखोल
फाउण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी	कोरापुत	सेमिलीगुड़ा, पोत्तंगी
प्रदान	कंधमाल, रायगड, कोरापुत,क्योंझार, मयूरभंज	फूलबनी सदर, बल्लीगुड़ा, के.नुआगांव, कोलनारा, नंदपुर, लम्प्तापुट, पटना, बन्सपाल, जाशिपुर, करंजिया
हर्षा ट्रस्ट	रायगड,कोरापुत	बिसमकटक, मुनिगुड़ा, के.सिंगपुर, बोरीगुमा, कुंदरा
सृष्टि	क्योंझार, मयूरभंज, ढेंकनाल	हरिचंदनपुर, खुन्ता, कांकडाहद

वित्तीय जानकारी

परियोजना की अनुमानित लागत ₹401.60 करोड़ है। परियोजना लागत में से ओडीशा रोजगार मिशन और पेय जल विभाग द्वारा संस्था और निर्माण लागत हेतु ₹ 70.06 करोड़ , एपिकोल द्वारा ₹ 17.80 करोड़, कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्तमान कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से ₹ 293.40 करोड़ या उससे अधिक जुटाया जाएगा। बीआरएलएफ अपने संसाधनों द्वारा ₹ 16.74 करोड़, एवं भागीदार संगठनों द्वारा ₹ 36 करोड़ का योगदान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिये बीआरएलएफ को फोर्ड फाउण्डेशन, नई दिल्ली से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध हुआ है।

दिसम्बर, 2018 से मार्च 2020 के बीच परियोजना की प्रगति

- विकासखण्ड, जिला और राज्य स्तर की टीमें गठित की गई हैं।
- परियोजना के शुरुवाती उद्देश्य के अनुरूप 1,418 गाँवों के 61,266 परिवारों को 572 उत्पादक समूहों से जोड़ा जा चुका है।
- 560 उद्योग मित्रों की पहचान की गई है।
- 538 उत्पादक समूहों ने अपने क्षेत्र में फसल का नियोजन सफलतापूर्वक किया है और 24,972 एकड़ जमीन को उच्च मूल्य फसल संवर्धन के अन्तर्गत लाया जा चुका है।
- 13,927 परिवार, 5,415 एकड़ भूमि पर कीटनाशक रहित कृषि संवर्धन पद्धति का पालन कर रहे हैं।
- 3,723 एकड़ भूमि को सिंचित भूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 30,872 परिवारों को पशुधन विकास के लिये, इस परियोजना के अन्तर्गत टीकाकरण और कृमिनाशक दवाओं की सुविधाएँ दी गईं।
- पशुधन विकास पर गहनता से काम करने के लिये 158 परिवार काम करेंगे।
- अग्रणी भागीदार, प्रदान द्वारा, परियोजना में संलग्न नागरिक सामाजिक संगठनों के क्षमता निर्माण के लिये विभिन्न प्रयास किये गए हैं।
- 37.45 लाख की राशि विभिन्न विभागों से जुटाई गई है। इसके अतिरिक्त ₹ 50 करोड़ की राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्वीकृत की गई है।

झारखण्ड विशाल जलोत्सारण परियोजना

ऊषरमुक्ति और छत्तीसगढ़ के विशाल जलोत्सारण परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए, झारखण्ड के मनरेगा कमिशनर ने बीआरएलएफ को झारखण्ड में भी उसी प्रकार की परियोजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव दिया। बीआरएलएफ और राज्य की मनरेगा ईकाई ने मिलकर इस परियोजना का निर्माण किया। यह प्रस्ताव झारखण्ड के ग्रामीण विकास विभाग के साथ चर्चा के अंतिम सत्र में है और राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। अनुमोदन मिल जाने के बाद इसका क्रियान्वयन 12 नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से 24 विकास खण्डों में किया जाएगा। इनमें केन्द्रीय और उत्तर-पूर्वी पठार क्षेत्र के 9 विकास खण्ड, दक्षिण-पूर्वी पठार क्षेत्र के 9 विकासखण्ड और 6 विकास खण्ड केन्द्रीय और पश्चिमी पठार क्षेत्र से शामिल किये गए हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 1.9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इन लाभों को वास्तविक बनाने के लिये इस परियोजना के अन्तर्गत 3 से 3.39 लाख हेक्टेअर भूमि का उपचार किया जाएगा। लगभग 1.81 लाख हेक्टेअर भूमि पर फसल की गहनता को सुधारने का भी प्रस्ताव है।

- नागरिक सामाजिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, मनरेगा के अधिकारियों और समुदायों के सदस्यों की सहभागिता से जीआईएस आधारित मानचित्रण के अनुरूप 678 डीपीआर विकसित किये जाएँगे जिनमें आजीविका संबंधी योजनाओं का भी समावेश होगा।
- डीपीआर पर आधारित जल एवं भूमि संरक्षण संरचनाएँ बनाई जाएँगी।
- जैव-ईंधन के संरक्षण के लिये सामूहिक वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, चारागाह विकास आदि ।
- छोटे और सीमांत किसानों द्वारा कृषि के उन्नत तरीके अपनाए जाएँगे।
- मनरेगा द्वारा एनआरएम की उत्पादक संपत्ति पर किया गया खर्च, मनरेगा के कुल खर्च का 70% तक बढ़ाने का प्रयास होगा।
- डीपीआर और रोजगार योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये 1000 ग्राम पंचायतों के स्व-सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- एनआरएम की 100% संपत्ति को कमजोर वर्ग के लिये लाभदायक रोजगार योजना से जोड़ा जाएगा।
- 1.50 लाख हेक्टेअर भूमि पर फसल की गहनता में सुधार लाया जाएगा।

इस परियोजना के लिये धनराशी जुटाने के लिये बीआरएलएफ हिन्दुस्तान युनीलीवर फाउण्डेशन के साथ चर्चा कर रहा है। 2019 में बीआरएलएफ ने हिन्दुस्तान युनीलीवर फाउउण्डेशन के साथ वित्तीय अनुदान के लिये समझौता किया है। इस समझौते के तहत एचयुएफ, नागरिक सामाजिक संगठनों के व्यय, एसपीएमयु की स्थापना और क्षमता निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देगा। यह सहायता, सहभागी नागरिक सामाजिक संगठनों को बीआरएलएफ के माध्यम से दी जाएगी। बीआरएलएफ , वेल्ट हंगर हिल्फे के साथ भी, इस परियोजना में, वित्तीय सहभागिता के लिये चर्चा कर रहा है। डब्लुएचएच तीन नागरिक सामाजिक संगठनों को प्रत्यक्ष सहायता देने के लिये सहमत हुआ है।

झारखण्ड और मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु नागरिक सामाजिक कार्य का सशक्तिकरण

बीआरएलएफ 'झारखण्ड और मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर वर्गों के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु नागरिक सामाजिक कार्य का सशक्तिकरण' नामक योजना को यूरोपियन यूनिअन के समर्थन से कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य झारखण्ड और मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर अदिवासियों और दलितों के जीवन और रोजगार में परिवर्तन लाना है। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं -

- बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर स्वच्छ जल और ऊर्जा के क्षेत्र में नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा किये जा रहे मूलभूत हस्तक्षेपों के परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- संसाधन संग्रहण, समर्थन जुटाने और नीतिगत वार्तालाप के क्षेत्र में नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमता-निर्माण।
- जलवायु में सुधार के लिये स्वच्छ जल और ऊर्जा के क्षेत्र में विषय-वस्तु और रणनीति में नवीनता लाना।

स्थल और विस्तार

यह परियोजना मध्य प्रदेश के 4 खण्डों और 3 जिलों और झारखण्ड के 2 खण्डों और 2 जिलों के 279 गाँवों में कार्यान्वित की जा रही है

राज्य	जिले	विकास खण्ड	ग्रामों की संख्या	कार्यान्वयन भागीदार
झारखण्ड	लातेहार	मनिका	40	वीएसके
	पलामु	छतरपुर	35	वीएसके
मध्य प्रदेश	शिवपुरी	शिवपुरी	65	परहित
	श्योपुर	करहल	27	निस्वार्थ
		बीजयपुर	52	धरती
	गुना	गुना	60	कल्पतरु

विवरण अवधि के दौरान प्रगति

परियोजना के कार्यान्वयन के द्वितीय वर्ष के दौरान ध्यान का केन्द्र बिन्दु नागरिक सामाजिक संगठनों/ समुदाय आधारित संगठनों की संसाधन और समर्थन जुटाने की क्षमता का विकास करना था। चयनित नागरिक सामाजिक संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के वरिष्ठ सदस्यों के लिये एक प्रशिक्षण प्रतिरूप तैयार किया गया और संसाधन और समर्थन जुटाने के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण के लिये अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। 14 नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न दाताओं से लगभग 844873.56 यूरो अर्जित किये गए। तीन नीति संबंधी मामलों को चिन्हित किया गया है और जल, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम शुरु कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान , परियोजना के भागीदार, परियोजना के तहत शुरु किये गए हस्तक्षेपों को अधिक बल देने के लिये सरकारी योजनाओं से एक बड़ी धनराशि जुटाने में सफल रहे हैं। 3,443 परिवारों को लाभान्वित करती विभिन्न योजनाओं के लिये लगभग यूरो 1086266.01 की निधि जुटाई गई है। सरकार से अर्जित निधि को मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यों में लगाया गया है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों - जैसे दीर्घकालिक कृषि पद्धति, पशुधन विकास आदि - से संचित रूप से इससे 15,927 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष , सीनियर प्रोजेक्ट मेनेजर द्वारा एक त्रि-दिवसीय निरिक्षण दौरा भी किया गया - मध्य प्रदेश में यूरोपियन यूनिअन के प्रतिनिधि मंडल का दौरा। दौरा बहुत सफल रहा और ईयु ने बीआरएलएफ और उसकी टीम के द्वारा परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किये गए प्रयत्नों को मान्यता दी है।

- कार्य के अगले चरण के लिये मध्य प्रदेश से 60 समुदाय आधारित संगठनों और झारखण्ड से 40 समुदाय आधारित संगठनों को चिन्हित किया गया है। विवरण अवधि के दौरान सभी परियोजना ग्रामों में 279 स्व-सहायता समूहों का निर्माण/पुनरुज्जीवन किया गया है और अब तक 210 स्व-सहायता समूहों को एनआरएलएम के साथ जोड़ा जा चुका है।
- 100% एफपीओ ने (05) ने अपनी व्यापारिक योजनाएं बना ली हैं और सभी उसका अनुसरण कर रहे हैं।

  वित्तीय संस्थाओं से 75% समुदाय आधारित संगठनों (210 स्व-सहायता समूहों) ने कर्ज लिया है।
- 215 व्यक्तिओं को, जल, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे पाँच विशिष्ट मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। सामान्य मूल्यांकन 2020-21 के द्वितीय तिमाही में किया जाएगा।
- मनरेगा के तहत 1359 जल संग्रहण संरचनाओं को बनाया गया और 450 हेक्टेअर भूमि को सुरक्षित सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया।
- पिछले खरीफ और रबी मौसम में अन्न का उत्पादन 20% तक बढ़ा है।
- उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 37% से ज्यादा (7448 परिवार) परिवारों को शामिल किया गया है।
- मध्य प्रदेश और झारखण्ड के 203 युवाओं के लिये सौर ऊर्जा विषयक 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इस प्रशिक्षण के दौरान सौर उर्जा को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया।
- सरकार की आवास योजना - प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1463 मकान बनाए गए।
- 172 गाँवों के 9,922 किसानों की उन्नत कृषि पद्धतियाँ अपनाने की क्षमता क निर्माण किया गया और उन्हें दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों जैसे कीटनाशक रहित खेती, एसआरआई, प्रत्यारोपण, विविध फसलों को उगाना आदि के लिये सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं।
- स्थानीय बीजों के संग्रहण के लिये गत वर्ष 13 बीज बैंक बनाए गए और उनकी समय पर उपलब्धि को सुनिश्चित किया गया। इस गतिविधि को बल देने के लिये तीन और बैंक स्थापित किये गए हैं और उन्हें अब एफपीओ के साथ जोड़ दिया गया है ताकि उनकी गतिविधियों और सेवाओं को और अधिक विस्तृत किया जा सके।
- क्षमता-निर्माण के अगले स्तर के लिये इस वर्ष, 20 समुदाय आधारित संगठनों को चुना गया है और वित्तीय संसाधन संग्रहण संबंधी क्षमताओं के विकास के लिये 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 20 संगठनों के 30 सहभागियों ने इसमें भाग लिया। परिणामस्वरूप 16 नागरिक सामाजिक संगठनों ने दाताओं/ वित्त संस्थाओं को 35 प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें से 14 नागरिक सामाजिक संगठनों को ₹700 लाख का अनुदान, विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत हो चुका है।
- पाँच समुदाय आधारित संगाठनों ने कुल 9 प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिनमें से 3 संगठनों को ₹50 लाख का अनुदान स्वीकृत हो चुका है। एमपीएलएडीएस से धनराशि प्राप्त करने के लिये 2 ग्रामीण विकास समितियों ने 2 गाँवों में मृदा और जल संरक्षण संरचनाएँ बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे 220 परिवार लाभान्वित होंगे। हमारे भागीदार ने एमपीएलएडीएस से फण्ड प्राप्त करने के लिये मीटिंग की हैं और परिणाम स्वरूप शिवपुरी विधान सभा क्षेत्र के लिये ₹ 50 लाख एमपीएलएडीएस से मंजूर किये गए हैं।
- इस वर्ष झारखण्ड और मध्य प्रदेश के 60 नागरिक सामाजिक संगठनों /समुदाय आधारित संगठनों के 86 प्रशिक्षार्थियों के लिये 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, 2 ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र भी दोनों राज्यों में चलाए गए। परिणामतः कार्यान्वयन भागीदार और नागरिक सामाजिक संगठनों ने समर्थन जुटाने के लिये एक योजना बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं।
- हमने तीन विषय-क्षेत्रों को चिन्हित किया है,
  - प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्षाजल संग्रहण को जोड़ना

- जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्यान्ह भोजन में मोटे अनाज को शामिल करना
- प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पॅनल उपलब्ध कराना

- रोजगार के दिनों में 100 दिनों की बढ़ोतरी हुई जिससे 13,500 परिवार प्रभावित हुए।
- पाँच ग्राम पंचायतों के 14 गाँवों की जीआईएस योजना प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ग्राम पंचायतों और जिला प्रशासन के सम्मुख अंतिम डीपीआर प्रस्तुत कर दी गई है।
- 203 युवाओं को सौर लालटेन उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 30 युवकों ने अपने सौर ऊर्जा उद्योग शुरु कर दिये हैं।
- 90 युवाओं को पशुचिकित्सा की पद्धतियों में प्रशिक्षित किया गया है।
- सरकारी योजनाओं के तहत 3 अतिरिक्त सौर पम्प लगाए गए हैं और 29 किसानों, को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और झारखण्ड रीन्युएबल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी के अन्तर्गत, परियोजना ग्रामों में और अधिक सौर पम्प लगाने के लिये पंजीकृत किया गया है।
- समुदाय के स्तर पर जल सुरक्षा योजनाएँ बनाने के लिये 52 व्यक्तिओं को प्रशिक्षित किया गया। परिणामतः जल-उपभोक्ताओं के 15 समूह श्रेष्ठ जल सुरक्षा उपायों का अनुसरण कर रहे हैं।
- पिछले वर्ष पांच जल संग्रहण सरंचनाओं का निर्माण किया गया और ध्यान का केन्द्र बिंदु सरकारी योजनाओं के एकीकरण पर था। फलतः, अब तक 1359 जल संग्रहण सरंचनाएँ बनाई जा चुकी हैं, जिनकी लागत ₹ 1,099 लाख है और जिसे मनरेगा और अन्य ऐसे ही विभागों से जुटाया गया था।

नागरिक सामाजिक संगठनों को विषय-क्षेत्र में तकनीकी सहयोग

बीआरएलएफ भागीदार नागरिक सामाजिक संगठनों को अनेक विषय-क्षेत्रों - प्रांगण मुर्गी पालन, कीटनाशक रहित कृषि प्रबंधन (एनपीएम), सहभागी भूजल प्रबंधन (पीजीडब्लुएम), पेयजल एवं स्वच्छता (वाश) और कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) - में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है। बीआरएलएफ का प्रारम्भिक ध्यान का बिंदु छोटे संगठनों को इन हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने के लिये समर्थन देना था।

प्रांगण मुर्गीपालन

बीआरएलएफ ने वासन के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत बीआरएलएफ के भागीदारों को प्रांगण मुर्गीपालन के विकास में सहयोग देने की व्यवस्था थी। इस परियोजना की अवधि नवम्बर 2017 से अक्टूबर 2019 थी। प्रांगण मुर्गीपालन की धारणा और रणनीति का विकास, देसी जाति के प्रोत्साहन के लिये बनाए गए बड़े प्रांगण मुर्गीपालन कार्यक्रमों की वितरण व्यवस्था के वास्तविक अनुभवों के आधार पर किया गया है। वासन बीआरएलएफ के ऐसे७ भागीदारों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जहाँ मुर्गीपालन की श्रेष्ठ संभावनाओं को वास्तविक बनाया जा सकता है।

लक्ष्य

- प्रांगण मुर्गीपालन की धारणा, प्रारूप और निष्पादन में, भागीदार संगठनों की टीमों का क्षमता-निर्माण
- सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और चुने हुए उद्योग साहसियों को प्रशिक्षित करना
- देसी मुर्गी उत्पादन में वृद्धि लाने के श्रेष्ठ उपायों की जानकारी के लिये समुदाय के अग्रणियों वास्तविक मुर्गीपालन योजनाओं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार
- वेब आधारित एमआइएस के विकास के लिये समर्थन देना

बीआरएलएफ के प्रांगण मुर्गीपालन के भागीदारों की सूचि उनके स्थल के साथ

राज्य	जिले	गैर सरकारी संगठनों के नाम
ओडीशा	नुआपाड़ा और बोलांगीर	डब्लूओएनसी कोन्सोर्शियम (एजेएसए,विकल्प,बीजेएस, अधिकार, एसएसए, जेएमए और लोकदृष्टि)
	झारसुगुडा	सेवा
	नुआपाड़ा एवं बोलांगीर	वायसीडीए
पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	प्रसारी
	उत्तर चौबीस परगना	दिगम्बरपुर अंगीकार
झारखण्ड	पलामु एवं लातेहार	वीएसके

- भागीदार संगठनों को राज्य सरकार की सहायता से मुख्य कार्यक्रमों को उन्नत बनाने के लिये समर्थन देना
- आरंभिक योजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदारों को जमीन पर वास्तविक ठोस सहायता प्रदान करना।

बीआरएलएफ की भागीदारों के साथ प्रांगण मुर्गीपालन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

1. उत्पादन पद्धति में सुधार
2. टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएँ
3. प्रजननक्षेत्रों का उद्यम
4. समान रुचि समूह विकसित करना
5. समूह स्तर पर पोल्ट्री फण्ड का निर्माण
6. प्रांगण मुर्गीपालन के लिये एमआईएस का सशक्तिकरण

प्रांगण मुर्गीपालन की सम्पूर्ण प्रगति (2017-2019)

वासन द्वारा परियोजना अवधि के दौरान की गई गतिविधियाँ

1. पाडेरु और श्रीकाकुलम में तीन कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए -
   - समुदाय संसाधन व्यक्ति एवं कर्मचारियों के लिये (14 प्रशिक्षार्थी)
   - प्रजनन क्षेत्र उद्यमी प्रशिक्षण (प्रशिक्षार्थी - १२ पुरुष, ६ महिलाएँ)
   - स्व-सहायता समूह की महिला अग्रणियों के लिये प्रशिक्षण के साथ साक्षात्कार का कार्यक्रम (प्रशिक्षार्थी - १८ महिलाएँ, ६ पुरुष)
2. भागीदार स्थलों पर २४ सहायता -मुलाकातें की जा चुकी हैं।
3. प्रांगण मुर्गीपालन की प्रगति और कार्ययोजना की समीक्षा के लिये, प्रांगण मुर्गीपालन भागीदारों के साथ तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
4. परियोजना स्थल पर प्रांगण मुर्गीपालन की गतिविधि को जारी रखने के लिये, एक प्रस्ताव को विकसित करने पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रांगण मुर्गीपालन के सभी भागीदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
5. वासन ने बीआरएलएफ और अन्य भागीदारों के लिये एक वेब एप्लिकेशन का विकास किया है जिससे परियोजना की प्रगति पर नजर रखी जा सके। इस एमआईएस एप्लिकेशन के जरिये, प्रजनन क्षेत्र के आंकड़े, पारिवारिक आंकड़े, टीकाकरण इतिहास, आमदनी, खर्च आदि को रिकॉर्ड किया जाएगा। सभी प्रांगण मुर्गीपालन भागीदारों ने बीवायपी डेटाबेस को एमआइएस एप्लिकेशन में अपलोड किया है।

प्रांगण मुर्गीपालन में वासन के तकनीकी सहयोग से हुई प्रगति

प्रा. मु.पा. में शामिल किये गए परिवारों की संख्या	4960
विकसित किये गए प्रजनन-क्षेत्र उद्यमों की संख्या	38
विकसित किये गए समान रुचि समूहों की संख्या	56
पोल्ट्री फण्ड एकत्रित करने वाले समान रुचि समूहों की संख्या	27
टीकाकरण में प्रशिक्षितों की संख्या	69
प्रजनन क्षेत्रों में मुर्गियों की संख्या	30-40
प्रजनन क्षेत्रों की औसत आमदनी (हजार)	₹30-40
औसत मृत्यु दर	20%

कीटनाशक-रहित कृषि प्रबंधन (एनपीएम)

पृष्ठभूमि

बीआरएलएफ देशभर के आठ राज्यों में भागीदारों को कीटनाशक खेती अपनाने के लिये सहयोग प्रदान कर रहा है। बीआरएलएफ कीटनाशक खेती को प्रोत्साहन देने के लिये दो तकनीकी संस्थाओं के साथ भागीदारी में काम कर रहा है - प्राण (प्रिजर्वेशन एण्ड प्रोलिफरेशन ऑफ रूरल रिसोर्सेस एण्ड नेचर - परियोजना अवधि - अप्रैल 2016 से मार्च 2020), क्षेत्र स्तर पर सभी बीआरएलएफ समर्थित संस्थाओं को एनपीएम संवर्धन पर तकनीकी सहायता देने के लिये , और सीड्स - सोशल एज्युकेशन इकोनोमिक डेवलपमेन्ट सोसायटी, विरुधुनगर, तमिलनाडु - भागीदार संगठनों के साथ मिलकर कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से छोटे किसानों हेतु बाजार शृंखला को मजबूत बनाकर दीर्घकालिक एनपीएम कृषि को बल दे रही है। यह परियोजना अक्टूबर 2018 में शुरु हुई और मार्च 2022 में खत्म होगी।

बीआरएलएफ एनपीएम प्रोत्साहन

बीआरएलएफ की रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य, लक्षित आदिवासी परिवारों के रोजगार की स्थिति में सुधार लाना है। कीटनाशक रहित कृषि प्रबंधन के लिये योजनाओं का व्यापक कार्यान्वयन इस योजना का एक अनिवार्य भाग है। दीर्घकालिक कृषि पद्धतियाँ, किसानों के लिये लाभप्रदता, मृदा संरक्षण, कीट और जैव विविधता संरक्षण, खाद्य और जल स्त्रोतों की सुरक्षा आदि पर बीआरएलएफ का काम, किसानों को कीटनाशक रहित खेती की ओर आकर्षित करती है। सभी बीआरएलएफ भागीदार विभिन्न प्रकार की फसलों का समर्थन कर रहे हैं जैसे, अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ और फल आदि, ताकि आदिवासी परिवारों की आमदनी में वृद्धि हो और उन्हें अन्न सुरक्षा मिल सके। किंतु अधिकतर किसान रासायनिक कीटनाशक और खादों का उपयोग करते हैं।

सामान्यतः आदिवासी क्षेत्रों में किसान खेती की पारंपरिक शैली को अपनाते हैं और खेती में रसायनों का उपयोग कम ही करते हैं। इसलिये, आक्रामक बाजार नीति के माध्यम से एनपीएम को प्रोत्साहन देने के लिये व्यापक संभावनाएँ हैं।

बीआरएलएफ एनपीएम कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य-

- मनुष्यों, पशुओं और अन्य जीवजन्तुओं के लिये स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धि
- ठोस समर्थन और प्रदर्शन के माध्यम से गाँव के संसाधन व्यक्ति का एनपीएम के लिये क्षमता निर्माण और एनपीएम के विषय में समुदायों में जागृति लाना
- मिट्टी की संरचना को उसमें निहित अणुजीवों की संख्या को बढ़ाकर समृद्ध करना
- कृषि-उत्पादन में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को बंद करके स्वस्थ वातावरण का निर्माण
- कीटनाशन के लिये स्थानीय एनपीएम उत्पादों का विकास, घरेलु स्तर पर उत्पादन और उपयोग
- एनपीएम आधारित किसान उत्पादक संगठनों का सशक्तिकरण, उनकी बाजार के लिये तैयारी को बढ़ाना और कृषक समुदायों के साथ उनके काम करने की संभावनाओं को टटोलना।

एनपीएम के तकनीकी एजेन्सियों की एनपीएम विषयक प्रगति

प्राण - एनपीएम के लिये तकनीकी सहयोग एजेन्सी के रूप में प्राण की चार वर्ष की अवधि मार्च 2020 में पूरी हो गई। इस अवधि के दौरान प्राण की सहायता से एनपीएम में हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है-

- आठ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले 24 (नए और पुराने) भागीदार संगठनों के सदस्यों ने, गहन प्रशिक्षण और प्रात्यक्षिकों के माध्यम से एनपीएम और एसआरआई संबंधी उपयोगी हुनर सीखे।
- बीआरएलएफ के सभी भागीदारों के स्थलों पर 60 - 100 स्थानीय युवकों को एनपीएम और एसआरआई की गतिविधियों को उन्नत बनाने के लिये क्रियात्मक प्रशिक्षण मिला। इस तरह 2000 प्रशिक्षित युवकों का उपयोग विकास खण्ड और राज्य स्तर पर इन गतिविधियों को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है।

- ज्यादातर कार्यक्षेत्रों में फार्मर्स फील्ड स्कूल पर प्रात्यक्षिकों, एनपीएम दुकानों, जैविक खेती, एसआरआई खेती, और विभिन्न जैविक और एनपीएम उत्पादों के प्रात्यक्षिकों के माध्यम से बीआरएलएफ के भागीदारों को प्रत्यक्ष अनुभव दिया और उनके कार्यक्षेत्र में जैविक खेती और एसआरआई खेती को मुख्यधारा में लाने का आत्मविश्वास प्रदान किया।
- सभी बीआरएलएफ भागीदार स्थानीय हितधारकों के लिये स्त्रोत संगठन बन गए। फाउण्डेशन फॉर ईकोलोजी सिक्युरिटी, प्रदान और प्रसारी अब राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के लिये स्त्रोत संगठन के रूप में काम कर रहे हैं।
- प्राण द्वारा विकसित तकनीकी सामग्री, सुरक्षा मचान, सूखे हुए नलकूपों को पुनर्जीवित करना, श्रीघरामृत, श्रीझाईम और अन्य प्राकृतिक उर्वरक, पौधे के विकास को नियमित करने वाली दवाईयां और कीटनाशक, वर्षाजल संग्रहण के लिये बनाए गए गड्ढे, वीआरपी के लिये रजिस्टर, वीआरपी के लिये मार्गदर्शिका, विभिन्न फसलों के लिये एसआरआई आदि आदि, सभी भागीदारों और हितधारकों को समृद्ध कर रही है।
- बीआरएलएफ के भागीदारों के शानदार कार्य को देखते हुए, बड़े हितधारकों की एनपीएम और एसआरआई की तरफ देखने का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हुआ है और इस कार्य को पूर्ण समाज में विस्तृत करने का उनमें आत्मविश्वास जागा है।
- बड़ी संख्या में विकास व्यावसायिकों और बीआरएलएफ के स्थानीय भागीदारों की एक पूरी फौज एनपीएम और एसआरआई और जैविक खेती के कार्य को पूरे देश में फैलाने के लिये तैयार है।
- बीआरएलएफ के कई भागीदारों द्वारा समर्थित किसान उत्पादक संघ अब आसानी से जैविक उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं जिन्हें 'सेफ हार्वेस्ट' नामक कंपनी से भी जोड़ा जा सकता है जिससे इन संघों से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। कुछ किसान उत्पादक संघ पहले ही उत्पादन कर रहे हैं और सेफ हार्वेस्ट के साथ जुड़ गए हैं।

'प्राण' प्रगति - बीआरएलएफ के 24 भागीदारों द्वारा एनपीएम का विस्तार

2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		कुल (2016-20)	
परिवार	एकड़	परिवार	एकड़	परिवार	एकड़	परिवार	एकड़	परिवार	एकड़
2401	727	6481	2595	10712	5935	31713	61980	51307	71237

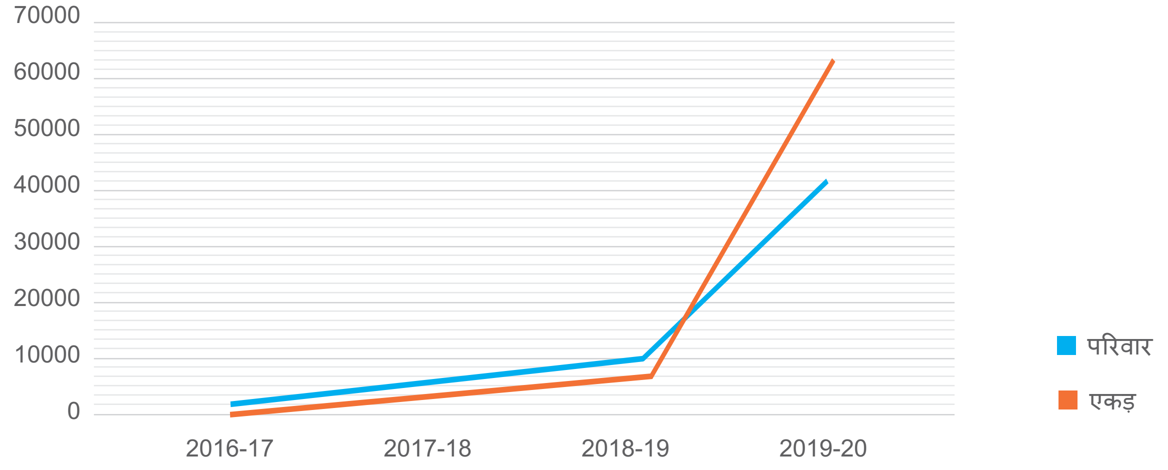

2019-20 में एनपीएम के प्रचार में तकनीकी एजेन्सी के तौर पर सीड्स की प्रगति

सीड्स की एनपीएम परियोजना का उद्देश्य, बीआरएलेफ के कीटनाशक रहित कृषि प्रबंधन का प्रचार करने वाले भागीदारों को बाजार उन्मुख बनाना है। यह परियोजना अक्टूबर 2018 में शुरु हुई और मार्च 2022 में समाप्त होगी। सीड्स और एनपीएम के नेटवर्क को बीआरएलएफ द्वारा समर्थित किसान उत्पादक कंपनियों के क्षमता-विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये अपनाई गई रणनीति में भागीदार स्तर पर क्षमताओं का सर्वेक्षण करना और उन सर्वेक्षणों के नतीजों के आधार पर भागीदार-विशेष किसान उत्पादक कम्पनी (एफपीसी) की विशेष समस्याओं को हल कर सकें ऐसे हस्तक्षेपों की रचना करना है। 2019-20 में प्रम्भिक सर्वेक्षणों का पहला चरण पूरा किया गया और उससे प्राप्त सिफारिशों के आधार पर आगे के लिये प्रत्येक नागरिक सामाजिक संगठन के लिये विशेष रणनीति बनाई गई।

अतः परियोजना के दोहरे लक्ष्य हैं -

- एनपीएम का प्रचार करने वाले भागीदारों की क्षमता में वृद्धि करना, जिससे समुदाय आधारित उत्पादकोंके नेतृत्व में एफपीसी को बढ़ावा मिल सके।
- संगठित बाजारों को किसान समुदायों से जोड़ने के लिये एफपीसी को प्रचारित करने वाले भागीदारों का बाजार से उन्मुखीकरणा बढ़ाना।

भागीदारों की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर सीड्स और एनपीएम का तंत्र उनकी विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देगा और बाजार से अनुकूलन के लिये उन्हें सशक्त बनाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भागीदारों को एफपीसी प्रबंधन, न्यास प्रबंधन की उत्तम नीतियों और मूल्य संवर्धन में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एनपीएम के क्षेत्र में सीड्स की गतिविधियाँ 2019-20

- एनपीएम एफपीओ की विकास की वर्तमान स्थिति को समझने के लिये और एमपीएम उत्पादों की बाजार से अनुकूलता को समझने के लिये सीड्स द्वारा बीआरएलएफ के 11 भागीदारों से स्थल पर मुलाकात की गई।
- क्षमता-निर्माण के कार्यक्रम आयोजित किये गए - एनपीएम-एफपीओ के विकास और बिक्री नीति के विषय में 3 कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम और 5 साक्षात अनुभव मुलाकातें
- सीड्स ने वेबसाईट बनाई है (www.npmnetwork.org)
- मार्च 2020 में, 40 टन हलदी के लिये एस4एस टेक्नोलोजीस और सीवायएसडी के साथ संपर्क किया गया और 10 टन इमली के लिये सीवायएसडी के साथ संपर्क किया गया।
- वर्तमान में सीड्स संगठन स्तर पर एफपीओ के विकास पर और बाजार की सहायता के साथ एनपीएम के प्रचार पर काम कर रहा है, जिसे अगले वर्ष और विकसित किया जाएगा।

सहभागी भूजल प्रबंधन (पीजीडब्लुएम)

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन अर्घ्यम के सहयोग से सहभागी भूजल प्रबंधन पर केन्द्रित प्रायोगिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। जमीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन बीआरएलएफ के भागीदारों द्वारा तकनीकी भागीदारों के सहयोग से किया जा रहा है।

तदनुसार, 7 राज्यों के 14 जिलों में 20 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर काम शुरु हो चुका है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के मुख्य घटक है - विभिन्न क्षेत्र-स्तरीय सर्वेक्षणों और वैज्ञानिक विश्लेषण की सहायता से जलवाही-स्तर का मानचित्रीकरण और भूजल के दीर्घकालिक उपयोग के लिये सामुदायिक निर्णय को सुसाध्य बनाना।

लक्ष्य - इस प्रायोगिक परियोजना के उद्देश्यों में समाज को निम्न बातोंके लिये संवेदनशील बनाना शामिल है -

- परिवार के स्तर पर भूजल की सुरक्षा
- भागीदार नागरिक सामाजिक संगठनों, समुदाय के सदस्यों और संस्थाओं का क्षमता-निर्माण
- वैज्ञानिक आंकड़ों को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण -
  - वैज्ञानिक जलवाही-स्तर
  - जल की गुणवत्ता
- भूजल के सन्तुलन पर सामुदायिक निर्णय की सुविधा-
  - जल का समान वितरण
  - फसल का आयोजन
- वास्तविक हस्तक्षेप के लिये बेहतर आयोजन की सुविधा
  - जलोत्सारण प्रबंधन
  - पुनर्भरण ढाँचे
- नीति विषयक सुधार और संशोधन

पीजीडब्लुएम प्रक्रिया के प्रस्तावित परिणाम

पीजीडब्लुएम प्रक्रिया का नाम	परिणाम
भू-वैज्ञानिक मानचित्रीकरण	• क्षेत्र के लिये भू-वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया
जलवैज्ञानिक मानचित्रीकरण	• क्षेत्र के लिये जल-वैज्ञानिक आनचित्र तैयार किया गया • क्षेत्र मेंजलवाहक-स्तर को दर्शाने वाले मानचित्र तैयार किए गए
निगरानी तंत्र	• नियमित निगरानी के लिये संसाधनों की पहचान • निगरानी की निश्चित की गई आवृत्ति को सुनिश्चित किया गया • कम-से-कम एक जलीय चक्र के लिये निगरानी
जलस्तर के आंकड़े	• आरडब्लुएल की सहायता से परियोजना स्थल के कुंओं /जलस्त्रोतों का जलालेख • आरडब्लुएल की सहायता से भूजल की गति का मानचित्रण जिसमें भूजल के प्रवाह को देखा जा सके। • पुनःपूरण और निर्वहन क्षेत्रों की पहचान

जल की गुणवत्ता का विश्लेषण	• क्षेत्र के जल की गुणवत्ता को समझना • जल की गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर जलवाही-स्तर का आलेखन
जलवाही-स्तर का निरूपण	• जल की गुणवत्ता के आधार पर जल की पेयता का विश्लेषण • क्षेत्र के जलवाही स्तर की संग्रहण क्षमता और पारगमन क्षमता • किसी क्षेत्र में भूजल की एक वर्ष तक की उपलब्धता को समझना
भूजल सन्तुलन	• ऊपर की सभी गतिविधियों की तुलना के आधार पर भूजल सन्तुलन का निष्कर्ष निकालना
फसल और जल का आकलन	• भूजल सन्तुलन के आधार पर फसल का आयोजन
भूजल प्रबंधन योजना	• प्रायोगिक परियोजना स्थल के लिये भूजल प्रबंधन पर रिपोर्ट • सभी हितधारकों के साथ साझा करना - ग्राम सभा के माध्यम से समाज के सदस्यों के साथ, संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ
जल सुरक्षा कार्यक्रम में निवेश	• जल-भू-वैज्ञानिकसमझ को आयोजन स्तर पर अन्तःस्थापित करके जल सुरक्षा के आयोजनों के परिणामों को मजबूत बनाना • संबंधित योजनाओं को साथ में जोड़ना

मार्च 2020 तक पार किये गए पड़ाव

- पीजीडब्लुएम के 20 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर भू-वैज्ञानिक और जल-भू-वैज्ञानिक मानचित्रीकरण किया जा चुका है।
- पीजीडब्लुएम के 20 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर जलवाही-स्तर का निरूपण (पम्पिंग टेस्ट) किया जा चुका है।
- पीजीडब्लुएम के 18 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर जलकी गुणवत्ता का परीक्षण भी किया जा चुका है।
- प्रत्येक स्थल पर सामुदायिक शिष्टाचार भी निर्धारित कर दिया गया है जिसका अनुसरण करके भूजल पर निर्भरता को कम किया जा सके और उपलब्ध जल का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सके।
- सभी पीजीडब्लुएम के 20 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर फसल के लिये जल का आकलन तैयार किया गया है और जल सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन हो रहा है।
- भूजल से संबंधित उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग के लिये सभी बीआरएलएफ के भागीदारों और समुदायों के क्षमता-निर्माण के लिये अनेक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया।
- कुंओं की निगरानी, फसल-जल आकलन, जल सुरक्षा के लिये 100 समुदाय संसाधन व्यक्तियों को सशक्त बनाया गया।
- पीजीडब्लुएम के 18 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर जल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये, 18 डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करके जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किये गए।
- अब तक, खुले कुंए, खेत के कुण्ड, रोधक बांध आदि जैसे जल संरक्षण के ढाँचों के लिये ₹400 लाख प्राप्त किये गए हैं। प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर ये ढाँचे सरकारी योजनाओं के तहत जल संरक्षण योजना के अनुकूल बनाए गए हैं।
- इस पहल के अनुभव से सीख लेकर बीआरएलएफ के भागीदारों ने, प्रारम्भिक प्रायोगिक 20 स्थलों के अलावा 10 नए गाँवों में भी पीजीडब्लुएम का विस्तार किया है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

इस परियोजना का उद्देश्य, किसान उत्पादक संगठनों को सहयोग देना और बीआरएलएफ के भागीदारों को बढ़ावा देना, है।

लक्ष्य -

- संस्था-निर्माण हेतु परिस्थितियों का आंकलन करना, नवगठित और पहले से कार्यरत एफपीओ संगठनों की जरूरतों को समझना और असंगठित किसान समूहों के मामले में संगठन की संभावनाओं और समूह गतिशीलता का आंकलन करना।
- सात नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा गठित 17 चयनित एफपीओ के संवर्धन और विकास के लिये रणनीतिक योजना और संस्थागत ढाँचे का विकास करना।
- नीचे दिये तकनीकी सहयोग द्वारा मजबूत समर्थन उपलब्ध कराना
    - सामाजिक-आर्थिक विकास
    - संगठनात्मक विकास
    - कानूनी, वित्तीय और बाजार योजनाएँ
    - मानव संसाधन विकास - उत्पादक समूहों के प्रवर्तकों, किसानों और कर्मचारियों के लिये समुदाय आधारित कार्यक्रमों का आयोजन

मुख्य परिणाम

- 17 एफपीओ के प्रबंधन के लिये बीआरएलएफ के भागीदारों का क्षमता-निर्माण
- उत्पादक कम्पनी, सहकारी संस्था और गैर-सरकारी संस्था की धारणा के विषय में सभी भागीदारों और संबंधित संस्थाओंके कर्मचारितों में स्पष्टता
- 17 किसान उत्पादक संगठनों का पंजीकरण और कानूनी दस्तावेजों का काम पूर्ण किया गया
- सभी हितधारकों - संगठन प्रवर्तक, निदेशक मंडल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी - के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टता
- एफपीओ के लिये परीक्षात्मक योजना की तैयारी
- मूल्य-शृंखला दृष्टिकोण संबंधी स्पष्टता
- उत्पादक संगठनों की संगठनात्मक रणनीतिइ का निर्माण

स्थल और नागरिक सामाजिक संगठन

क्रम संख्या	भागीदारा संगठन का नाम	राज्य	जिला	विकास खण्ड	किसान उत्पादक संगठनों की संख्या
1	परहित	मध्य प्रदेश	श्योपुर	श्योपुर	1
				करहल	1
2	सेवा	ओडीशा	संबलपुर	झारसुगुडा	1
			कुचिन्द्रा	कोलाबीरा	1
3	वोंक (wonk)	ओडीशा	नुआपाड़ा	खरियार	1
				बोडन	1
			बालंगीर	मुरीबहल	1
				तुरेकेला	1
				बंगोमुंडा	1
				खापराखोल	1
				बेलपाड़ा	1
4	वायसीडीए	ओडीशा	बालंगीर	बेलपाड़ा	1
			बौध	कांटामल	1
5	दिगम्बरपुर अंगीकार	पश्चिम बंगाल	उत्तरी चौबीस परगना	संदेशखाली	1
6	प्रसारी	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	नगरकट्टा	1
7	विकास सहयोग केन्द्र (वीएसके)	झारखण्ड	पलामु	छतरपुर	1
			लातेहार	मनिका	1
कुल	7		10		17

प्रगति

यह परियोजना का अंतिम वर्ष था। सभी सात नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा 'युवा मित्रा' के सहयोग से प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार से हैं-

भागीदार का नाम	समर्थन का प्रकार	अंतिम परिणाम
परहित कोन्सोर्शियम, मध्य प्रदेश	■ किसान उत्पादक संगठन की धारणा से संगठन के कर्मचारियों को अवगत कराया गया ■ संगठन को समुदाय को संगठित करने और ग्राम स्तर की बैठकों केविषय में मार्गदर्शन ■ एफपीओ के पंजीकरण के लिये दस्तावेजों की तैयारी में मार्गदर्शन और समर्थन ■ मूल्य-शृंखला और आंकड़ों के संग्रहण पर समूहों का आंकलन करने के लिये मार्गदर्शन ■ व्यापार संबंधीयोजना और प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में अवगत कराना	दो एफपीओ का पंजीकराण हो चुका है और वे कार्यरत हो चुकी हैं - ■ बारकेश्वर एफपीसी, शिवपुती खण्ड, जिला शिवपुरी ■ सहरिया एफपीसी, करहल खण्ड, जिला शिवपुरी एफपीसी के बँक खाते खोले गए
प्रसारी, पश्चिम बंगाल	■ किसान उत्पादक संगठन की धारणा से संगठन के कर्मचारियों को अवगत कराया गया ■ संगठन को समुदाय को संगठित करने और ग्राम स्तर की बैठकों केविषय में मार्गदर्शन ■ एफपीओ के पंजीकरण के लिये दस्तावेजों की तैयारी में मार्गदर्शन और समर्थन ■ मूल्य-शृंखला और आंकड़ों के संग्रहण पर समूहों का आंकलन करने के लिये मार्गदर्शन ■ व्यापार संबंधीयोजना और प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में अवगत कराना	एक एफपीसी पंजीकरण कीप्रक्रिया में है ■ द्वार्स क्वीन एफपीसी, जिला जलपाईगुडी क्षेत्र का मानचित्रीकरण हो चुका है, सात निदेशकों का मंडल चुना जा चुका है। एफपीसी के उप-नियम बनाए जा चुके हैं।
वीएसके, झारखण्ड	■ मूल्य-शृंखला और आंकड़ों के संग्रहण पर समूहों का आंकलन करने के लिये मार्गदर्शन ■ व्यापार संबंधीयोजना और प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में अवगत कराना ■ युवा मित्र द्वारा कर्मचारियों और किसानों का प्रशिक्षण	दो एफपीसी पंजीकृत किये जा चुकेहैं - ■ छतरपुर किसान संसाधन केन्द्र एफपीसी, पलामु ■ मनिका किसान संसाधन केन्द्र एफपीसी, लातेहार छतरपुर किसान संसाधन केन्द्र एफपीसी ने इनपुट सप्लाई शॉप और मनिका किसान संसाधन केन्द्र ने आउटपुट मार्केटिंग शुरु कर दी है।
सेवा, ओडीशा	■ किसान उत्पादक संगठन की धारणा से संगठन के कर्मचारियों को अवगत कराया गया ■ संगठन को समुदाय को संगठित करने और ग्राम स्तर की बैठकों केविषय में मार्गदर्शन ■ एफपीओ के पंजीकरण के लिये दस्तावेजों की तैयारी में मार्गदर्शन और समर्थन ■ मूल्य-शृंखला और आंकड़ों के संग्रहण पर समूहों का आंकलन करने के लिये मार्गदर्शन ■ व्यापार संबंधीयोजना और प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में अवगत कराना	दो एफपीसी पंजीकृत किये जा चुके हैं - ■ त्रिमुखी फार्मर प्रोड्युसर कं. लि., लाइकारा खण्ड, जिला झारसुगुडा ■ गुडगुडा फार्मर प्रोड्युसर कं. लि., कुचिन्द्रा खण्ड, जिला संबलपुर त्रिमुखी एफपीसी ने इनपुट सप्लाई शॉप और गुडगुडा एफपीसी ने मिर्च की प्रक्रमण ईकाई शुरु कर दी है।
वायसीडीए, ओडीशा	■ बेसलाईन सर्वे डिझाईन, बिझनेस डेवलपमेन्ट प्लान और प्रोडक्ट मॅपिंग में प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता ■ एफपीसी स्तर पर बीओडी के साथ मीटिंग में समर्थन ■ एफपीओ के पंजीकरण के लिये दस्तावेजों की तैयारी में मार्गदर्शन और समर्थन ■ एफपीओ के प्रबंधन में बीओडी और सीईओ द्वारा प्रशिक्षण	तीन एफपीसी पंजीकृत किये जा चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरु कर दिया है- ■ भीमबारुल कृषक प्रोड्युसर कं. लि. खुंटीगोरा,कांटामाल खण्ड, जिला बौध ■ बनानी कृषकप्रोड्युसर कं. लि., बरगोछा, कांटामाल खण्ड, जिला बौध ■ पुडापहाड़ कृषक प्रोड्युसर कं. लि., बरगाँव, खरियार खण्ड, जिला नौपाड़ा इन एफपीसी की व्यापार योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं।

डीए, पश्चिम बंगाल	• किसान उत्पादक संगठन की धारणा से संगठन के कर्मचारियों को अवगत कराया गया • संगठन को समुदाय को संगठित करने और ग्राम स्तर की बैठकों केविषय में मार्गदर्शन • एफपीओ के पंजीकरण के लिये दस्तावेजों की तैयारी में मार्गदर्शन और समर्थन • मूल्य-शृंखला और आंकड़ों के संग्रहण पर समूहों का आंकलन करने के लिये मार्गदर्शन • व्यापार संबंधीयोजना और प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में अवगत कराना	एफपीसी के पंजीकरण की पूरी तैयारी कर ली गई थी किंतु डीए के अंदरुनी संगठनात्मक चुनौतियों के चलते अब तक यह काम पूरा नहीं हो सका है। परियोजना की अवधि के दौरान डीए के जिम्मेदार कर्मचारी दो बार बदले गए जिससे कार्य में विघ्न उत्पन्न हुए। वर्तमान में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है और आशा है कि एक महीने के अंदर एफपीसी पंजीकृत हो जाएंगी।
डब्ल्युओएनसी, ओडीशा	• किसान उत्पादक संगठन की धारणा से संगठन के कर्मचारियों को अवगत कराया गया • संगठन को समुदाय को संगठित करने और ग्राम स्तर की बैठकों केविषय में मार्गदर्शन • एफपीओ के पंजीकरण के लिये दस्तावेजों की तैयारी में मार्गदर्शन और समर्थन • मूल्य-शृंखला और आंकड़ों के संग्रहण पर समूहों का आंकलन करने के लिये मार्गदर्शन • व्यापार संबंधीयोजना और प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में अवगत कराना	ओडीशा आजीविका मिशन ने एफपीसी को प्रोत्साहन देने के लिये एक कार्यक्रम शुरु किया है जिसमें 10 से 15 उत्पादकों के समूहों के साथ एफपीसी का गठन होगा। वोंक , ओडीशा आजीविका मिशन के साथ संलग्न है और उनके मार्गदर्शन के तहत काम कर रही है जिससे एफपीसी के पंजीकरण में विलंब हो सकता है। डब्ल्युओएनसी ने, परियोजना निष्पादन की रणनीति में हुए बदलाव के कारण किसी भी एफपीसी का पंजीकरण नहीं करवाया है। उत्पादक समूहों के सशक्तिकरण के लिये सहायता दी गई।

विमुक्त और घुमंतु जनजातियाँ (डीएनटी/एनटी)

देश में विमुक्त जनजातियों और घुमंतु जनजातियों के सीमांतीकरण और उपेक्षा के इतिहास को देखते हुए, बीआरएलएफ ने इन जातियों के जीवन और रोजगार में सुधार लाने के लिये एक विशेष हस्तक्षेप शुरु करने की सोची। इस दिशा में काम करने के लिये बीआरएलएफ की कार्यकारिणी समिति की एक उप समिति का गठन किया गया।

इस कमिटी के मार्गदर्शन में बीआरएलएफ ने एक परियोजना का आरंभ किया जिसका नाम है - महाराष्ट्र की विमुक्त और घुमंतु जनजातियों का सशक्तिकरण और उनके लिये रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना, यह परियोजना 1 अप्रैल 2017 से तीन वर्ष के लिये बनाई गई। इस परियोजना के लिये कार्यकारिणी ने सेवावर्धिनी को कार्यान्वयन की एजेन्सी के रूप में चुना। समीक्षा के बाद बीआरएलएफ की समिति ने 2019 से इस परियोजना के लिये एक नई कार्यान्वयन रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। बीआरएलएफ समिति की बैठक हुई और 19 और 20 जुलाई 2019 को सोलापुर जिले के कुरडूवाडी गाँव के पास पारधी समुदाय की बस्ती में मुलाकात के लिये, समिति दो बार गई। बैठक में समिति के सदस्य प्रो. अजय डांडेकर और श्री गिरीश प्रभुणे, और बीआरएलएफ की टीम से श्री कुलदीप सिंह और श्री शरद भार्गव ने भाग लिया। लिया।इस समिति ने निर्णय लिया कि 1 सितम्बर,

2019 से 31 अगस्त 2020 तक के एक वर्ष के लिये एक प्रायोगिक परियोजना निम्नतम निवेश के साथ बनाई जाए और परिणामों के आधार पर आगे की रणनीति और निवेश निश्चित किया जाए।

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की चुनी हुई 150 विमुक्त और घुमंतु जनजातीय परिवारों की आजीविका की स्थिति में सुधार लाने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना को बीआरएलएफ की कार्यकारिणी ने मंजूरी दी. इस परियोजना की लागत ₹22.5 लाख है। इसमें बीआरएलएफ का भाग ₹8.55 लाख का और समुदाय की भागीदारी ₹13.5 लाख की है।

चर्चा और मुलाकातों के आधार पर सब कमिटी ने निम्न निर्णय लिये -

- 150 परिवारों का एक समूह चुना गया है जिसमें कुछ सामुदायिक काम पहले से ही किया जा रहा है।
- सामुदायिक अंशदान के रूप में 30 गायों को पालकर समुदाय को दी जाचुकी हैं ताकि आजीविका गतिविधियाँ तुरंत शुरु हो सकें। दो जगहों पर गौशालाएँ भी बनाई जा चुकी हैं।
- समुदाय स्तर के तीन कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है। वे सभी पारधी जाति के ही लोग हैं अतः समुदाय से जो उन्हें सहज स्वीकृति मिली है वह पारधी जनजाति के बाहर के व्यक्तियों को न मिलती।
- तीन समूहों में से एक कुर्डु गाँव के पास है जहाँ पर पारधी परिवारों के पास कुछ जमीनें हैं, एक कुँआ है और जलसंग्रहण की संभावनाएँ हैं। इससे कई तरह के आजीविका उपाय संभव हैं।

  20 जुलाई 2019 को स्थल की बैठक के बाद सब समिति ने अनुशंसा दी कि, सबसे अधिक ध्यान, एक ऐसी प्रायोगिक आजीविका परियोजना पर दिया जाना चाहिये जो गोपालन, मुर्गीपालन और सुचारु रूप से सिंचित खेती पर आधारित हो।

मार्च 2020 तक प्रगति

- तीन सीआरपी और एक टीम लीडर की एक टीम चुनकर स्थल पर नियुक्त की गई जो बीआरएलएफ की कार्याकरिणी के सदस्य श्री गिरिश प्रभुणें के मार्गदर्शन में काम कर रही है।
- बीआरएलएफ द्वारा टीम के सभी सदस्यों का, नियुक्ति के बाद, डीएनटी के निर्देशों के अनुरूप, अनुकूलन किया गया।
- परियोजना टीम ने 150 परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया।
- आवश्यकता और रुचि के आधार पर चुने गए 16 सबसे अधिक उपयुक्त परिवारों में 16 गाय और 2 बैलों का वितरण किया गया।
- प्रोजेक्ट टीम ने 150 परिवारों में 15 समूह बनाए।
- सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक सामुदायिक कुँआ बनवाया गया।
- समुदाय के सदस्यों को फसलोंके लिये पॅकेज ऑफ प्रक्टिसेज - मकई, दलहन, घासचारा इत्यादि - से अवगत कराया गया और प्रशिक्षित किया गया।
- मार्च 2020 तक ₹3.48 लाख का कुल खर्च किया जा चुका है।

चारागाही केन्द्र

2017 में बीआरएलएफ ने सहजीवन के साथ सहजीवन द्वारा एक चारागाही केन्द्र बनाने केविषय में समझौता किया। उसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं -

1. अनुदान के पहले वर्ष में बीआरएलएफ की साझेदार संस्थाओं का आजीविका और देशज बीजों के विषय में क्षमता निर्माण।
2. सुचारु दस्तावेजीकरण के माध्यम से वर्षा-सिंचित खेती करने वाले समुदायों और प्रवासी पशुपालक समुदायों के, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भों के आधार पर आपसी संबंधों को समझना ।

उपलब्धियाँ

उद्देश्य क्रमांक 2 के संबंध में काफी काम किया जा चुका है, - देवासी रबारियों के बीच शुरु किये गए काम के संबंध में एक लेख; दक्षिण में पशुचारणता और वर्षा सिंचित खेती करने वालों के आपसी संबंध को समझने को लेकर हमारे दस्तावेजीकरण पर एक लेख; हाल ही के अनेक प्रकाशनों की शृंखलाओं के साथ ही सरकार द्वारा मान्य नई नस्लों के बारे में विस्तृत लेख; और वनाधिकार कानून पर किया गया काम और सामुदायिक वनाधिकार के अन्तर्गत दावों की प्रस्तुति। इन सब का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

देवासी रबारियों पर एक प्रारंभिक लेख

मूल रूप से राजस्थान के जालोर, झालावाड़, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, उदयापुर और कोटा जिलों के वासी रबारी समुदाय के लोग अपने पशुओं के लिये चारे की तलाश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक पलायन कर जाते हैं। वर्षा के 2-3 महीने ये लोग राजस्थान में ही रहते हैं, जिसके बाद ये मध्य प्रदेश की ओर गति करते हैं जहाँ ये 7-8 महीने रहते हैं। मूल रूप से राजस्थान के वासी किंतु देवास और आसपास के क्षेत्रों में रहने के कारण इन्हें मध्य प्रदेश में देवासी रबारी और राइका नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में, अमझेरा, जामघाट, माण्डव और गुजरी - ये चार घाट हैं जहाँ से अलग अलग समूह अपना रास्ता अलग पकड़ते हैं। वे हरदा (होशंगाबाद), खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर, जिलों से वर्षा के मौसम में गुजरते हैं। जब पानी मिलना कम हो जाता है तो ये महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती की ओर बढ़ जाते हैं।

- **चोरी -** मध्य प्रदेश के धार और देवास के चार एरों के सर्वेक्षण में पता चलाअ कि रबारियों के पशुधन को चुरा लिया गया था। उन्हें पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिलता क्योंकि पुलिस उन्हें अपराधी समझती है। छोटे पशुओं की चोरी भी अनसुनी नहीं है। पहले एक -दो भेड़-बकरी की मांस के लिये चोरी होती थी किन्तु अब ये बड़े पैमाने पर होती है। लोगों के बड़े समूह अपने वाहनों से आकर यथासंभव पशुओं को उठाकर ले जाते हैं । किंतु चोरियाँ केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं, उनके मूल निवास की जगह भी होती हैं, हालांकि कम परिमाण में कम बारंबारता से। हीराजी कहते हैं कि राजस्थान की बंजारा जाति चोरी में लिप्त हैं। मध्य प्रदेश में भील

और राठिया - एक प्रकार के धनुर्धारी समुदाय के लोग, स्थानीय चोरों के लिये संदेशवाहक का काम करते हैं और उन्हें पशुपालकों के स्थल और मार्ग की जानकारी देते हैं।

- **वनों में प्रवेश -** इनके लंबे पैदल प्रवास के दौरान इन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नए बनाए गए राजमार्ग वाहनों के अतिरिक्त अन्य व्यवहार के लिये खुले नहीं हैं, अतः पशुओं के साथ उन पर चलना मुमकिन नहीं है। वनक्षेत्र के वर्जित हो जाने से इनके मार्ग बाधित हो गए हैं। राजस्थान में वृक्षारोपण और कोटा के, बाघों के लिये आरक्षित वन मुकुन्द्रा ने इनके पशुओं के लिये चारागाहों को और भी सीमित कर दिया है।
- **कृषि-विषयक संबंधों में बदलाव -** मालवा प्रदेश में भूमि के उपयोग की पद्धति में , हाल के वर्षों में आए बदलाव ने भी इन पशुपालक समुदायों की मुसीबतें बढ़ाई हैं। वर्षा-सिंचित कपास उगाने वाले क्षेत्रों की जगह, सिंचाई की सुविधा की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप उन्नत खेती के चलते इन समुदायों को स्थानीय कृषकों से, दो कारणों से अलग कर दिया है - (अ) सिंचाई की बढ़ी हुई सुविधा के कारण रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल भी बढ़ा है जिससे किसान इन पशुपालकों पर गोबर की खाद के लिये निर्भर नहीं हैं; और (ब) गाँवों में गोचर भूमि बहुत प्रचण्ड रूप से कम हुई है क्योंकि आदिवासियों ने भूमि को आधिपत्य कर उसे खेती की भूमि में बदल दिया है।

दक्षिण में वर्षा-सिंचित खेती और पशुचारणता में संबंध

लिविंग लाइटली - सीएफपी का पशुचारण पर प्रदर्शन और उत्सव - का द्वितीय संस्करण, दक्षिण की ओर बढ़ता है। अपने पर्वतीय जोड़ीदारों से अलग, दक्षिणी पठार के सूखे प्रदेश के पशुचारक क्षितिज के समांतर गति करते हैं - मानसून और फसल कटाई के मौसम के साथ साथ। कृष्णा और गोदावरी का जलीय पर्यावरण इन पशुचारकों को करनाटक, महाराष्टर, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर ले जाता है, इस दौरान ये पशुचारक वनक्षेत्र, सामूहिक भूमि, नदी-नालों के सूखे पड़े तलों, गाँवों के चरागाहों और खेतीयोग्य किंतु बंजर पड़ी भूमि पर अपने पशुओं को चराते हुए गुजरते हैं। वास्तव में दक्षिण की पशुचारणता अपने वर्षा-सिंचित खेती से संबंध के कारण अपना अलग ही व्यक्तित्व रखती है।

पिछले वर्ष लिविंग लाइटली की टीम, दक्षिण के किसानों और पशुचारकों के बीच गहन संबंधों और परस्पर निर्भरता के विषय में अध्ययनों और कहानियों की खोज में रही। इस विषय पर औपचारिक अधयनन बहुत ही कम या नहीं के बराबर हैं किंतु अनेक साक्षात्कारों, मौखिक विवरणों, मौखिक इतिहास, और किस्से कहानियों के माध्यम से दक्षिण में किसानों और पशुचारकों के बीच के रिश्ते का एक प्रमाण उभर कर आता है जो देश के बाकी भागों में कृषि और पशुचारणता के बीच के बहुत कमजोर रिश्ते के इतिहास से विपरीत है। पिछले वर्ष सीएफपी युनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ भागीदारी में पशुचारक महिलाओं के जीवन में आए परिवर्तनों पर भी अध्ययन कर रही है। इस अध्ययन में महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल की महिलाओं को शामिल किया गया और इससे विषय की अतिरिक्त जानकारी, खास तौर पर महाराष्ट्र क्षेत्र की, मिल सकी है। यह अध्ययन किसानों और पशुचारकों के बीच एक लचीले आर्थिक कृषि-पशुचारण संबंधों और स्थाई सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। इन रिपोर्टों से उत्साहित होकर सीएफपी ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में, अर्थशास्त्र के विस्तार और गति को अधिक गहनता से परखने के लिये एक प्रायोगिक परियोजना का आरंभ किया है।

पिछले वर्ष लिविंग लाइटली की टीम ने, 12 से अधिक पशुचारक समुदायों के मार्ग का अनुसरण करते हुए किसानों और पशुचारकों पीढ़ीओं के आपसी संबंधों, उनके पर्यावरण के सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों, उनके देशी रिवाजों और परंपराओं, और पशुधन विषयक अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत विवरण एकत्र किये हैं। अनुमान है कि भारत में पशुचारण तंत्र के अन्तर्गत पशुधन द्वारा उपलब्ध कराए गए जैविक उर्वरकों का मूल्य लगभग ₹33 लाख करोड़ वार्षिक है। एक और अनुमान के अनुसार केवल पशु-विष्ठा से ही देश को प्रतिदिन लगभग ₹750 से ₹950 करोड़ की आय होती है।

पशुचारण और कोविड

सीएफपी ने, पशुचारकों पर लॉकडाउन के प्रभाव पर, इस वर्ष अप्रैल में, एक सर्वेक्षण किया। इसके बाद अब सीएफपी, पशुचारक इस महामारी का कैसे सामना कर रहे हैं इस विषय पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कर रहा है।

पशु-नस्लों पर काम

सहजीवन -सेन्टर फॉर पास्टोरलिज्म के प्रयत्नों से भारत में कई नई पशु-नस्लों का, भारत-विशेष नस्लों के रूप में पंजीकरण हुआ है। आईसीएआर-एनबीएजीआर, करनाल द्वारा 2020 में नई नस्लों को पंजीकृत किया गया।

- कच्छी गधा - मूल क्षेत्र - कच्छ, गुजरात
- नरी गोधन - मूल क्षेत्र - राजस्थान के सिरोही और पाली जिले, गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा जिले। इस पर एक दस्तावेज संलग्न है।
- पोडा थुरुपु गोधन - मूल क्षेत्र - यह तेलंगाना में पंजीकृत हुई थी और राज्य की पहली पंजीकृत गोधन नस्ल थी। तेलंगाना के दो गैरसरकारी संगठनों - वासन और कोनारे ने इसके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरु करवाई। वासन, पोडा थुरुपु को-ऑपरेटिव सोसायटी के साथ सह-प्रार्थक था। सहजीवन -सीएफपी ने वासन और कोनारे को तकनीकी सहायता दी।
- इस वर्ष गुजरात की डागरी नस्ल का पंजीकरण किया गया । इस नस्ल को दक्षिण गुजरात का एक आदिवासी समुदाय पालता है।

वनाधिकार कानून के तहत सामुदायिक वनाधिकार पर काम

2018 में बीआरएलएफ की कार्यकारिणी ने, श्री मोहनभाई हीरालाल की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया जिसका काम यह देखना था कि, वनाधिकार कानून के अन्तर्गत सामुदायिक वनाधिकार के क्षेत्र में बीआरएलएफ के भागीदार किस तरह हस्तक्षेप कर सकते हैं।

स्थापना से अब तक कमिटी की कई बैठकें आयोजित की हैं और बीआरएलएफ के भागीदारों के लिये एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है ताकि इस मुद्दे पर काम करने के उपाय ढूँढे जा सकें। इस कार्यशाला के मुख्य निष्कर्ष हैं -

- ऐसे जिले खोजे जाएँ जहाँ पर सामुदायिक वनाधिकार पर काम नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में जागृति लाने के लिये अधिक मानव और अन्य संसाधनों की जरूरत है।
- सरकार द्वारा, जिला और विकास खण्ड प्रशासन में नए जुड़ने वाले अधिकारियों का क्षमता विकास किया जाना चाहिये। उन्हें उन क्षेत्रों का अनुभव दिया जाना चाहिये जहाँ पर सीएफआर के क्षेत्र में समुदायों ने अच्छा काम किया है।
- ग्रामीण युवाओं के क्षमता विकास के लिये भी पहल की जानी चाहिये क्योंकि भविष्य में यही युवा जंगलों को संभालेंगे और राजनीतिक और अफसरशाही की चुनौतियों का सामना करेंगे।
- एफआरए के संयोजकों को स्थल पर नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि वे दावों को निपटाने की प्रक्रिया को गति देने में सहायक हो सकें।
- एफआरए की राज्य, जिला और खण्ड स्तर की कमिटियाँ बनाई जाएँ।
- युवाओं को आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये बनाए गए कानून का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
- यह निश्चित किया गया कि सीएफआर के संबंध में राज्य सरकारों तक पहुँचने से पहले हमें अपना गृहकार्य कर लेना चाहिये - सीएफआर के आंकड़े एकत्र करना, एमआईएस का रख-रखाव करना, इत्यादि।
- यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सीएफआर की संचिका बनाने के लिये एक प्रशिक्षण पुस्तिका बनाई जाए जो स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो।
- दावा दायर करने के लिये कानूनी दस्तावेजों की एक सूचि बनाई जानी चाहिये।
- ऐसे दावे जो अस्वीकार हो गए हों उनकी भी एक सूचि बनाई जानी चाहिये।
- क्षमता-विकास स्तम्भ को प्रशिक्षण का एक मापदण्ड विकसित करना चाहिये और ऐसी संस्थाओं की पहचान करनी चाहिये जो सीएफआर के दावे दायर करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण दे सकें।

इसके बाद, कमिटी की सिफारिशों पर, बीआरएकएफ ने अत्री (अशोका ट्रस्ट फॉर रीसर्च इन इकोलोजीएण्ड एन्वायरनमेन्ट) द्वारा एक लघु जाँच को अधिकृत किया जिसके तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएफआरके क्षेत्र में संभावनाओं का मानचित्र बनाया जाएगा। ये मानचित्र नागरिक सामाजिक संगठनों और सरकारों के लिये सामुदायिक वनाधिकार के दावों को आगे बढ़ाने में एक साधन का काम करेंगे।

आगे भी चुने हुए प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर बीआरएलएफ और नागरिक सामाजिक संगठनों के भागीदार साथ मिलकर समुदायों के वनाधिकारों को सुरक्षित करने के लिये काम करेंगे। इसके लिये राज्यों के आदिवासी विभागों और आदिवासी मामलों के मंत्रालयों के साथ सम्पर्क और चर्चा करना जरूरी है । क्षमता-निर्माण और अनुसंधान विभाग आईईसी सामग्री और दस्तावेजों की तैयारी में अपना योगदान देंगे।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय का श्रेष्ठता का केन्द्र – बीआरएलएफ

वर्ष 2019 में बीआरएलएफ और भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय (मोटा) के बीच एक महत्वपूर्ण भागीदारी की शुरुवात की गई। मोटा ने बीआरएलएफ को अपना एक श्रेष्ठता-केन्द्र घोषित किया और निवेदन किया कि, श्रेष्ठता-केन्द्र के रूप में बीआरएलएफ मंत्रालय के कुछ कामों की जिम्मेदारी ले - नागरिक सामाजिक संस्थाओं का चयन, पश्चिम बंगाल में ऊषर मुक्ति परियोजना पर शोध, नागरिक सामाजिकसंगठनों को दिये जाते सहायक अनुदान योजना का मूल्यांकन।

मोटा के नागरिक सामाजिक संगठनों का चयन

आदिवासी आबादी में विकास के अंतर को कम करने के लिये, मोटा, अपनी अनेक सहायक अनुदान योजनाओं के माध्यम से गैर सराकारी संगठनों को उनके विशिष्ट लक्ष्य केन्द्रित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये आर्थिक मदद देता है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय गैर सरकारी संगठन करते हैं जिनका चयन यथोचित निरीक्षण के आधार पर किया जाता है । योजना का उद्देश्य पिछड़े और अभाव-ग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, नवप्रवर्तन संबंधी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाना और अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक-सामाजिक विकास की योजनाओं का एकीकृत,समन्वित और योजनाबद्ध रूप से कार्यान्वयन करना है।

नागरिक सामाजिक संगठनों की कुल संख्या बहुत बड़ी है और उनमें से चयन करने की प्रक्रिया श्रमसाध्य और समयसाध्य है। अतः मंत्रालय द्वारा यह सोचा गया कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे संभावित संगठनों को आसानी से पहचाना जा सके। इस वर्ष मंत्रालय को शिक्षा, स्वास्थ्य, नवप्रवर्तन जैसे विषयों पर बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं। भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउण्डेशन की नागरिक सामाजिक संगठनों को चुनने और उन्हें सहयोग उपलब्ध कराने के मामले में विशेष क्षमता को देखते हुए मोटा ने बीआरएलएफ को इन बड़ी संख्या में मिले प्रस्तावों में से, सख्त जाँच प्रक्रिया से, श्रेष्टतम प्रस्तावों को चुनने का काम दिया है।

नागरिक सामाजिक संगठनों के चयन के विभिन्न चरण

चरण -1 प्रि फण्डिंग अप्रेजल -अनुदान पूर्व आंकलन

यह इस प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका उद्देश्य संगठन के वैधानिक अनुपालन कोजाँचना और सत्यापित करना - क्या सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं या हीं । अगर कोई संगठन दस्तावेज नहीं दे पाया तो, उस संगठन को एक नियमित समय के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया। जब सभी संगठनों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गए तब कमिटी ने दस्तावेजों की वैधता और सत्यता को परखा।

चरण -2 डेस्क अप्रेजल - इस चरण का उद्देश्य संगठन की क्षमता का मूल्यांकन करना है - परियोजना का बजट, औचित्य और संगठन का पूर्वानुभव।सभी संगठनों का मूल्यांकन करने के लिये, अनुशंसित संगठनों के लिये एक प्रारूप तैयार किया गया और उसे पहले चरण के बाद साझा किया गया।

परियोजना के चयन के लिये नीचे दिये गए मापदण्ड निश्चित किये गए -

- वर्ग 1 - 70% अथवा 70% से ज्यादा प्राप्तांक
- वर्ग -2 - 60% से ज्यादा किंतु 70% से कम प्राप्तांक
- वर्ग -3 - 40% से 60% के बीच प्राप्तांक
- अस्वीकृत - 40% से कम प्राप्तांक
- चरण -3 - संगठनों द्वारा प्रस्तुति

इस तीसरे चरण में चुने गए संगठनों को दिल्ली में एक कमिटी के समक्ष प्रस्तुति देनी थी, इस कमिटी में मोटा के निदेशक और संयुक्त सचिव भी शामिल थे। किंतु कोविड -19 के चलते लॉकडाउन होने के कारण मोटा ने इन प्रस्तुतियों को ऑनलाइन लेने का फैसला लिया।

अंतिम चयन - वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये मोटा को देश के विभिन्न भागों से 118 प्रस्ताव मिले। इनमें से 14 प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे नवप्रवर्तन परियोजनाओं के अन्तर्गत आते थे। बीआरएलएफ ने जनजाति मामलों के मंत्रालय को दिये गए, बाकी के 104 प्रस्तावों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरु कर दी है। बीआरएलएफ द्वारा की गई जाँच के आधार पर मंत्रालय अंतिम चयन करेगा।

ऊषर-मुक्ति पर शोधात्मक अध्ययन -

2017 में, पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा सेल, बीआरएलएफ और प्रदान ने एक परियोजना को शुरु करने के लिये समझौता किया। इस परियोजना को नाम दिया गया - 'उषर-मुक्ति - पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी भाग में जलोत्सारण प्रणाली में मनरेगा का प्रभावी कार्यान्वयन'। यह नागरिक सामाजिक संगठनों और सरकार के सहयोग और बीआरएलएफ के समर्थन से चलाई जाने वाली अनोखी परियोजना है। इसके तहत, मनरेगा से प्राप्त निधि के उपयोग से जलोत्सारण क्षेत्र में जल और भूमि के उपचार द्वारा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्रों के चुने हुए खण्डों की आदिवासी महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिये स्थाई रोजगार की उपलब्धि हो सकेगी। इस कार्यक्रम और उसके राज्य पर पड़ते प्रभाव का एक शोधात्मक अध्ययन किया जा रहा है ताकि आदिवासियों और अन्य सीमांत समूहों की आजीविका के प्रश्नों का हल ढूंढा जा सके। (विस्तृत जानकारी के लिये इस रिपोर्ट के पाँचवाँ अध्याय को देखें।)

मंत्रालय की सहायक अनुदान योजना का मूल्यांकन

सहायक अनुदान (ग्रान्ट इन एड) की योजना मंत्रालय ने 01,अप्रैल, 2008 को, आदिवासी क्षेत्रों के उपेक्षित इलाकों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से पहुँचने के लिये शुरु की थी जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, कृषि-बागबानी की उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र विकास में पड़ी दरार को कम किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत, गैरसरकारी संगठनों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित वित्तीय मानकों और नियमों और शर्तों के आधीन, तीन वर्ष के लिये, 100% अनुदान समर्थन दिया जाता है।

बीआरएलएफ के अनुसंधान और ज्ञान विभाग को मंत्रालय के स्टॅटिस्टिक्स एण्ड डॉक्युमेन्ट्स डिविजन से, योजना के मूल्यांकन पर अध्ययन के लिये अनुदान समर्थन मिला है। इस अनुदान के अन्तर्गत, अनुसंधान विभाग इस योजना की प्रक्रिया और इसके राज्यों पर होते प्रभावों का, और स्वयंसेवी संस्थाओं/ गैर-सरकारी संगठनों की, अनुसूचित जाति की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरी करने की क्षमता का मूल्यांकन करेगा। (विस्तृत जानकारी के लिये इसी रिपोर्ट का पाँचवां अध्याय देखें)

क्षमता – निर्माण

क्षमता-निर्माण बीआरएलएफ का एक मुख्य कार्यस्तम्भ है, जिसके अन्तर्गत बीआरएलएफ देश में, वर्तमान और भावी ग्रामीण व्यवसायियों के लिये उन क्षमताओं के निर्माण के लिये काम करता है जो जमीनी स्तर पर अन्यथा उपलब्ध नहीं होतीं।

वर्ष 2019-20 में बीआरएलएफ ने निम्न क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है -

- ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल)
- ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए
- ग्रामीण आजीविका में लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम

यह कार्यक्रम भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन और आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, जयपुर का ग्रामीण आदिवासी व्यवसायियों की क्षमता-निर्माण के लिये किया गया संयुक्त प्रयास है। ग्रामीण रोजगार प्रमाणपत्र कार्यक्रम उन वर्तमान और भावी, आदिवासी ग्रामीण व्यवसायियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो ग्राम विकास क्षेत्र में सब-डिस्ट्रिक्ट स्तर पर काम करेंगे - चाहे गैरसरकारी संगठनों के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से या पंचायती राज संस्था के चुने हुए सदस्यों के रूप में।

ग्रामीण रोजगार प्रमाणपत्र कार्यक्रम एक 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम है जो 18-40 वर्ष के आदिवासी युवकों को केन्द्र में रखकर तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में ग्रामीण क्षमता निर्माण पर विभिन्न मोड्यूल हैं जो लक्षित समूहों और विभिन्न संस्थागत भागीदारों (सराकार और नागरिक सामाजिक संगठन) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किये गए हैं। अनेक केन्द्रों और अनेक विषयों पर आयोजित होता यह एक अनोखा प्रोग्राम है जिसमें, आईटी समर्थित, कार्यक्षेत्र आधारित अध्यापन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

सीपीआरएल की पहली बॅच का शुभारंभ 15 नवम्बर 2016 को हुआ। मर्च 2020 तक, सीपीआरएल के, 176 आदिवासी युवकों के लिये 6 बॅच का आयोजन हो चुका है। इनमें से 146 युवकों ने कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

मॉड्यूल और ज्ञान-भागीदार

बीआरएलएफ ने 16 ज्ञान-भगीदारों के साथ हाथ मिलाया है जो सभी सहभागियों को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित, क्रिया-समृद्ध, पठन-पाठन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये एकत्र हुए हैं। इस कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार के विभिन्न आयाम समाहित हैं और इसके ज्ञान और कौशल वाले घटक, क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे हैं -

मॉड्यूल	ज्ञान-भागीदार
व्यवहार कौशल, अंग्रेजी का व्यावहारिक कौशल	क्वेस्ट अलायन्स
व्यावहारिक आईटी कौशल	डिजिटल एम्पावरमेन्ट फाउण्डेशन
आदिवासी इतिहास, स्वदेशी ज्ञान-तंत्र, संस्कृति और सामाजिक राजनीतिक पहचान	भाषा रीसर्च
सहभागी भूजल प्रबंधन	एक्ट (एरिड कम्यूनिटीज एण्ड टेक्नोलोजीज)
जलोत्सारण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन एवं सहभागी पेय जल प्रबंधन	आगाखान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (इंडिया)
जेण्डर एण्ड लाईवलीहुड्स	आनंदी(एरिया नेटवर्किंग एण्ड डेवलपमेन्ट इनिशिएटिव)
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं सामुदायिक संपदा संसाधन	फाउण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्युरिटी
मूल्यशृंखला के दृष्टिकोण से कृषि आधारित रोजगार	युवामित्र
अधिकार और पात्रता	साथी, सेतु अभियान एवं मेंदा लेखा
स्व-सहायता समूह और रोजगार	समाज प्रगति सहयोग
मूल्यशृंखला दृष्टिकोण से खेती-इतर रोजगार	वासन
मूल्यशृंखला के दृष्टिकोण से ग्रामीण सामुदायिक उद्योग	उद्योगिनी
कीटनाशक-रहित खेती प्रबंधन	प्राण
जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य	ग्राम विकास

समाज प्रगति सहयोग एवं ग्राम विकास - इन दो ज्ञान भागीदारों को इसी वर्ष से शामिल किया गया है।

कार्यक्रम मार्ग

छह महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हरेक बॅच नौ राज्यों के 13 स्थलों से गुज़रता है। बॅच का शुभारंभ और दीक्षांत समारोह का आयोजन आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण स्थल

1. क्वेस्ट एवं डीईएफ, आईआईएचएमआरयु, जयपुर
2. भाषा रिसर्च, तेजगढ़, गुजरात
3. एक्ट, भुज, गुजरात
4. एकेआरएसपीआइ एवं आनंदी, सायला, गुजरात
5. एफईएस, उदयपुर, राजस्थान
6. युवामित्र, सिन्नर, महाराष्ट्र
7. एसपीएस, बाग्ली, मध्य प्रदेश
8. सेतु अभियान एवं मेंदालेखा
9. ग्राम विकास, ब्रह्मपुर, ओडीशा
10. वासन, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश
11. उद्योगिनी, रांची झारखण्ड
12. प्राण, बोध गया, बीहार
13. साथी, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

वर्ष के दौरान विभिन्न पड़ाव

सीपीआरएल के चौथे और पाँचवें बैच का दीक्षांत समारोह-

- 29 प्रत्याशी - 22 पुरुष और 7 महिलाएँ - सीपीआरएल की मई 2019 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह बॅच नवंबर 2018 में शुरु हुई थी।
- 30 युवक - 22 पुरुष और 8 महिलाएँ - सीपीआरएल की मार्च की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह बॅच सितंबर 2019 में शुरु हुई थी।

सीपीआरएल की छठी बैच का आरंभ

दिसंबर 2019 में सीपीआरएल की छठी बैच 28 युवकों के साथ शुरु हुई जिसमें 17 पुरुष और 11 महिलाएँ थीं। इस नई बैच में महिलाओं की संख्या, कोर्स के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है।

सीपीआरएल के स्नातकों की वार्षिक प्रगति

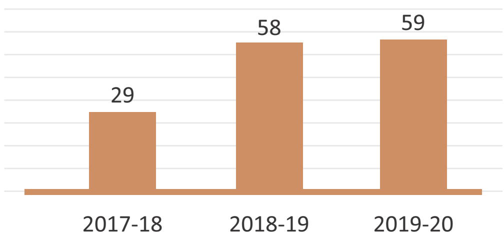

सीपीआरएल स्नातकों की रूप-रेखा

सीपीआरएल की प्रथम 6 बैचों में कुल 174 युवकों ने प्रवेश लिया। ये सभी मध्यभारत के जनजातीय क्षेत्र के सात प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सीपीआरएल के भूतपूर्व छात्रों की भौगोलिक व्याप्ति

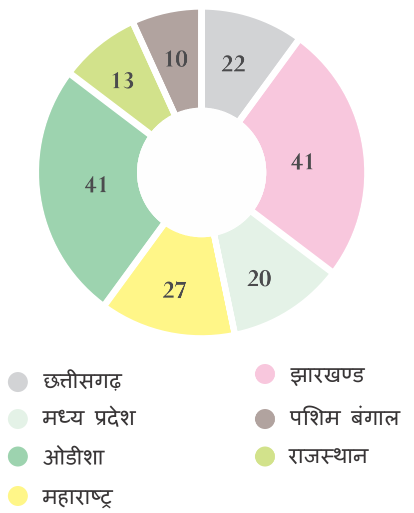

सीपीआरएल स्नातकों की वर्तमान स्थिति

बीआरएलएफ, सीपीआरएल के बाद व्यवसाय/नौकरी में नियोजन को प्रधानता देता है। वह विद्यार्थियों और भावि नियोक्ताओं को मिलाने की कोशिश करता है। अब तक सफल रहे 146 विद्यार्थियों में से 104 या 71% विद्यार्थी नागरिक सामाजिक संगठनों/ पंचायत या तत्सम एजेन्सी के साथ काम कर रहे हैं जबकि 16 विद्यार्थी या 11%, स्वयं अपना उद्योग कर रहे हैं।

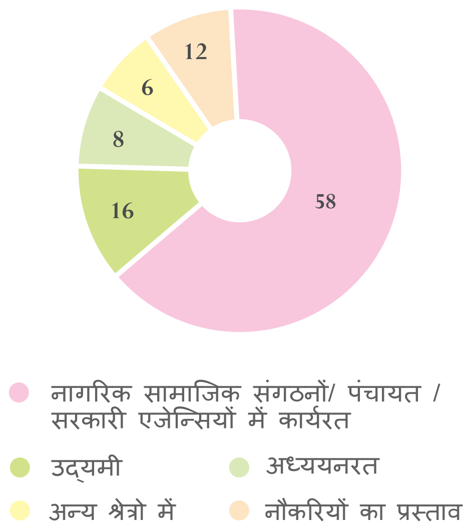

पूर्व विद्यार्थियों के संदेश

मैं अपनी पंचायत में महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिये काम करती हूँ। इस क्षेत्र में बढ़ी हुई जागृति के कारण महिलाओं में माहवारी से संबंधित समस्याओं में कमी आई है, साथ ही महिलाओं के साथ होते अपराधों में भी कमी आई है। मुझे बहुत खुशी है कि इस परिवर्तन में मैंने भी अपना योगदान दिया है।

सुश्री अनिता मेरावी, सीपीआरएल - III, समर्थ चॅरिटेबल ट्रस्ट, छत्तीसगढ़, के साथ कार्यरत

मैं एपीसी प्रोजेक्ट में, 100 महिला किसानों के 6 उत्पादक समूहों के साथ काम करता हूँ, जहाँ मुझे सीपीआरएल से प्राप्त ज्ञान और कौशल को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। मेरा काम मुझे अनेक सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिये एक मंच भी देता है।

श्री प्रसाद मांझी, सीपीआरएल -IV -जनसहज्य, ओडीशा में कार्यरत

सीपीआरएल ने मुझमें समाज के लिये कार्य करने की इच्छा को शक्ति दी है। मुझे खुशी होती है जब मैं किसानों को जैविक खेती करने के लिये प्रोत्साहित करती हूँ और उन्हें प्रशिक्षित करती हूँ, जिससे उनकी खेती में लागत में कमी आती है, उत्पादन बढ़ता है और साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी होती है।

सुश्री बालाकुमारी,सीपीआरएल -V , संगता सहभागी ग्रामीण विकास संस्था, छत्तीसगढ़ में कार्यरत

सीपीआरएल के पहले भी मैं महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के साथ काम करता था। किंतु सीपीआरएल में मुझे जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों, एनपीएम आदि की जानकारी मिली उससे मुझे आन्तरिक बैठकों और स्व-सहायता समूहों की प्रगति में सहायता मिल रही है। इससे मुझे गर्व का अहसास होता है।

श्री सतीश मुवेल, सीपीआरएल -V, समाज प्रगति सहयोग, मध्य प्रदेश में कार्यरत

नियोक्ताओं के संदेश

सीपीआरएल का प्रशिक्षण अनोखा है और इसमें विद्यार्थियों को मिलने वाला प्रत्यक्ष अनुभव उत्कृष्ट है। हमें विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले स्नातकों का एक मिलाजुला समूह मिला, किंतु वे सभी, समुदायों और विकास की प्रक्रिया के प्रति, बहुत ही संवेदनशील हैं। इन युवाओं का विकास के संबंध में अपना दृष्टिकोण है और ये बहुत आत्मविश्वासयुक्त हैं।

श्री मानवेन्द्र सिंह, उद्योगिनी, मध्य प्रदेश

हमने सीपीआरएल के पाँचवें बॅच के लिये तीन लोगों को नामित किया था जिनमें दो महिलाएँ और एक पुरुष थे। सीपीआरएल के बाद उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरु किया है। इस अनोखे प्रशिक्षण कार्यक्रम ने इनके कौशल को उन्नत किया है और उन्हें बहुत आत्मविश्वास दिया है। ये युवा, अल्प समय में ही समुदायों के साथ रिश्ता जोड़ने में कामयाब हुए हैं।

श्री पी एल पटेल, वाग्धारा

हमारे साथ काम करने वाले सीपीआरएल स्नातकों को ग्रामीण रोजगार की धारणा और प्रक्रिया की अच्छी समझ है। वे इस क्षेत्र के किसानों के साथ उनके भूमि, जल, और फसल के प्रबंधन में काम कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह, एसएसजीवीएस

सीपीआरएल की विभिन्न बॅचों से स्नातक हुई चार युवा आदिवासी महिलाएँ,आईएनआरएम, वाश, शिक्षा, एग्रोफोरेस्ट्री आदि में काम कर रही हैं। वे जमीनी स्तर पर काम के प्रति प्रशंसनीय निष्ठा दर्शाती हैं। वे सभी अपने काम में श्रेष्ठ हैं।

श्री मनजीत सिंह, समर्थ चॅरिटेबल ट्रस्ट

ग्राम्य प्रबंधन में एमबीए

बीआरएलएफ, मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों के होशियार विद्यार्थियों को, आईआईएचएमआरयु, जयपुर से ग्राम्य प्रबंधन में दो वर्षीय एमबीए कोर्स करने के लिये वित्तीय सहायता देता है। इस पहल को 2017 में शुरु किया गया था और 2017-19 के बॅच के लिये 6 आदिवासी युवकों को वितीय सहायता प्रदान की गई। पहली बैच की सफलता के बाद, बीआरएलएफ ने अपना समर्थन 2018-20 और 2019-21 की बैचों में क्रमशः 6 और 4 विद्यार्थियों के लिये भी जारी रखा है। बीआरएलएफ द्वारा समर्थित 16 विद्यार्थियों में से चार विद्यार्थी ईसीपीआरएल के पूर्व विद्यार्थी हैं। बाकी के विद्यार्थियों का चयन, नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा नामित, मध्य भारत के आदिवासी युवाओं में से किया गया।

2017-19 बैच शैक्षणिक सत्र 2017-19 में ग्राम्य प्रबंधन में एमबीए के लिये 6 युवाओं - पाँच महिलाएँ और एक पुरुष को बीआरएलएफ द्वारा सहायता प्रदान की गई। उन सभी ने अपना कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, सेवा, वीएसके एवं सृष्टि जैसे संगठनों में कार्यरत हैं।

2018-20 बैच इस पहल के दूसरे वर्ष में 2018-20 के कोर्स के लिये चार महिलाओं और एक पुरुष को इस डिग्री के लिये बीआरएलएफ द्वारा समर्थित किया गया। सभी ने कोर्स सफलता पूर्वक पूरा कर लिया । उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन कार्यानुभव और शोध प्रबंध, एकेआरएसपी(आई), समाज प्रगति सहयोग, एफईएस, उदयन सेन्टर फॉर कोलेबोरेटिव लर्निंग, जेएसएलपीएस, इंडियन हेल्थ एक्शन ट्रस्ट और वीएसके जैसी संस्थाओं के साथ किया।

2019-21 बैच शैक्षणिक सत्र 2019-21 के लिये बीआरएलएफ ने चार आदिवासी युवकों को सहायता प्रदान की है। इस बैच में दो पुरुष और दो महिलाएँ हैं। इनमें से एक सीपीआरएल का पूर्व विद्यार्थी है।

एमबीए -ग्राम्य प्रबंधन के विद्यार्थियों के संदेश

ग्राम्य प्रबंधन में एमबीए करने के बाद मैंने जेएसएलपीएस में एक युवा व्यवसायी के रूप में काम करना शुरु किया। स्व-सहायता समूह की महिलाओं को अपने रोजगार के लिये आगे कदम बढ़ाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि, एक समय में भी उसी स्थिति में थी जब मेरे पास सीमित धन था किंतु हिम्मत बहुत थी। मैं अपने माता-पिता की आभारी हूँ जो मेरे साथ डटे रहे और मेरी खातिर सब कुछ किया।

सुश्री पद्‌माबती बरिहा, एमबीए-ग्राम्य प्रबंधन - 2017-19 बैच

मैंने अपना अंतिम वर्ष का शोध प्रबंध, 'झारखण्ड में खेती आधारित विभिन्न आजीविका हस्तक्षेप' के विषय पर प्रस्तुत किया। मेरे इस क्षेत्र में काम करने के अनुभव ने मुझे कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों को समझने में मदद की। एमबीए से प्राप्त ज्ञान और कौशल को मैं अपने काम में उपयोग में लाने के प्रति आशान्वित हूँ।

सुश्री रीमा कछप, एमबीए-ग्राम्य प्रबंधन - 2018-20 बैच

नियोक्ताओं के उद्‌गार

सुश्री मोनिका दोदरे, सुश्री पद्‌माबती बरिहा और सुश्री विद्युत्तमा तिग्गा 2019 में झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी के साथ युवा व्यावसायिकों के तौर पर जुड़ गईं और पिछले एक वर्ष से , हमारे समाज के प्रति दृष्टिकोण में, झारखण्ड के कमजोर समुदायों के वंचित सदस्यों के सशक्तिकरण में, ये अपाना योगदान दे रही हैं। बीआरएलएफ द्वारा समर्थित, विभिन्न पार्श्वभूमि से आती तीन लड़कियों को चयन के बाद, झारखण्ड के पश्चिम सिंघभूम, गिरिडीह और हजारीबाग जिलों जैसी छोटी और चुनौतीपूर्ण जगहों पर नियुक्त किया गया। कठिनता के बावजूद, कुछ ही समय में ये तीनों, समुदायों के साथ रिश्ता बनाने में सफल रही हैं। ये अपने परिश्रम, इमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा के लिये जानी जाती हैं। बहुत ही कम समय में, इनमें से एक जहाँ नियुक्त की गई है उस खण्ड में सेरीकल्चर की प्रगति के लिये किये गए उसके काम की प्रशंसा हो रही है। जेएसएलपीएस परिवार उनमें से प्रत्येक को कौशल्य और व्यवसाय में उन्नति की शुभकामनाएँ देता है।

श्री हितेन्द्र सिंह, जेएसएलपीएस

श्री रोहित लाकरा, मार्च 2019 से हमारे साथ काम कर रहे हैं, पहले दो महीने इन्टर्न के रूप में और उसके बाद पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में। वे झारसुगुडा, ओडीशा के मुरडीपली गाँव में त्रिमुखी फार्मर्स प्रोड्‌युसर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। रोहित एक बहुत ही कुशल और प्रतिबद्ध व्यवसायी हैं। हम उनके साथ एक लंबे संबंध की आशा करते हैं।

श्री सुशील दाश, एसईडब्लूए

ग्रामीण रोजगार में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीपीआरएल की प्रासंगिकता को देखते हुए, झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी ने, अपने एफटीसी (फील्ड थीमेटिक को- ओर्डीनेटर्स) के लिये एक विशेष अल्पावधि का प्रशिक्षण प्रोग्राम बनाने का बीआरएलएफ से आग्रह किया। फलतः, जेएसएलपीएस और अपने कुछ ज्ञान-भागीदारों के साथ मिलकर बीआरएलएफ ने 'अल्पावधि ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम' बनाया।

जेएसएलपीएस और बीआरएलएफ के बीच 25 मई 2019 को, 90 एफटीसी को प्रशिक्षण देने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। जेएसएलपीएस और बीआरएलएफ के बीच, संस्थागत क्षमता-निर्माण के प्रयत्नों के लिये जो साझेदारी हुई है उससे, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कौशल्य और ज्ञान की कमी को पूरा करने की अनेक संभावनाएँ खुली हैं।

उद्‌देश्य

अल्पावधि ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम के निम्न उद्‌देश्य हैं -

- जेएसएलपीएस के अग्रिमपंक्ति के व्यवसायिकों के कौशल और ज्ञान में सुधार लाना ताकि वे अपने संगठन में अधिक बड़ा भाग अदा कर सकें।
- जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके रोजमर्रा के काम के लिये व्यावहारिक डिजिटल ज्ञान देना
- मूल्य शृंखला दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिये और किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिये सहभागियों के ज्ञान और कौशल में सुधार लाना।
- कीटनाशक-रहित खेती का प्रबंधन, जलवायु के अनुकूल खेती और जैविक खेती की समझ का विकास करना।
- जल-भूगर्भीय स्थिति को समझने के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना और उससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग स्थाई जल-सुरक्षा की योजना के लिये करना।
- सहभागी सिंचाई प्रबंधन से संबंधित ज्ञान और कौशल को बढ़ाना।

कोर्स-डिजाईन

अल्पावधि ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन-अध्यापन के पाँच मोड्यूल्स के माध्यम से ग्रामीण रोजगार से संबंधित सभी विषयों को एकत्र करने का प्रयत्न करता है। इस कोर्स का लक्ष्य जेएसएलपीएस के कर्मचारियों का ग्रामीण रोजगार के आधुनिक पहलुओं के मौजूदा ज्ञान में सुधार लाना है। प्रशिक्षण के पाँच मोड्यूल इस प्रकार से हैं -

क्र. सं.	मोड्यूल	ज्ञान-भागीदार	स्थान
1	डिजिटल साक्षरता	डिजिटल एम्पावरमेन्ट फाउण्डेशन	रांची, झारखण्ड
2	मूल्यशृंखला दृष्टिकोण से खेती आधारित और खेती से इतर क्षेत्रों में रोजगार	युवामित्रा	सिन्नर, माहाराष्ट्र
3	कीटनाशक-रहित कृषि प्रबंधन	प्राण (प्रिझर्वेशन एण्ड प्रोलिफरेशन ऑफ रूरल रिसोर्सेस एण्ड नेचर)	बोधगया, बिहार
4	जल सुरक्षा आयोजन की जलविज्ञान संबंधी स्थिति	एरिड कम्यूनिटीज एण्ड टेक्नोलॉजीज (एक्ट)	भुज, गुजरात
5	सहभागी सिंचाई प्रबंधन	आगाखान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम -इंडिया	नेत्रंग, गुजरात

प्रशिक्षण दो केप्स्यूल्स में दिया जाना प्रस्तावित है। कोर्स की कुल अवधि 26 सक्रिय अध्ययन दिन की है जिसमें पंद्रह दिन के सक्रिय प्रशिक्षण के बाद, अर्थात्, प्राण में एनपीएम मोड्यूल पूरा होने के बाद, में दो महीने का अन्तराल है। बैच में विद्यार्थियों की प्रस्तावित संख्या 30 है।

प्रशिक्षण के अध्यापन प्रक्रिया में निम्न लिखित शामिल हैं -

- सक्रिय सत्र और प्रत्यक्ष मुलाकातें
- क्लासरूम सत्र में दृष्टिकोण निर्माण
- दृश्य-श्राव्य सामग्री/ लेक्चर्स/ रोल प्ले/ इन्टरएक्टिव सेशन्स
- केस स्टडी
- समूह गतिविधियाँ

प्रशिक्षार्थियों का चयन

जेएसएलपीएस अपने एफटीसी के स्तर के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों में से ऐसे ९० होनहार कर्मचारियों का चयन करेगा जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें तीन बैचेस में प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रशिक्षणार्थियों पर निगरानी और उनका मूल्यांकन

संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान-भागीदार से मिलकर बनाए गए प्रत्येक मोड्यूल के लिये एक निरंतर मूल्यांकन का प्रावधान कोर्स में रखा गया है। कोर्स से संबंधित प्रत्येक प्रकार के ज्ञान और कौशल के लिये मूल्यांकन के साधनों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

'अल्पावधि ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम' का पहला बैच, जिसमें 25 एफटीसी ने भाग लिया, 25 मई, 2019 को शुरु हुआ।

5 अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन विभाग, भारतीय आदिवासी समुदायों खास तौर पर, मध्यभारत के जनजातीय क्षेत्र के आदिवासी समुदायों के बारे में जानकारी के लिये ज्ञान का एक केन्द्र बन गया है। भारत में, ग्रामीण रोजगार से संबंधित हस्तक्षेप, प्रायः केन्द्र और राज्य सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों, ग्रामीण और आदिवासी आबादी और अन्य सरकारी संस्थाओं से अनेक हितधारकों को एक मंच पर लाते हैं। अतः अनुसंधान के इस स्तम्भ को ऐसे स्वतंत्र अनुसंधान करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया है जो, सरकारों को ग्रामीण निर्धनों, खास तौर पर आदिवासियों के लिये स्थाई रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये नए हस्तक्षेप विकसित करने में सहयोग प्रदान करें।

जनजातीय विकास रिपोर्ट

मध्य भारत देश की अधिकतम आदिवासी आबादी 81% का निवास है, साथ ही यह क्षेत्र प्राकृतिक और खनिज संपदा से भरा हुआ है। किंतु, मध्य भारत की इन जनजातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति के विषय में बहुत ही कम शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध है। इसलिये, बीआरएलएफ ने, विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को, अपनी तरह की पहली इंडिया ट्राईबल डेवलपमेन्ट रिपोर्ट लिखने के लिये अधिकृत किया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन राउट्लेज एण्ड सीआरसी प्रेस द्वारा किया जाना है जो समाज विज्ञान और मानव-विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी प्रकाशक हैं। इस रिपोर्ट के संपादक हैं - डॉ. मिहिर शाह और पी एस विजयशंकर।

इस रिपोर्ट को दो खण्डों में प्रकाशित किया जाएगा। प्रथम खण्ड जो रोजगार पर आधारित है, उसमें आर्थिक स्थिति, आदिवासी कृषि, भूजल और पलायन जैसे विषयों पर अध्याय होंगे। द्विवितीय खण्ड मानव विकास और शासन-विधि पर आधारित है उसमें, लिंग भेद, पंचायत राज अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम, स्वास्थ्य, भूख पोषण शिक्षा, विमुक्त जनजातियाँ, कला, शिल्प, भाषा आदि पर प्रकरण होंगे। नीचे इस द्विखण्डीय रिपोर्ट के अध्यायों की एक रूपरेखा दी जा रही है -

प्रस्तावना - डॉ. मिहिर शाह एवं पीएस विजयशंकर - संपादक		
खण्ड-I		
भाग -1 - रोजगार		
1	भारत के जनजातीय क्षेत्रों खास तौर पर मध्य भारत के राज्यों और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति	सायन्तनी सतपथी
2	आदिवासी कृषि - संदर्भ और चुनौतियाँ	पी एस विजयशंकर
3	मध्य भारत के सूखे प्रदेशों में भूजल प्रबंधन - सूक्ष्म भेदयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता	सिद्धार्थ पाटील, नेहा भावे, पी एस विजयशंकर और हिमांशु कुलकर्णी
4	बदलते मध्य भारत का शहरी निम्न वर्ग और औद्योगिक मजदूर वर्ग - मुक्त आदिवासी प्रवासियों की जीवित रहने की वास्तविकताएँ	अजय डांडेकर, राहुल घई और प्रमथेश अम्बष्ट
5	आदिवासियों की ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं तक पहुँच	प्रमथेश अम्बष्ट
6	भूमि और आदिवासी आजीविका	प्रदीप प्रभु और अजय डांडेकर

खण्ड - II		
	भाग - 2 मानव विकास और शासन-विधि	
7	लिंगभेद संबंधी मसले जिनमें अनुसूचित जातियों में लिंग आधारित हिंसा शामिल है	मधु सरीन एवं शंकर गोपालकृष्णन
8	जंगल, जनता और उसकी अपेक्षाएँ - पंचायत राज अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम - एक विहंगावलोकन	अजय डांडेकर एवं सयन्तनी सतपथी
9	मध्य भारत के जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य	एच सुदर्शन एवं तान्या शेषाद्री
10	आदिवासियों में भूख और कुपोषण	दीपा सिन्हा
11	भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति के लोगों की, शैक्षणिक स्थिति	विमला रामचन्द्रन
12	विमुक्त जातियों की आज की दु:खांतिका	अजय डांडेकर

भाग - 3 कला, शिल्प और भाषा		
13	मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र की कला की स्थिति पर रिपोर्ट	सुदेष्णा गुहा
14	आदिवासी ज्ञान, भाषा और साहित्य	जी एन देवी

मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में शासन-विधि सुधार और रोजगार के लिये नागरिक समाज -राज्य- समुदायों की भागीदारी : पश्चिम बंगाल में बीआरएलएफ के ऊषर-मुक्ति कार्यक्रम पर एक अध्ययन

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीआरएलएफ को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स (श्रेष्ठता-केन्द्र के रूप में मान्यता दी है। श्रेष्ठता-केन्द्र के रूप में बीआरअएलएफ के ज्ञान और अनुसंधान स्तम्भ को - मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में शासन-विधि सुधार और रोजगार के लिये नागरिक समाज -राज्य- समुदायों की भागीदारी : पश्चिम बंगाल में बीआरएलएफ के ऊषर-मुक्ति कार्यक्रम पर एक अध्ययन - के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध हुई।

2017 में, पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा सेल, बीआरएलएफ और प्रदान ने मिलकर, "ऊषर-मुक्ति - पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में मनरेगा की जलोत्सारण प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन" नाम से एक परियोजना शुरु करने के लिये एक त्रिपक्षीय समझौता किया। यह परियोजना नागरिक सामाजिक संगठनों और सरकार के सहयोग की एक अनोखी पहल है, जिसे भारत रूरल लाईवलिहुड्स फाउण्डेशन से समर्थन प्राप्त है। इस परियोजना के माध्यम से, मनरेगा से अर्जित निधि से, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्रों में, जलोत्सारण पद्धति आधारित भूमि और जल के योग्य उपचार के उपायों से, आदिवासियों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्ग के लिये स्थाई आजीविका उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इस अध्ययन में ऊषर मुक्ति और उसके राज्य पर प्रभाव, नागरिक सामाजिक संगठनों और समुदायों की रोजगार से संबंधित मामलों का उपाय ढूँढने की क्षमता का विचार किया जाएगा :

- वे कौन से संस्थागत तंत्र हैं जिनके माध्यम से राज्य, नागरिक सामाजिक संगठन और समुदाय ऊषर मुक्ति को संचालित करने के लिये आपस में संवाद करते हैं?
- नागरिक सामाजिक संगठनों की सहभागिता ने स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को, आदिवासियों और महिलाओं को मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में, किस तरह से प्रभावित किया है?
- ऊषर मुक्ति ने आदिवासियों और महिलाओं के मनरेगा के अन्तर्गत काम मांगने के अवसरों को कैसे प्रभावित किया है?
- ऊषर मुक्ति के तहत बनाई गई पूंजी की उपयोगिता और गुणवत्ता के बारे में समुदाय की धारणा क्या है?

अनुसंधान स्तम्भ शोध संबंधी सवालों के जवाब के लिये एक मिश्र प्रणाली अपना रहा है। टीम द्वारा उन सभी चुने हुए अध्ययन-स्थलों के जलग्रहण क्षेत्रों में, जहाँ पर सम्पत्ति निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, समुदाय के सदस्यों का सर्वेक्षण किया जाएगा और ऊषर मुक्ति खण्डों और ऊषर मुक्ति बिना के खण्डों की सम्पति की गुणवत्ता और उपयोगिता के विषय में दृष्टिकोण के अंतर का परिमाणात्मक ढंग से मूल्यांकन भी किया जाएगा। ये सर्वेक्षण हमें मजदूरी के काम के लाभार्थियों में आदिवासियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अनुमान उपलब्ध कराएगा साथ ही जलग्रहण क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में भी जानकारी देगा।

जो लोग इस कार्यक्रम का भाग रहे हैं, उनके साथ और जो लोग प्रत्यक्षतः इस कार्यक्रम का भाग न रहें हों, उनके साथ भी सामुदायिक चर्चाएँ भी आयोजित की जाएँगी। इससे हमें इन दोनों तरह के लोगों की मनरेगा के विषय में धारणाएँ, निरीक्षण और अनुभव जानने का मौक मिलेगा और सर्वेक्षण के नतीजों के साथ मिलान करने का भी मौका मिलेगा।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये काम करती स्वयं-सेवी संस्थाओं के लिये अनुदान सहायता योजना का मूल्यांकन

सहायक अनुदान (ग्रान्ट इन एड) की योजना मोटा ने 01,अप्रैल, 2008 को, आदिवासी क्षेत्रों के उपेक्षित इलाकों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से पहुँचने के लिये शुरु की थी जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, कृषि-बागबानी की उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा विकास में पड़ी दरार को कम किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत, स्वयंसेवी संस्थाओं और गैरसरकारी संगठनों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित वित्तीय मानकों और नियमों और शर्तों के आधीन, तीन वर्ष के लिये, 100% अनुदान समर्थन दिया जाता है।

बीआरएलएफ के ज्ञान स्तम्भ को, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये काम करती स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये अनुदान सहायता योजना का मूल्यांकन करने हेतु, आदिवासी मामलों के मंत्रालय के स्टेटिस्टिक्स एण्ड डोक्यूमेन्ट्स डिविजन की तरफ से अनुदान सहायता मिली है। इस अनुदान से अनुसंधान स्तम्भ को इस योजना की प्रक्रिया और उसके राज्य पर प्रभाव को जांचने का अवसर मिला है, साथ ही अनुसूचित जनजाति की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने की स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों औत समुदायों की क्षमता को परखने में भी मदद मिलती है।

- क्या इस योजना का ढाँचा, इसका डिज़ाईन और/या इसके दिशा-निर्देशक सिद्धांत, अभावग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं ?
- योजना के क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों को और वितरण तंत्र में सुधार के लिये योजना में जरूरी परिवर्तन को पहचानना।
- क्या इस योजना/कार्यक्रम के विशेष प्रदेय, आज की तारीख में इन समुदायों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये उपयुक्त हैं?
- क्या योजना के मापने योग्य परिणामों को परिभाषित किया गया है?
- किस सीमा तक यह योजना, लाभार्थी आदिवासी परिवारों, खास तौर पर महिलाओं के परिवारों के मूल स्तर तक पहुँच पाई है?
- क्या यह योजना लिंग-निरपेक्ष है या लिंग विशेष के लिये बने घटक कितने हैं, और यदि अन्तर्निहित लिंग भेद है, तो जरूरी परिवर्तन कौन से हैं?
- क्या यह योजना किसी अन्य योजना के साथ मिलती-जुलती है?

आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिये बनाई गई इस योजना के प्रभाव और इसके क्रियान्वयन से संबंधित शोध प्रश्नों के जवाब ढूँढने के लिये रिसर्च टीम मिक्स्ड मेथड अप्रोच अपनाएगी। इस शोधके निष्कर्ष को सितम्बर 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में रखा जाएगा।

आंकड़े और प्रलेखीकरण

बड़े पैमाने पर हितधारकों, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों, केन्द्र और राज्य सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों, क्षेत्र में काम करने वाले शोधकों और सामान्य जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग द्वारा आदिवासी संबंधित आंकड़ों को संगठन की वेबसाईट पर रखा गया है। इस में प्राथमिक और गौण आंकड़े रखे जाते हैं जिनका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है। इस विभाग में शामिल विषय हैं - ग्रामीण बैंकिंग, जनसांख्यिकी,स्वास्थ्य, निवास, आय, आर्थिक-सामाजिक अभाव, भूमि, कृषि, मूलभूत सुविधाएँ, शिक्षा, कला और शिल्प। ये आंकड़े पीडीएफ या एक्सेल प्रारूप में सरलता से उपलब्ध है। मध्य भारत के निर्धन आदिवासियों के संबंध में जो आंकड़े और रिपोर्ट हमें समय समय पर मिलते रहते हैं उन्हें हम इस वेबसाईट में शामिल करते रहते हैं।

6 संसाधन जुटाना

2013 में बीआरएलएफ की स्थापना के समय भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष देने की प्रतिबद्धता दिखाई थी। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बीआरएलेफ को ₹200 करोड़ की पहली किश्त प्राप्त हुई। दूसरी किश्त के लिये अर्जी देने से पहले बीआरएलएफ को समझौते की कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी था। समझौते की शर्तों को पूरा करने के बाद 2019 में ₹300 करोड़ की दूसरी किश्त जारी करने का अनुरोध किया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय में वह प्रक्रिया के तहत है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीआरएलएफ वर्तमान और नए दाताओं से अधिक धनराशि जुटाने में सफल रहा है। कृषि सबंधी हस्तक्षेप के लिये छत्तीसगढ़ में जलोत्सारण परियोजना के लिये फोर्ड फाउण्डेशन ने ₹5.2 करोड़ का नया अनुदान दिया है। बीआरएलएफ झारखण्ड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के साथ, झारखण्ड में एक विशाल जलोत्सारण परियोजना के लिये भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। झारखण्ड की जलोत्सारण परियोजना में हिन्दुस्तान युनिलीवर फाउउण्डेशन चार वर्ष के लिये ₹11.6 करोड़ की सहायता देगा। इसी परियोजना के लिये बीआरएलएफ ने एक जर्मन गैर सरकारी संगठन वेल्ट हन्गर हिल्फे, से ₹5.2 करोड़ की वित्तीय सहायता जुटाई है, जो सीधा कुछ्ह सहभागी संस्थाओं को जाएगी। इस वर्ष के दौरान, बीआरएलएफ को जेएसएलपीएस के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण लिये उनके द्वारा ₹0.45 करोड़ की प्रतिबद्धित राशि में से ₹0.10 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने बीआरएलएफ को श्रेष्ठता-केन्द्र के रूप में चुना है। श्रेष्ठता-केन्द्र के रूप में बीआरएलएफ को ₹0.86 अनुदान अनुसंधान, गैर सरकारी संगठनों/ स्वयंसेवी संगठनों को ग्रान्ट-इन-एड के लिये चयन के लिये मिला है। इसके अतिरिक्त बीआरएलएफ को ग्रान्ट-इन-एड योजना के मूल्यांकन के लिये भी अतिरिक्त शोध अनुदान मिला है।

स्त्रोत	स्वीकृत/ प्रतिबद्धित (₹ करोड़ में)	31 मर्च 2020 तक प्राप्त (₹ करोड़ में)
अ - दान से प्राप्त		
टाटा ट्रस्ट (कॉर्पस)	10	10
फोर्ड फाउण्डेशन (कॉर्पस)	9.96	9.96
'अ' का कुल	**19.96**	**19.96**
ब. - बीआरएलएफ द्वारा जुटाए गए दान/अनुदान		
यूएनडीपी एवं निजी दानदाता	1	1
अर्घ्यम (सहभागी भूजल प्रबंधन)	0.93	0.93
अर्घ्यम (स्प्रिंगशेड)	0.36	0.36
अर्घ्यम (सीबी)	0.52	0
वीए टेक वाबाग ग्रान्ट	2.49	0.83
ईयू ग्रान्ट	7.16	5.14
फोर्ड फाउण्डेशन ग्रान्ट	5.56	3.95
एबीएफ ग्रान्ट	11.86	3.96
फोर्डफाउण्डेशन - सीजी	6.33	1.65
क्राउड फन्डिंग	0	0.05
झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी	0.45	0.1
एचयुएफ	11.62	3.07
मोटा (इवेल्युएशन स्कीम)	0.15	0.06
मोटा (ऊषरमुक्ति एवं एनजीओ स्क्रीनिंग	0.86	0.34
मोटा (फील्ड इन्स्पेक्शन)	0.19	0
मोटा जीआईए स्कीम	0.05	0
महाराष्ट्र टीडीडी	2	0
'ब' का कुल	**51.33**	**21.44**
'क'. अनुदान भागीदारों के माध्यम से सह-वित्त (बीआरएलएफ परियोजनाओं हेतु किये गए व्यय का भागीदारों के लेखों में उल्लेख)	238.02	349
'क' का कुल	**238.02**	**349**
कुल - अ+ब+क	**309.51**	**390.40**

7 वित्त

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये संपरिक्षित लेखा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल आय ₹31.47 करोड़ थी जिसमें कॉर्पस/एण्डोमेन्ट फंड्स पर अर्जित ब्याज की आय का ₹19.16 करोड़ और ₹12.31 करोड़ अनुदान से अर्जित आय शामिल है। कुल आय का 39% अनुदान से अर्जित किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल व्यय ₹34.03 करोड़ था जोकि आय के मुकाबले ₹2.56 करोड़ ज्यादा था। नागरिक सामाजिक संगठनों और संस्थागत भागीदारों को अनुदान व्यय का मुख्य मुद्दा रहा जो कि कुल व्यय का तीन चौथाई भाग है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजेट का अनुमान

कुल अनुमानित आय ₹39.77 करोड़ और कुल अनुमानित व्यय ₹40.57 करोड़ है। ब्याज से मिलने वाली आय ₹19.65 अनुमानित है जबकि अनुदान और दान से ₹20.12 करोड़ मिलने का अनुमान है, जो कि कुल अनुमानित आय का 51% है। व्यय अनुमानों में मुख्य घटक प्रस्ताव आमंत्रण के माध्यम से और पश्चिम बंगाल, ओडीशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में राज्य भागीदारी से नागरिक सामाजिक संगठनों को दिया जाने वालाअनुदान; क्षमता-निर्माण और मानव संसाधन लागत आदि हैं, जो कुल व्यय का 83% है। आय पर व्यय की अनुमानित अधिकता लगभग ₹0.80 करोड़ आंकी गई है जिसे संचित अधिशेष से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

बीआरएलएफ अनुदान के माध्यम से सृजित कुल निवेश

भागीदार संगठनों को बीआरएलएफ द्वारा प्रदान किये गए अनुदान के अलावा, प्रत्येक परियोजना में दो अतिरिक्त घटक होते हैं - (अ) सह-वित्त, जो भागीदार अन्य दानदाताओं से जुटाते हैं; (ब) सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को प्राप्त होने वाली राशि । स्थापना से लेकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक, जहाँ बीआरएलएफ ने ₹89.83 करोड़ की राशि नागरिक सामाजिक संगठनों को अनुदान देने पर व्यय किया, जबकि भागीदारों ने सह-वित्त के जरिये ₹348.77 करोड़ जुटाए और सरकारी योजनाओं से ₹1024.32 करोड़ जुटाए गए। बीआरएलएफ द्वारा अनुदान सहयोग पर खर्च किये गए प्रत्येक रुपए के ऊपर सह-वित्त और सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त राशि क्रमशः 4 गुना और 11 गुना थी। इसक मतलब यह हुआ कि अनुदान पर बीआरएलएफ द्वारा किये गए निवेश ने सह-वित्त और सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त राशि सेअपने विभिन्न अनुदान परियोजनाओं के लिये 15 गुना निवेश उत्पन्न किया।

लेखा परीक्षण

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण - वित्त-वर्ष 2018-19 के लिये बीआरएलएफ के लेखा पुस्तकों का परीक्षण शुरु होना है पिछले वर्ष की रिपोर्ट के परिच्छेदों की वैधानिक अनुपालना कर ली गई है।

बीआरएलएफ का आंतरिक परीक्षण - वित्त वर्ष 2019-20 के पहले भाग के लिये बीआरएलएफ का आंतरिक परीक्षण आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स बंसल एण्ड कंपनी एलएलपी द्वारा किया जा चुका है। रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई प्रणालीगत जोखिम नहीं होने का संकेत दिया गया है और प्रक्रियागत सुधार करने के लिये कहा गया जिस पर कार्यवाही शुरु की जा चुकी है।

अनुदान और तकनीकी भागीदारोंका वित्तीय लेखा-परीक्षण - बीआरएलएफ के आंतरिक लेखा परीक्षक ने अनुदान और तकनीकी भागीदारों का वित्त वर्ष 2018-19 का परीक्षण ऑनलाईन किया गया। ऑडिट रिपोर्ट को भागीदारों के साथ साझा किया गया और प्रक्रियागत सुधारों के लिये कार्यवाही शुरु की जा चुकी है।

वैधानिक अनुपालना -

- वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर जाँच पूरी हो चुकी है। वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 के लिये त्रुटिपूर्ण तरीके से आयकर की मांग रखी गई थी जिसको सुधारनेकी प्रक्रिया आयकर विभाग के साथ शुरु की जा चुकी है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिये क्षेत्रीय कानून की अनुपालना में आवश्यक सभी वैधानिक फाइलिंग पूर्ण की जा चुकी है।
- वित्त वर्ष 2018-19 तक कोई प्रतिकूल/ दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित या लंबित नहीं है।
- आयकर विभाग द्वारा ब्याज आय पर टीडीएस की कटौती नकरने के लिये आयकर कानून के अनुच्छेद 197 के तहत छूट प्राप्त हुई है।

लेखा अंकेक्षण एवं
वित्तीय सारांश (2019-20)

LODHA
& CO
Chartered Accountants

12, Bhagat Singh Marg, New Delhi - 110 001, India
Telephone : 91 11 23710176 / 23710177 / 23364671 / 2414
Fax : 91 11 23345168 / 23314309
E-mail : delhi@lodhaco.com

Independent Auditor's Report
To The Members of Bharat Rural Livelihoods Foundation

Report on the Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **Bharat Rural Livelihoods Foundation ("BRLF" or "the Society")**, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2020, the statement of Income & Expenditure Account, Receipt & Payment Account and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, give a true and fair view of financial position of the BRLF as at 31st March 2020 in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
a. In the case of Balance sheet, of the state of affairs of the BRLF as at 31st March 2020;
b. In the case of Income and Expenditure Accounts, of the deficit for the year ended on that date;
c. In the case of Receipt and Payment Account, of the cash flows during the period.

Basis of Opinion
We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of BRLF in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management's Responsibility for the Financial Statements
The management of the BRLF is responsible for the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Society BRLF in accordance with the accounting practices followed as per the guidelines prescribed by the Government of India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of BRLF and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management of BRLF is responsible for assessing the Society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

LODHA & CO • New Delhi • Chartered Accountants

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by Institute of Chartered Accountant of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Society preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Society's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the BRLF Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

We report that:

a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit;
b. In our opinion, proper books of account have been kept by the Society so far as appeared from our examination of those books;
c. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account and Receipt and Payment Account referred to in this report are agreement with the books of account.

For Lodha & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.301051E

(Gaurav Lodha)
Partner
Membership No. 507462
UDIN: 20507462AAAAVX6706
Place: New Delhi
Date: 15th September 2020

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2020

Amount in Rs.

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2019-20	2018-19
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	210,244,617	208,015,865
Grant-in-Aid	C	285,457	366,876
Reserve & Surplus	D	220,661,021	246,242,827
Liabilities & Provisions	E	6,094,365	5,214,629
Total (Rs.)		**2,437,285,460**	**2,459,840,197**
ASSETS			
Fixed Assets	F	4,613,591	6,054,530
Investments	G	2,100,560,000	2,145,000,000
Investment of Endowment Fund	H	226,028,335	205,730,000
Other Non Current Assets	I	282,020	-
Current Assets			
Cash & Bank Balance	J	24,613,088	17,735,007
Other Current Assets	K	81,188,426	85,320,660
TOTAL (Rs.)		**2,437,285,460**	**2,459,840,197**

Significant Accounting Policies	Q
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	R

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 15/09/2020

Hasmukh Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Operating Officer (Finance)

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020

Amount in Rs.

INCOME	Sch	2019-20	2018-19
Grants, Subsidies & Donations	L	123,104,360	64,700,477
Other Income	M	191,571,231	199,555,163
TOTAL		**314,675,591**	**264,255,641**
EXPENDITURE			
Expenditure			
Program Expenses	N	310,319,193	261,463,622
Establishment Expenses	O	24,823,229	19,994,207
Other Administrative Expenses	P	3,049,893	3,124,427
Depreciation	F	2,065,082	1,404,714
		340,257,397	285,986,971
Excess of Income over Expenditure		(25,581,806)	(21,731,330)
TOTAL		**314,675,591**	**264,255,641**
Significant Accounting Policies	Q		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	R		

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date:15/09/2020

Hasmukh Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Operating Officer (Finance)

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020

(Amount in Rs.)

Receipts	2019-20	2018-19	Payments	2019-20	2018-19
Opening Balance			**Investments in Bank Fixed Deposits**		
Cash	-	-	- from Income from MORD Corpus Fund	(34,440,000)	(25,000,000)
Bank	17,735,007	21,237,012	- from TATA Endowment Fund	110,000	1,410,000
			- from Ford Foundation Fund	188,335	1,138,828
Grant from Axis Bank Foundation	25,508,445	14,136,692	- from Ford Foundation Grant	(10,000,000)	10,000,000
Grant from ARGHYAM- PGWM		2,492,000	- From Hindustan Unilever Foundation Grant	20,000,000	-
Grant from ARGHYAM- Springshed	800,000	1,300,000	**Fixed Assets Made**		
Grant from VA TECH Wabag	1,000,000	2,100,000	- from Income from MORD Corpus Fund	927,763	4,530,834
Grant from MOTA	4,021,160	-	- from Tata Trust Endowment fund		-
Grant from JSLPS	999,470		- from European Union Grant		102,001
Grant from UNDP			- from CPRL Grant for Laptops		150,636
Donation for CPRL	105,000	253,664			
Grant in Foreign Currency					
Grant from FORD Foundation (APC Odisha Project)	17,048,246	22,385,169	TDS deducted & Deposited	5,155,179	3,451,399
Eurpean Union Grant	26,491,740	24,778,616	Employees Providend fund	3,010,773	1,275,177
Grant from FORD Foundation (CG Watershed Project)	16,558,073				
Grant from Hindustan Uniliver Foundation	30,665,250		Tata Trust Endowment Fund Expenses	6,836,556	5,454,376
Donation for CPRL		150,636	Grant To Project Partners	263,021,189	254,143,253
			Payments & Advances Given For Program Expense	29,259,662	10,888,974
Interest received on Fixed Deposit with Banks (Net of TDS)			Establishment Expense		
	139,392,607	146,808,207		19,199,866	19,994,207
Interest accrued on Fixed Deposits	48,541,789	68,960,711	Other Administrative Expense	6,298,628	3,124,427
Interest received on Saving Bank Account	5,284,612	3,071,411	BRLF Yes Bank Credit Card	9,160	
Sponsorship Fee for CPRL Course		724,000			
General Donation		-			
Miscellaneous Receipts	30,400	1,000	**Closing Balance**		
			a) Cash		
Sale of Fixed Asset	8,400		b) Bank	24,613,088	17,735,007
TOTAL	334,190,199	308,399,118	**TOTAL**	334,190,199	308,399,118

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049 BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 15/09/2020

Hasmukh Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020 (Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
SCHEDULE A - Corpus Fund				
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
(i) Ford Foundation Endowment fund (FCRA Funds)				
Opening Balance		100,978,335		100,364,760
Grant received during the year	-		-	
Add: Interest (Gross) Earned during the year	8,817,077		8,022,617	
Add: Accrued Interest Received during the year	2,140,479		319,629	
Less: TDS on Interest earned	-		66,021	
Less:-Interest accrued but not due and received	2,133,906		2,140,479	
Net Interest received	8,823,650		6,135,746	
Less: Available for Utilization as income for the year (90% of net interest received)	7,941,286		5,522,171	
Balance interest accumulated in the fund		882,364		613,575
Closing balance of Ford Foundation Endowment Fund		101,860,699		100,978,335
*Rs. 882500/- is to be further invested to meet the MOU conditions/ compliances				
(ii) Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance		107,037,530		106,177,045
Interest Earned (Gross) during the year	8,769,021		8,587,045	
Less: TDS	138,484		59,618	
Less: Interest accrued but not due and received	755,145		701,143	
Net Interest	7,875,392		7,826,284	
Less: Utilization during the year				
- Human Resource / Personnel Cost	5,931,459		4,836,988	
- Aid 360 Software & Server Expenses	-		-	
- Program Expenses	538,500		1,851,914	
- Travel Cost	952,674		988,983	
- Office Running Cost	-		48,675	
Total Utilization	7,422,633		7,726,560	
		452,759		99,724
Closing Balance of Endowment Fund		107,490,289		106,276,770
Add: Adjustments for				
TDS	138,484		59,618	
Interest Accrued	755,145		701,143	
Prepaid Expenses	-	893,629	-	760,761
Closing Balance of Tata Trust Endowment Fund		**108,383,918**		**107,037,530**
Grand Total		**210,244,617**		**208,015,865**

Note: 15% of the annual interest income earned on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly against Rs.85,76,534/- an amount of Rs.12,86,000/- has to be deposited in FDR.

During the year FDR of Rs. 11,80,000 has been matured during the year and BRLF is in process to reinvest/ renew the same.

SCHEDULE C - Grant in Aid		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Capital Grants				
United Nations Development Programme				
Opeing Balance	305,675		357,336	
Received during the year	-		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased_Transfer to Miscellanous Income	40,019	265,656	51,661	305,675
		265,656		305,675
European Union				
Opening Balance	61,201		-	
Received during the year			102,001	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased_Transfer to Misc. Income	24,480		40,800	61,201
Less: Asset Stolen during the year	16,920	19,801		
		285,457		**366,876**

SCHEDULE D - Reserve & Surplus		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Surplus				
Opening Balance		246,242,827		267,974,157
Add: Surplus of Income over Expenditure for the year		(25,581,806)		(21,731,330)
Closing Balance		**220,661,021**		**246,242,827**

SCHEDULE E - Liabilities & Provisions		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Sponsorship Fees Payable-MBA RM(IIHMRU)		-		1,336,178
TDS Payable		557,197		674,681
Creditors-(National Centre for Advocacy & Studies)		117,810		433,260
PF Payable		295,890		238,276
Expenses Payable		769,133		183,868
Salary Payable		351,030		-
BRLF - Yes Bank Credit		208,437		-
Long Term Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	1,363,817		739,742	
- Gratuity	1,959,000	3,322,817	1,135,000	1,874,742
Short Term Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	399,051		420,624	
- Gratuity	73,000	472,051	53,000	473,624
Total		**6,094,365**		**5,214,629**

SCHEDULE G - Investments		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		-		2,000,000,000
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		
Investments in FDR with Yes Bank				
Invested out of interest on above		560,000		-
Investments in FDR with IDFC Bank				
Invested out of interest on above		100,000,000		135,000,000
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Grant Funds)				
Invested out of Grant Received from FORD Foundation for Odisha APC Project		-		10,000,000
Total		**2,100,560,000**		**2,145,000,000**

SCHEDULE H - Investments of Endowment Fund		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Investments in FDR with RBL Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		1,180,000
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		100,000,000
Invested out of interest on above		103,760,000		3,760,000
Investments in FDR with Yes Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Invested out of interest on above		1,290,000		
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Funds)				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		-
Invested out of interest on above		978,335		790,000
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		100,000,000
INVESTMENT FROM Hindustan Unilever Foundation				
Invested out of Grant Received from HUF for Jharkhand Mega Watershed Project		20,000,000		-
Total		226,028,335		205,730,000

SCHEDULE I - Other Non Current Assets		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Capital Advances		282,020		-
Total		282,020		-

SCHEDULE J - Cash & Bank Balances		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Cash in Hand		-		-
Bank Balances in Savings Accounts with YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch				
Account No. 000393900000039 (FCRA FORD Foundation)	461,600		5,570,761	
Account No. 000394600001690 (FCRA European Union)	933,048		4,187,752	
Account No. 000393900000104 (FCRA HUF)	10,756,313		-	
Account No. 000394600000384	4,277,033		3,761,159	
Account No. 000394600000391	302,684		1,028,403	
Account No. 000394600001349	57,140		52,733	
Account No. 000394600000443	48,376		1,706,933	
Bank Balances in Savings Accounts with RBL Bank, New Delhi Branch				
Account No. 309003418585	7,147,971	23,984,165	1,427,266	17,735,007
Bank Balances in Savings Accounts with Axis Bank, New Delhi Branch				
Account No. 919010085960185	628,923	628,923		
Total		24,613,088		17,735,007

SCHEDULE K - Other Current Assets		As at 31st March 2020		As at 31st March 2019
Grant to Project Partners- Unutilized		16,854,147		28,142,978
Interest Accrued on Fixed Deposits (INR)				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, GOI	56,078,700		50,471,737	
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	755,145		701,143	
Interest Accrued on Fixed Deposits (FC)				
-Ford Foundation Endowment fund	2,133,906		2,140,479	
-Ford Foundation Grant	-		414,857	
-Hindustan Unilever Foundation	198,771	59,166,522		53,728,216
Advance Recoverable		164,806		35,743
Advances to Employees		145,242		
Prepaid Expenses		179,149		-
Advance to Supplier		366,924		
Security Deposit (Rent)		200,000		200,000
Tax Deducted at Source (2015-16)		1,452,060		1,452,060
Tax Deducted at Source (2016-17)		664,405		664,405
Tax Deducted at Source (2017-18)		37,828		37,828
Tax Deducted at Source (2018-19)		1,059,430		1,059,430
Tax Deducted at Source (2019-20)		897,914		-
Total		81,188,426		85,320,660

SCHEDULE L - Grants, Subsidies & Donations		2019-20		2018-19
Grant in Local Currency				

Grant From AXIS Bank Foundation		25,508,445		14,136,692
Grant From VA TECH-WABAG		1,000,000		2,100,000
Grant From ARGHYAM-Springshed		800,000		1,300,000
Grant From MOTA - Evaluation of NGO GIA Scheme		596,160		-
Grant From MOTA - Centre of Excellence		3,425,000		-
Grant JSLPS		999,470		-
Grant in Foreign Currency				
Grant From European Union		26,491,740		24,778,616
Grant From Ford Foundation for Odisa APC Project		17,060,222		22,385,169
Grant from FORD Foundation (CG Watershed Project)		16,558,073		-
Grant from Hindustan Unilever Foundation		30,665,250		-
Total Grants		**123,104,360**		**64,700,477**

SCHEDULE M - Other Incomes		**2019-20**		**2018-19**
Saving Bank Interest	5,284,612		3,071,411	
Less:				
- 10% reinvested to Ford foundation Endowment Fund	21,956		37,771	
- Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	111,601	5,151,055	349,046	2,684,594
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	176,574,493		185,942,360	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,657,420		8,237,999	
- Ford Foundation Endowment Fund	8,597,518		7,644,909	
- Ford Foundation Grant	239,772		416,942	
- European Union	-		332,141	
- Hindustan Unilever Foundation	198,771		-	
Total	**194,267,974**		**202,574,352**	
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	860,408		575,804	
Less: Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	8,657,420	184,750,146	8,237,999	193,760,548
Interest earned by the Grant Partners		1,453,211		1,887,927
Donation for CPRL Course		105,000		724,000
Donation for Providing Laptop to 30 CPRL Tribel Youth		-		404,300
Miscellaneous Income		111,819		93,794
Total		**191,571,231**		**199,555,163**

SCHEDULE N - Program Expenses		**2019-20**		**2018-19**
Expenses incurred from Grants				
Ground Water Management Project with ARGHYAM				
Field Facilitation Support for Implementing Partner (ARGHYAM)	-		683,515	
Implementation Support for PGWM (ARGHYAM)	-		44,036	
Partners Meeting (program planning & review) (ARGHYAM)	-	-	68,016	795,567
Springshed Project with ARGHYAM				
Implementation Support for SpringShed	1,214,927	1,214,927	1,343,204	1,343,204
Watershed Project with VA TECH WABAG				
Field Facilitation Support for Implementing Partner	6,882,553		6,052,412	
Field Implementation Support for Implementing Partner	615,000	7,497,553	1,612,500	7,664,912
CG Watershed Project with ABF				
Field Facilitation Support to CG Watershed Partners	1,560,610		978,511	
Field Implementation Support to CG Watershed Partners	24,073,196	25,633,806	9,729,545	10,708,056
JSLPS				
Capacity Building expenses	770,998	770,998		
MOTA (Research and Screening)				
Travel Expenses	128,866			
Preliminary Desk Appraisal	100,000			
Survey Cost	110,330	339,196		
MOTA (Field Inspection Project)				
Travel Expenses	102,199			
Field Inspection of CSO	128,927	231,126		
FORD Grant Expenses (Odisha)				
Field Implementation Support to ODISHA APC Project Partners	22,337,912	22,337,912	6,797,931	6,797,931
EU Program Cost				
Human Resource cost	16,995,090		14,612,182	
Implementation Cost	4,688,288		5,210,477	
Travel Expenses	805,893		767,265	
Equipment & supplies	-		625,033	
Local Office Cost	1,047,109	23,536,380	881,902	22,096,859
FORD Grant Expenses (Chatisgarh)				
Field Implementation Support to CG Watershed Project Partners	10,576,165	10,576,165		
MoRD Program Cost				
Field Implementation Support to CSO Partners	97,526,241		124,201,274	
Capacity Building Expense	15,882,612		17,076,176	
Field Implementation Support to Watershed Partners	21,155,287		**20,816,033**	

Field Facilitation Support to Watershed Partners	6,948,785		11,655,117	
Field Implementation Support to ODISHA APC Project Partners	35,213,881		10,588,316	
Field Facilitation Support to institutional partners for implementing Partners	10,994,347		9,092,879	
Field Facilitation Support to CG Watershed Partners	13,399,783		3,514,768	
Field Implementation Support to CG Watershed Partners	2,245,573		4,329,974	
Event, Meetings and Workshop Expenses	2,847,313		2,598,819	
Travel Expenses	2,894,971		2,499,544	
Consultancy & Evaluation Fees	1,406,485		1,510,280	
Pilot & Innovations- Springshed project	1,214,930		1,343,203	
Information, Education and Communication Material	2,003,244		922,754	
Pilot & Innovations-NT & NT Initiatives	1,795,031		554,796	
Techncial Support Services to implementing partners	695,576		840,320	
Human Research Development Report Expenses	-		164,280	
Online MIS software Expenditure	1,533,091		231,160	
Research Expenses	420,350		74,423	
State Govt Partnership	3,630		42,977	
Organisation Development training to staff	-	218,181,130	-	212,057,093
Total		**310,319,193**		**261,463,622**

SCHEDULE O - Establishment Expenses		**2019-20**		**2018-19**
MoRD Establishment Cost				
Staff Salaries	5,614,794		8,647,430	
Employer Contribution to Provident Fund	379,117		840,864	
Earned Leave expenses	602,502		952,698	
Gratuity Expenses	844,000		624,000	
Recruitment expenses	1,749,416		135,406	
Consultancy Fees for HR Study	5,900		177,000	
Vehicle Running maintenance Expenses (Flexi Basket)	-		110,913	
EPF Admin Charges	89,737		76,274	
Staff welfare expenses	86,557		73,060	
Relocation expenses	50,221		55,955	
Medical & Accidental Insurance Expenses	50,754		40,191	
Consultancy Fees for PF calculation	35,400		35,400	
Books, Periodicals & Publications (Flexi Basket)	-	9,508,398	6,770	11,775,961
CG Watershed Project with ABF				
Staff Salaries	1,744,616			
Employer Contribution to Provident Fund	75,935	1,820,551		-
MOTA				
Staff Salaries	819,696			
Employer Contribution to Provident Fund	20,304	840,000		-
FORD Endowment Establishment Cost				
Staff Salaries	6,884,721		7,667,844	
Employer Contribution to Provident Fund	373,513	7,258,234	550,402	8,218,246
FORD Grant Expenses (Odisha)				
Staff Salaries	5,104,806			
Employer Contribution to Provident Fund	291,240	5,396,046		-
Total		**24,823,229**		**19,994,207**

SCHEDULE P - Other Administrative Expenses		**2019-20**		**2018-19**
MoRD Other Administration Cost				
Office Rent	1,402,138		1,259,720	
Audit Fees	124,200		135,700	
Communication Expenses	351,721		539,367	
Stationery expenses	204,236		263,612	
Water & Electricity expenses	244,896		252,043	
Office Maintenance Expenses	218,057		225,731	
Equipment Maintenance Expenses	124,316		89,806	
Postage & courier	43,010		44,617	
Miscellaneous Expenses	31,439		21,802	
Books, Periodicals & Publications	30,068		21,056	
Loss on Sale of Asset	9,955			
Insurance of Fixed assets	18,375	2,802,411	12,201	2,865,655
FORD Endowment Other Administration Cost				
Office Rent	-		58,656	
Office Maintenance Expenses	6,593	6,593	5,000	63,656
EU -Other Admin Cost				
Office Rent	166,022		172,334	
Stationery expenses	57,499	223,521	22,782	195,116
FORD Grant Expenses (Odisha)				
Office Maintenance Expenses	17,368	17,368		-
Total		**3,049,893**		**3,124,427**

Schedule F.

Schedule F-a

MoRD - FIXED ASSETS as on 31.03.2020

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2019	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2020
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	2,686,405	11,258	434,800	-	3,132,463	1,166,025	1,966,438
Office Equipment	15%	262,454	76,342	51,639	-	390,435	54,692	335,743
Furniture & Fixture	10%	464,176	88,640	-	-	552,816	55,282	497,534
Sub Total		3,413,035	176,240	486,439	-	4,075,714	1,275,999	2,799,715
INTANGIBLE								
Computer Software	33.33%	1,906,363	-	-	-	1,906,363	638,358	1,268,005
Sub Total		1,906,363	-	-	-	1,906,363	638,358	1,268,005
Total		5,319,398	176,240	486,439	-	5,982,077	1,914,357	4,067,720

UNDP Grant - FIXED ASSETS as on 31.03.2020

Schedule F-b

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2019	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2020
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	18,632	-	-	-	18,632	7,453	11,179
Office Equipment	15%	77,227	-	-	-	77,227	11,584	65,643
Furniture & Fixtures	10%	209,817	-	-	-	209,817	20,982	188,835
Sub Total		305,676	-	-	-	305,676	40,019	265,657
INTANGIBLE								
Software	33%	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		-	-	-	-	-	-	-
Total		305,676	-	-	-	305,676	40,019	265,657

TATA Trust Grant - FIXED ASSETS as on 31.03.2020

Schedule F-c

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2019	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2020
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	31,448	-	-	-	31,448	12,579	18,869
Office Equipment	15%	76,255	-	-	21,617	54,638	11,438	43,200
Furniture & Fixtures	10%	140,045	-	-	-	140,045	14,005	126,040
		247,748	-	-	21,617	226,131	38,022	188,109
INTANGIBLE								
Software	33%	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		-	-	-	-	-	-	-
Total		247,748	-	-	21,617	226,131	38,022	188,109

European Union Project- FIXED ASSETS as on 31.03.2020

Schedule F-d

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2019	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2020
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	61,201	-	-	16,920	44,281	24,480	19,801
Office Equipment	15%	-	-	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	10%	-	-	-	-	-	-	-
		61,201	-	-	16,920	44,281	24,480	19,801
INTANGIBLE								
Software	33%	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		-	-	-	-	-	-	-
Total		61,201	-	-	16,920	44,281	24,480	19,801

CPRL Project - FIXED ASSETS as on 31.03.2020

Schedule F-e

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2019	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2019
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	120,509	-	-	-	120,509	48,204	72,305
Office Equipment	15%	-	-	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	10%	-	-	-	-	-	-	-
		120,509	-	-	-	120,509	48,204	72,305
INTANGIBLE								
Software	33%	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		-	-	-	-	-	-	-
Total		120,509	-	-	-	120,509	48,204	72,305

TOTAL TANGIBLE	4,148,168	176,240	486,439	38,537	4,772,310	1,426,724	3,345,586
TOTAL INTANGIBLE	1,906,363	-	-	-	1,906,363	638,358	1,268,005
GRAND TOTAL	6,054,531	176,240	486,439	38,537	6,678,673	2,065,082	4,613,591

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

BRLF C-32, Floor New Delhi BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

SCHEDULE-Q

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. Legal Status and Operation:

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

2. Corpus Fund:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India has released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores will be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. Summary of Significant Accounting policies:

3.1 Accounting Convention

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

3.2 Basis of preparation

The financial statement has been prepared following accrual basis of accounting except interest on saving banks.

3.3 Use of Estimates

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 1100

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.4 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as per AS-12 – Accounting for Government Grants issued by Institute of Chartered Accountants of India.

i. Grants are recognized only when there is reasonable assurance that BRLF will comply with the conditions attached to them and grants will be received.
ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.
iii. Grants received for specific purposes are utilized for the purpose of its release.
iv. Grants utilized to the extent of and in accordance with the grant conditions and project objectives are treated as Income in the Income & Expenditure Account.
v. Unutilized grants are treated as Liabilities in the Balance sheet.
vi. Grant related to specific depreciable Fixed Assets treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged.

3.5 Income Recognition

Interest on Fixed deposit with banks is recognized on accrued basis and that on saving banks is recognized on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets include inward freight, duties & taxes (non refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

A. Tangible Assets

a. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.
b. Depreciation of Assets purchased out of Capital Grant-in-Aid have been treated as Non Operating income and shown under "Miscellaneous Income".

B. Intangible Assets

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

C. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investment

a. Investment: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds considered as long term and disclosed under investment.

b. Investment of Endowment Fund: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term and classified under Investment of Endowment Fund.

c. Other investments: Other fixed deposit with banks shall be classified as cash and cash equivalent because of readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits

Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan

The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the profit and loss account on accrual basis

iii. Defined Benefits Plan

a. The provision in relation to Gratuity is made through Actuarial Valuation.

b. Provision on employee discontinuance basis, in relation to Earned Leaves is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to maximum 66 days in aggregate, beyond which employee may make encashment.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. **Contingent Liability and Assets**

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society shall fulfill the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Hasmukh Shah **President**	**Pramathesh Ambasta** **Chief Executive Officer**	**Sharad Bhargava** **Chief Operating Officer (Finance)**

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

SCHEDULE-R

CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the management,

a. Current Assets are approximately of the value stated if realized in the ordinary course of business except otherwise stated.

b. BRLF had received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships'. As per the grant conditions the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year society has earned interest of Rs.87,69,021/- against Endowment Grant received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs.74,22,633/- has been utilized during the year 2019-20 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

c. BRLF had received Rs. 9,95,76,172/- ($ 1,500,000) from Ford Foundation as Endowment Fund. As per grant condition, BRLF would be permitted to utilize a maximum of 90 percent of revenue earned from the Endowment Fund for the purpose to meet the operational cost and the remaining 10% of the Fund's income shall be re-invested in the Fund in annual fixed deposit.

During the year society has earned interest of Rs. 88,17,077/- against the Endowment grant received from Ford Foundation. Out of total interest received, an amount of Rs. 8,82,500/- has to be re-invested in the fund in fixed deposit by BRLF.

d. BRLF had entered into MOU with ARGHYAM a registered public charitable trust to widen and deepen practice on Spring-shed Development Program. An amount of Rs. 12,14,927/- has been spent against ARGHYAM grant during the year being the 50% amount of total expenditure as per the MoU signed between BRLF & Arghyam. BRLF received Rs. 8,00,000/- as per MOU from ARGHYAM. After adjusting expenses incurred of Rs.12,14,927/-, deficit of Rs.4,14,927/- is (adjusted against opening grant of Rs. 6,03,053/- and interest earned by CSO partner of has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus. Rs. 8,741/-. The Closing Grant unspent standing with the CSO is Rs. 1,96,867/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.The closing balance would be returned to ARGHYAM since the grant period has closed on 31st march 2020.

e. BRLF had entered into MOU with VA Tech WABAG Ltd., a company registered under Companies Act,1956 to widen and deepen practice on Watershed Project. An amount of Rs.74,97,553/- has been spent against VA Tech WABAG Ltd. grant during the year. BRLF received part payment of Rs. 10,00,000/- towards third instalment instead of Rs.55,25,111/- as per MOU. Deficit of during the year is Rs. 64,97,553 and opening receivable balance of Rs.32,12,692/- and Interest earned of Rs. 4,407/- during the year and closing balance of receivable is Rs. 97,05,838 which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

Moreover, there exists uncertainty on receipt of the balance amount due to financial crunch as reported by VA Tech Wabag, however it has not denied making the grant payment.

f. BRLF had received grant of Rs.2,64,91,740/- from European Union towards implementation of the Project titled "Strengthening Civil Society Action for Transforming Lives of the Particularly Vulnerable Tribal Groups of Jharkhand and Madhya Pradesh". Interest earned during the year amount to Rs.6,78,562 /-, total spent under the project amount to Rs.2,37,59,901/- leaving unspent balance of Rs.34,10,401/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

g. BRLF had received grant of Rs.1,70,53,736/- from Ford Foundation towards implementation of Project: "To reduce risk and increase incomes for tribal farmers in rain-fed regions of Odisha". Total interest earned during the year amount to Rs.4,61,754/- , out of this total spent is Rs.2,77,51,326/- leaving overspent balance of Rs.1,02,35,836/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus..

h. BRLF had received grant of Rs.1,65,58,073/- from Ford Foundation towards implementation of Project: "For support for grant making to secure living incomes for economically-distressed farmers in the state of Chhattisgarh". Total interest earned during the year amount to Rs.3,71,024/- , out of this total spent is Rs.1,05,76,164.55/- leaving unspent balance of Rs.63,52,932.45/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus..

i. BRLF had received a grant of Rs.2,55,08,445/- from Axis Bank Foundation towards implementation of Project: " Mega Watershed Project in State of Chhattisgarh". Total Interest earned during the year amounts to Rs.31,009/-, out of this total spent is Rs.2,74,54,357/- leaving overspent balance of Rs.19,14,903/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

j. BRLF had received a grant of Rs.3,06,65,250/- from Hindustan Unilever Foundation for implementing a high impact watershed project in state of Jharkhand. The requisite formalities are in progress. During the year interest earned was Rs.6,25,798/- and with NIL expenditure the closing balance of grant is Rs.3,12,91,048/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus. As per MOU with Hindustan Unilever Foundation, unutilized grant should have been deposited in Term Deposit with a Scheduled Commercial Bank, during the year Rs. 2,00,00,000 has been deposited in Term Deposit and balance amount stands in its Saving Bank Account.

k. BRLF had received a grant of Rs.9,99,470/- from Jharkhand State Livelihoods Promotion Society for capacity building of frontline functionaries in Jharkhand state. Total expenditure of Rs.7,70,998/- has been spent during the year leaving the closing balance of grant as Rs.2,28,472/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

l. BRLF had received a grant of Rs.34,25,000/- from Ministry of Tribal Affairs, Govt of India as Centre of Excellence of the Ministry. An expenditure of Rs.11,79,196/- spent during the year leaving the closing balance of grant as Rs.22,45,804/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus..

m. BRLF had received a grant of Rs. 5,96,160 from Ministry of Tribal Affairs, Govt of India for evaluation of NGO GIA Scheme of the Ministry. NIL expenditure has been incurred

during the year leaving the closing balance of grant as Rs. 5,96,160/- which has been reported in Income & Expenditure statement and transferred to Reserve & Surplus.

n. During the year BRLF had incurred expenditure of Rs. 2,31,126 in Ministry of Tribal Affairs, Govt of India for filed inspection. For which sanction letter has been received but No Grant has been received in current financial year.

o. Fixed assets purchased having closing written down value of Rs. 2,65,657/- from grant of United Nations Development Program (UNDP) and Rs.19,801/- from European Union now vest with BRLF as per the condition of grant term

p. BRLF has been issued with a certificate of lower deduction of Tax at source on interest income by the Income tax department.

q. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2020.

r. Figures have been rounded off to nearest rupees.

s. Previous year figures have been regrouped or rearranged wherever necessary.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Hasmukh Shah **President**	**Pramathesh Ambasta** **Chief Executive Officer**	**Sharad Bhargava** **Chief Operating Officer (Finance)**

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

BRLF
भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

सी-32 नीति बाग,
नई दिल्ली -110049
ई-मेल : info@brlf.in
फोन : 011-46061935

www.brlf.in